हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (द्वितीय बैठक)

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

वॉक आउट

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

सरकारी संकल्प–

दण्ड विधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 के वापिस लेने से संबंधित

विधान कार्य–

(i) दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप–ए, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट (अमैंडमैट) बिल, 2019

बैठक का समय बढ़ाना

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(ii) दि हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी श्राइन बिल, 2019

(iii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(iv) दि हरियाणा लॉज (स्पैशल प्रौविजन्ज) बिल, 2019

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 03:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री टेक चन्द शर्मा (पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार बनी तो उससे पहले हरियाणा में एक अलग ही तरीके का माहौल था, बेरोजगारी के आलम से लेकर के चारों तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ था। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ''सबका साथ सबका विकास'' और ''हरियाणा एक हरियाणवी एक'' नारे के साथ शुरूआत की थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नही है कि आज हरियाणा प्रदेश चहुंमुखी विकास की तरफ जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने किस तरीके से विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं, वे किसी से छुपे हुए नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, आज मेरा फरीदाबाद क्षेत्र चहुंमुखी विकास की तरफ जा रहा है । जो पिछले 50 सालों में विकास के काम नहीं हुए थे, आज वे काम हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि यह हमारे क्षेत्र में विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनने जा रही है । यह हिन्दुस्तान में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ–साथ रोजगार के साधन का भी एक सिस्टम लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा । श्री विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी का पहला चरण मार्च, 2020 तक कम्पलीट हो जायेगा । यह यूनिवर्सिटी लगभग 84 एकड़ भूमि में विकसित की जायेगी। इस यूनिवर्सिटी में हर साल लगभग 5000 बच्चे टैक्नीकल तरीके की क्वालिफिकेशन लेकर के अपने–अपने क्षेत्रों में रोजगार के लिए योग्य होकर निकलेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटी वर्ष 2024 तक बनकर कम्पलीट हो जायेगी। तब इस यूनिवर्सिटी में हर साल लगभग 12000 बच्चे रोजगार के लायक बनेंगे, जो कि बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि कई विधान सभा क्षेत्रों में कॉलेज खोले गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोहना गांव में भी सरकार द्वारा एक गवर्नमैंट कॉलेज

बनाने का काम किया गया है और एक नर्सिंग डिग्री कॉलेज की भी अप्रूवल हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने हमारे क्षेत्र में तीन–चार आई.टी. आईज़. भी बनवाने का काम किया है । हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, जब तक प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है लेकिन मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या तक भी दूर हो गई है । सरकार ने 185 करोड़ रूपये की लागत से 43 गांवों के लोगों को पीने का पानी दिया है, जो गांव पीने के पानी के लिए तरसते थे। इन गांवों में पीने के पानी की बहुत ही बड़ी समस्या थी। हमारी सरकार ने इस समस्या को भी दूर करने का काम किया है। इस दिशा में भी हमारी सरकार की तरफ से काफी अच्छा काम हो रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों के लिए नई–नई स्कीम्ज़ चलाई जा रही है। इसी के तहत सरकार द्वारा किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई। इससे पहले जब किसान की फसल पर कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो उसको उसका मुआवज़ा लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के धक्के खाने पड़ते थे। प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना शुरू की गई है वह वाकई सराहनीय है। जहां कहीं भी किसानों की फसलें किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती हैं उसमें भी प्रभावित किसानों की जमीन की गिरदावरी करवाकर उनको जल्दी से जल्दी मुआवज़ा मिल जाता है। इससे भी लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है और किसानों में खुशी का माहौल पैदा हुआ है। अभी–अभी केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है। इसमें जिन किसानों के पास 2 हैक्टेयर से कम जमीन है उन्हें 6000 रूपये सालाना तौर पर दिया जायेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा भी अगर किसी प्रदेश की सरकार इस मुआवज़ा राशि में और बढ़ौत्तरी करना चाहे तो वह कर सकती है। स्पीकर सर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से सैंट्रल गवर्नमैंट ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई है उसकी राशि को हमारे प्रदेश की तरफ से भी बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश

पूरे देश में हरेक काम में अग्रणी रहा है। उसी प्रकार से इस राशि को भी किसानों को बढ़ाकर दिया जाये। इससे प्रदेश की जनता में बहुत अच्छा संदेश जायेगा। अभी मेरे से पूर्व कई साथियों ने बोला कि ग्रुप डी की भर्ती में 18218 बच्चों की नौकरियां लगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे 32000 से 35000 बच्चे बेरोजगार हो गये हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 18218 बच्चों के नौकरी लगने पर 32000 बच्चों को नौकरी से कैसे हटाया जा सकता है? किसी को भी सदन में आकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे से पहले बोलते हुए एक साथी ने सदन में कहा कि उनके क्षेत्र में बिजली नहीं आती। इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि फरीदाबाद में तो ग्रामीण आंचल में भी 22 घंटे बिजली मिलती है और शहर में इससे भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति होती है। (विघ्न)

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, टेक चंद शर्मा जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ललित नागर जी, आप कृपया करके बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब न करें।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, मेरे भाई ललित जी पता नहीं कहां पर रहते हैं कि इनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इनको अभी कोर्ट कचहरियों से फुर्सत नहीं मिल रही है जिस कारण से ये फरीदाबाद शहर में रह ही नहीं पाते हैं इसलिए इनको पता ही नहीं है कि फरीदाबाद में कितने घंटे बिजली आती है और वहां के गांवों में कितने घंटे बिजली आती है? स्पीकर सर, माननीय सदस्य ललित नागर जी के विधान सभा क्षेत्र तिगांव के अंदर जितने काम हुए हैं उनको ब्यान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के पास इस समय कोई काम नहीं है इसलिए ये अर्नगल प्रलाप कर रहे हैं। इस समय ये सी.बी.आई. और ई.डी. के कार्यालयों में चक्कर काटने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है यह बात मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, टेक चंद शर्मा जी को सच्चाई का पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ललित नागर जी, आपको बोलने के लिए समय दिया जा चुका है। अगर आपको कुछ और बोलना है तो वह आप तब बोल लेना जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाये। अभी आप कृपया करके बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को चलने दें।

श्री टेक चंद शर्मा : स्पीकर सर, हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। हमें जनता द्वारा यहां पर चुनकर भेजा गया है। जनता के विकास की बात करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य बनता है। हम इनकी तरह यहां पर झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का काम नहीं करते। रात को तो ये कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करवा दो और दिन में हमारे सामने कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं। इनकी समझ में यही नहीं आ रहा है कि क्या कहना है और क्या करना है? इनको सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 50 साल के विकास की बात करते हैं। आज फरीदाबाद के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आज सुधार हुआ है वह सराहनीय काम है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज ग्रुप डी की भर्ती में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास रखी हुई है, तो 20–20 बच्चों वाले जो 5वीं तक के स्कूल हैं उनको अपग्रेड करके कम से कम 8वीं और जो 10वीं तक के स्कूल हैं उनको अपग्रेड करके 12वीं तक किया जाना चाहिए। जो 5वीं तक के स्कूल हैं उनको चलाने का कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव अटाली में शहीद के परिवार को सांत्वना देने गये थे उसके बाद वे राजगढ़ भी गये थे। जब किसी शहीद के घर जाते हैं तो पत्थर का मन करके जाना पड़ता है। जिस परिवार का बच्चा शहीद होता है उस परिवार को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक सुझाव है कि सदन की तरफ से एक रिकमंडेशन केन्द्र सरकार को जानी चाहिए कि आर्टिकल 370 को समाप्त करके एक देश और एक संविधान होना चाहिए। इसी प्रकार से सदन में पत्थरबाजों का भी जिक्र किया गया था कि हमारा जवान पत्थरबाजों के कारण शहीद हुआ है। उस जवान को 4 गोलियां लग चुकी थी और उसे चारों तरफ से पत्थरबाजों ने घेर लिया तथा उसको वहां से निकालने नहीं दिया गया जिसके कारण ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हुई। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की भी 2–3 बातें कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का परिसीमन वर्ष 2007 में हुआ था और वर्ष 2009 में चुनाव हुआ था। जिस समय परिसीमन हुआ था उस समय एक योजना बनी थी जिसके तहत हर विधान सभा क्षेत्र का एक ही जिला, एक तहसील तथा थाना, तीनों को इकट्ठा होना चाहिए था। मेरा विधान सभा क्षेत्र पलवल तथा फरीदाबाद दो जिलों में बंटा

हुआ है। इसमें 4 ब्लॉक तथा 6 तहसील लगते हैं। इसमें दो जिले लगते हैं जिसमें कहीं पर 8 गांव हैं, कहीं पर 10 गांव हैं और कहीं पर 5 गांव हैं। तिगांव ब्लॉक के सात गांव जनहेड़ा, मझेड़ी, नवादा, बुखारपुर, सादूपुर खादर, शाहजहांपुर तथा मोठुका हैं उनको बल्लभगढ़ ब्लॉक में जोड़ा जाये क्योंकि इन गांवों के निवासियों को तिगांव जाना बिल्कुल वायबल नहीं लगता है। इसी प्रकार से बड़खल सब–डिवीजन के गांव जखोपुर, बीजोपुर, लदियापुर, कबूलपुर, भनकपुर, सिक्रोना, फिरोजपुर तथा करनेरा का सब–डिवीजन बदलकर बल्लभगढ़ किया जाये। इनकी भी यही समस्या है कि इनको बड़खल जाने के लिए ऑफ रूट पड़ता है। उनकी भौगोलिक स्थिति उनके अनुरूप नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बना कर इनका परिसीमन दोबारा से किया जाये।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस काम के लिए एक कमेटी बनी हुई है और उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है। माननीय सदस्य अपनी समस्या तथा उसका सुझाव उस समिति में दे दें।

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जो विकास की बयार बह रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछली सरकारों ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना रखा था। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूल चन्द शर्मा (बल्लभगढ़): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद । भाई टेक चन्द जी ने फरीदाबाद के बारे में बड़े विस्तार से बताया है । वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय फरीदाबाद की यह हालत थी कि न सडकें थी, न कोई कॉलेज था, न कोई स्कूल था और बिजली तो 24 घण्टे में से मात्र 6 घण्टे ही आया करती थी । एम.एल.ए. बनने के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं बीच में ही रणछोड़ न हो जाएं क्योंकि लोग तो बिजली भी मांगते हैं, सडक भी मांगते हैं, पानी भी मांगते हैं और शिक्षा के क्षेत्र की बात भी करते हैं । आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद फरीदाबाद में ऐतिहासिक विकास हुआ है । जैसा कि मेरे भाई व साथी श्री टेक चन्द शर्मा जी ने कहा है कि तिगांव और बल्लबगढ़ के बीच

में पृथला उनकी विधान सभा है । जहां आगरा, गुरूग्राम और यमुना कैनाल मिलते हैं उस पर फरीदाबाद में 14 फ्लाई ओवर बनकर तैयार होने जा रहे हैं । इसके साथ–साथ हमारे फरीदाबाद में पहले दो कॉलेज थे और एक कॉलेज तिगांव में था, एक कॉलेज नाचोली में, एक कॉलेज मोहना में, एक कॉलेज बल्लबगढ़ में, एक कॉलेज खेड़ी गुजरान में था । जहां एक–एक कॉलेज था वहां हमारी सरकार ने सिर्फ चार साल की अवधि में चार–चार कॉलेज देने का काम किया है । जहां तक बिजली की बात है फरीदाबाद विधान सभा क्षेत्र का कोई भी गांव व शहर ऐसा नहीं है जहां पर 24 घण्टे बिजली न आती हो । फरीदाबाद में 24 घण्टे बिजली रहने से इन्वर्टर–बैटरी व जनरेटर वाले व्यापारी तो यह कहने लगे हैं कि इस सरकार ने तो हमारा काम धंधा ही ठप्प कर दिया है । इस सरकार से पहले हमारा इस चीज का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था । अब इन्वर्टर–बैटरी और जनरेटर वाले व्यापारी इस काम को छोड़ कर किसी दूसरे काम धंधे में लगने लग गए हैं । इस प्रकार से उनके बिजली के उपकरण संबंधित सभी काम बन्द हो चुके हैं । अगर हम सडकों की बात करें तो पहले हमारे क्षेत्र की चाहे कोई भी सड़क हो उन सभी सड़कों पर बहुत ज्यादा गहरे गड्ढे थे ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई सडक नहीं बनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी उदय भान जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई रोड नहीं बना । मैं कहता हूं कि आप इनके क्षेत्र में जाकर देख लें वहां ऐसे रोड बने हुए हैं कि वहां पर चलते हुए पानी का गिलास भी नहीं गिरता क्योंकि मैं स्वयं होडल तक घूमता रहा हूं । होडल विधान सभा क्षेत्र में तीन–तीन रेलवे फ्लाई ओवर बने हुए हैं । यमुना का पुल भी होडल विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है । विधायक श्री उदय भान जी अपनी गाड़ी में चले जाएं और देखें कि गाड़ी में रखा पानी का गिलास भी नहीं हिलता है । अध्यक्ष महोदय, उदय भान जी अपने कांग्रेस सरकार के समय को याद कर लें जब सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी तो इतने गहरे–गहरे गड्ढों से गुजरना होता था जिससे तीन–चार बार परेशान होकर गाड़ी खड़ी करके हम यह कहते थे कि सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है । यह कह कर सब रोया करते थे । हम सभी साथी पुराने हैं, इसलिए हमें सभी बातों का पता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वह हमारी सरकार ने बिछाया है । विपक्ष के साथी के.जी.पी व के.एम.पी. ऐक्सप्रेस–वे की बात करते हैं लेकिन आज ये दोनों एक्सप्रेस–वे बेहतर तरीके से

बनकर तैयार हो रहे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ में हमारी सरकार ने तारकोल नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी है। हमने बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र से काली सड़क और काली कमाई करने वाले लोग लगभग भगा ही दिए हैं ।

कांग्रेस सरकार के समय बनी काली सड़क और काली कमाई करने वाले लोगों को खत्म करते हुए हमने सभी रोडज को आर.एम.सी.(रोड़ी मिक्स,कंक्रीट) रोड में तब्दील कर दिया है । यह मैं अपने पूरे जिले की बात कर रहा हूं । पहले ये हालात थे कि कांग्रेस के मित्र तो झूठ बोलकर अपने दूसरे प्राईवेट काम करवा लिया करते थे । हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में अगर एक भी काम विकास का नहीं हुआ तो बीच में ही लोग कहने लगेंगे कि आपने विकास के काम नही करवाए । ऐसा होने से या तो हमें घर छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर हमें विधान सभा को छोड़कर भागना पड़ेगा । जहां तक बेरोजगारी की बात है, मैं तो कहता हूं कि फरीदाबाद व गुरूग्राम जैसे जिले शिक्षा के क्षेत्र से काट दिए गए हैं। पहले फरीदाबाद व गुरूग्राम के बच्चे का नाम सरकारी नौकरी में आता था तो यह कह कर उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाता था कि इनको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है । इस तरह से वहां के लोगों को सरकारी नौकरियों से दूर कर दिया जाता था । जबकि गुरूग्राम और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां तमाम भारत के लोग रहते हैं । जम्मू–कश्मीर से कन्याकुमारी और 'अटक से कटक' तक अपनी रोजी रोटी कमाने व अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहां आते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें फरीदाबाद के लोगों को रोजगार न मिला हो । अध्यक्ष महोदय, अगर स्लम बस्ती की बात करें तो मेरे यहां स्लम बस्ती में जो बिहार व बंगाल के बच्चे रहते थे वे भी ग्रुप–'डी' की भर्ती में लगे हैं । उनके बच्चे पुलिस की भर्ती में भी लगे हैं और एल.डी.सी. भी लगे हैं । आगे उनके बच्चे यहां एल.एल. बी. कोर्स करने लगे हैं और एल.एल.एम. जैसी बड़ी से बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। जहां पहले हमारे क्षेत्र के बच्चों की एक भी नौकरी नहीं लगा करती थी । पहले यह कह दिया जाता था कि ये बिहार, उतर प्रदेश व जम्मू के रहने वाले हैं इसलिए उनके नौकरी के फॉर्म को अलग रख दिया जाए । वैसे यह मानकर चलिए कि जो अभी 37 हजार नौकरियां लगी हैं उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों को छोड़कर 15 हजार बच्चे ऐसे लगे हैं जोकि दूसरे प्रदेशों के हैं और विगत 40 सालों से हरियाणा प्रदेश को अपनी सेवायें दे रहे हैं। विपक्ष के हमारे साथी इन लोगों से वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हरियाणा में इनकी हिस्सेदारी इनको कबूल नहीं है, इनको नौकरी

देना इन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माल किसी का और कमाल किसी का यह जुमला अब चलने वाला नहीं है। दूसरे प्रदेश के वे लोग जो हरियाणा प्रदेश के स्थायी नागरिक बन चुके हैं उन्हें वोट का अधिकार तो दे दिया लेकिन इनको नौकरी पाने का अधिकार नहीं दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिस आदमी का हरियाणा प्रदेश में कारोबार व धंधे हैं उनको यहां पर नौकरी का भी अधिकार है। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में पहली बार यह कमाल हुआ है कि दूसरे प्रदेशों के निवासी जो कि लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में रह रहे हैं, को नौकरी प्राप्त हुई है और इस प्रकार पहली बार लोग यह कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 'सबका साथ सबका विकास' अर्थात सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। पहले लोग नौकरियों के लिए झोला लेकर चला करते थे। घर से झोला लेकर चले, रोड़वेज में बैठे, हरियाणा भवन में एम.एल.ए. के कमरों में आकर रुकते तथा एम.एल.एज. से मिलते थे यही नहीं मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा करते थे अब मित्रों हरियाणा प्रदेश में यह झोला सिस्टम अब एक इतिहास बन चुका है। पहले जिसके झोले में वजन हुआ करता था उसको ही नौकरी मिलती थी। जो व्यक्ति एम.एल.एज या मुख्यमंत्री के चहेते होते थे या जो व्यक्ति अफसरों के प्यारे हुआ करते थे केवल मात्र उन्हीं को नौकरियां मिला करती थी लेकिन आज यह झोला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब हरियाणा प्रदेश में नौकरी के लिए कोई अपनी जमीन नहीं बेचता। कोई अपना कुछ गिरवी नहीं रखता। कोई व्यक्ति नौकरी के लिए दुकानदार या आढ़ती के पास अपनी किसी चीज को गिरवी रखने के लिए नहीं जाता। किसी व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के लिए अपनी भैंस नहीं बेची। आज आप जाकर पूछिए कि क्या किसी ने नौकरी के लिए किसी आढ़ती से पैसा लिया है? यह हरियाणा में पहली बार हुआ है जबकि किताब के नाम से या यूं कहें कि पढ़ने वाले बच्चों को नौकरियां मिली हैं। जिसने किताब को पढ़ा, जिसकी मां ने सुबह चार बजे अपने बच्चे को शिक्षा–दीक्षा देने का काम किया उनके बच्चों को प्रदेश में नौकरी मिली है। पहले अगर प्रदेश में नौकरी मैरिट के हिसाब से मिलती तो आज गुरूग्राम का इतना बुरा हाल न होता। पहले डी.टी.पी., एस.टी.पी. तथा ए.टी.पी. एप्रोच से लगा करते थे अगर इस तरह के पदों पर मेरिट व योग्यता आधारित बच्चों को लगाया जाता तो आज हरियाणा प्रदेश के गुरूग्राम व फरीदाबाद में जिस तरह की जाम की स्थिति बनी रहती है वह नहीं होती। अगर उच्च योग्यता से परिपूर्ण बच्चे नौकरी

लगकर हरियाणा प्रदेश की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में प्रदेश की निश्चित प्लानिंग होगी और प्रदेश विकास की दिशा में बढता नज़र आयेगा। अध्यक्ष महोदय, आज लोग यह कहते मिल जायेंगे कि पहली बार हमारे बच्चों ने पढ़ाई के बल पर नौकरी प्राप्त की है जबकि पहले तो एम.एल.एज. या एम.पी. नौकरी दिलाने का काम करते थे। जहां तक बिजली की बात है फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 110 करोड़ रुपये की लागत से बिजली की तारों को बदलने का काम शुरू किया जा रहा है और उम्मीद है कि 31 मार्च तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जो राशन डिपो होते थे उनमें भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था। एक डिपो होल्डर के पास हजार–हजार राशन के कार्ड होते थे और राशन के कार्ड भी सिर्फ अपने चहेतों के बनाए जाते थे और उस समय के अधिकारी व राजनेता मिलकर जनता के राशन को खा जाते थे। इन राशन डिपो में आने वाली दो रुपये की चीज को आठ रुपये या बारह रुपये बेचा करते थे लेकिन आज श्री मनोहर लाल जी की सरकार में इस हरियाणा प्रदेश में राशन का डिपो लेने वाला कोई नहीं है और कहते हैं कि हमें डिपो नहीं चाहिए। पहले रोजाना एम.एल.एज. के पास डिपो दिलाने संबंधी फोन आया करते थे लेकिन आज लोग राशन डिपो को छोड़कर भाग रहे है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह क्षेत्र भी भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। पूर्व की सरकारों में फरीदाबाद में काफी लंबे समय से डिमांड किए जा रहे आर.ओ.बी/आर.यू.बी. की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन आज यदि देखें तो यह सब बन गए हैं और फरीदाबाद की एक अलग तस्वीर लोगों के सामने उभरकर प्रस्तुत हो रही है। कांग्रेस के लोग फरीदाबाद के इतिहास से अनभिज्ञ है। देश के मानचित्र पर सोने की चिड़िया कहलाने वाले फरीदाबाद में सुई से लेकर जहाज बनाने तक के कारखाने होते थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार और इनैलो सरकार ने फरीदाबाद को पीछे धकेलने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में फरीदाबाद विकास की तरफ जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य किसानों की बातें करते हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र से मेरा भाई ललित नागर आते हैं, वहां के किसानों की जमीन एक कम्पनी के मालिक द्वारा 16–16 लाख रुपये में लूटी गई थी। जमीन के मालिकों से जबरन कब्जा लिया गया था। अध्यक्ष महोदय, कॉलोनी बसाने के लिए कम्पनी के मालिक के चहेतों ने किसानों की जमीनें लूटी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, अब आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम उस इलाके से आते हैं जहां रेवेन्यू के मामले में हम पहले एक नम्बर पर आते थे और आज दूसरे नम्बर पर आते हैं, इसलिए आज हम फरीदाबाद की बात सदन में नहीं उठायेंगे तो हम फरीदाबाद के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार फरीदाबाद में सीवरेज, सड़क, बिजली आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाई थी। लेकिन श्री मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद फरीदाबाद में सड़कों को बनाने का काम शुरू हुआ। सीवरेज प्रणाली में सुधार हुआ। अध्यक्ष महोदय, वहां की रेजिडैंट वेल्फेयर एसोसिएशन से बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। श्री मनोहर लाल जी की सरकार में जितना विकास फरीदाबाद में हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। भाई टेक चंद शर्मा के इलाके में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि फरीदाबाद में इतना बड़ा प्रोजैक्ट आयेगा। के.एम.पी. और के.जी.पी. एक्सप्रेस–वे परियोजना की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं थी कि यह प्रोजैक्ट कब पूरा होगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन प्रौजैक्ट्स का उदघाटन भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी को पता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में के.एम.पी. एक्सप्रेस–वे परियोजना के लिए कितनी बार टैंडर बदला गया और कितनी बार इसको बनाने के लिए ठेकेदार बदले गए। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो अपने 10 साल के कार्यकाल में एक के.जी.पी. एक्सप्रेस–वे प्रोजैक्ट की जगह इस तरह के चार प्रौजैक्ट बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से विकास के काम करती तो फरीदाबाद दूसरा सिंगापुर बन सकता था। अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस पार्टी किसानों की जमीनें नहीं हड़पती और बेरोजगारी को दूर करती तो निश्चित तौर पर यह फरीदाबाद सिंगापुर बन जाता। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार पनप रहा था। आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री मनोहर लाल जी की सरकार के किसी भी विधायक के ऊपर किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। पिछली सरकारों में हर रोज भ्रष्टाचार हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में कहना चाहता हूँ कि जिस बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर 90 कॉलोनियां हैं, बहन सीमा त्रिखा जी के विधान सभा क्षेत्र में 70 कॉलोनियां हैं और भाई नगेन्द्र भडाना जी के विधान सभा क्षेत्र में 80 कॉलोनियां हैं। फरीदाबाद में एक बी.के.

सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल में केवल दो ही काम होते हैं, एक काम यदि किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उस एवेज में पुलिस द्वारा एफ.आई. आर. दर्ज का काम होता है और दूसरा काम पोस्टमार्टम का होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्ज की भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत बड़े–बड़े प्राईवेट अस्पताल खुले हुए हैं। उन प्राईवेट अस्पतालों में बहुत महँगा–महँगा इलाज होता है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो हमारी 16 एकड़ जमीन पर वीटा मिल्क प्लांट लगा हुआ है, वह नगर निगम की जमीन है और वह लीज पर दी हुई है। यह जमीन कॉलोनी के बीच में भी पड़ती है। प्रदूषण के हिसाब से भी और लोगों की सुविधा के हिसाब से भी इस जमीन को खाली करवाया जाए और इस जगह पर 200 बैड का सरकारी अस्पताल बनाया जाये ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के साथ ही वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। (विघ्न) हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शपथ लेते ही प्रदेश के लिए कल्याणकारी कार्य शुरू किये हैं। इसके विपरीत पुरानी सरकारों में जिन लोगों ने मुख्यमंत्री का पद संभाला उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और ओहदेदारी पुश्तों से जुड़ी रही है। कुछ लोगों की तो दूसरी पीढ़ी के सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और कुछ लोगों की तीसरी पीढ़ी के सदस्य भी इस पद पर आसीन हुए। मैं आपके माध्यम से सदन में यही बताना चाहूंगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहली बार मुख्यमंत्री बना है जिसने हरियाणा की दशा और दिशा को हर जगह और हर क्षेत्र में चेंज कर दिया है। आज जब भी सदन में चर्चा होती है तो मेरे साथ दूसरे माननीय सदस्यों की भी राय अलग नहीं होगी कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के पास कोई मुद्दा नहीं है उसमें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे इन्डस्ट्री लगाने की बात हो या फिर दूसरे फील्ड्ज हों। सरकार जनता की सेवा कर रही है। आज विपक्ष पूर्णतया मुद्दाविहीन हो चुका है।

अभी मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातें सदन के पटल पर रखी हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार की लोकप्रियता से बौखला गये हैं और इनके पास सरकार पर आरोप लगाने के लिए कोई मुद्दा नहीं हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वर्ष 2015 में बड़खल रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी थी और वह मांग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी की जा चुकी है। यह विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के दुधोला में स्थापित हो चुकी है। इसके साथ ही दूसरी यूनिवर्सिटी भी बहुत जल्दी भाखड़ी में जगदीश चन्द्र बोस के नाम से बनने जा रही है। इसके अलावा हम सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार द्वारा बहुत से कॉलेजिज बनाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगर विपक्ष के माननीय सदस्य और कोई जानकारी लेना चाहें तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उसके बारे में भी बता दूंगी। हमारी सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए बिल्कुल अलग काम किए हैं। वर्ष 2014 में जो डिबेट का विषय हुआ करते थे उसमें गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता था और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आज विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं। वर्ष 2014 में जब डिबेट हुआ करती थी तो गुजरात मॉडल को सबसे अधिक नम्बर मिलते थे कि गुजरात का विकास सबसे अधिक है। आज यह बताते हुए सदन में हमें फख्र होता है कि आज वो विश्व के लोकप्रिय नेता जब कभी अपने मन की बात करते हैं या किसी दूसरे मंच से बोलते हैं तो वे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी सरकार के मंत्रियों की टीम की पीठ थपथपाना कभी नहीं भूलते। यह हमारे लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी विधान सभा की बात करूं तो मैं सोचती हूं कि यह क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यहां पर विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला लगता है। अगर बड़खल झील के विषय में बात करूं तो पिछली सरकारों ने लगभग 25 से 28 साल इस झील को सुखाने में लगा दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सदन में आपके माध्यम से आज मांग करती हूं कि अगर पिछली सरकारों के समय में इस झील की प्रौग्रेस के लिए कोई प्रयास किया गया हो तो वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी के नेतृत्व में बड़खल झील पानी से भरी जा रही है। इसके अतिरक्त मेरा बड़खल हल्का सब डिवीजन बना दिया गया है और एक

तहसील भी बन चुकी है। फरीदाबाद जिला पहले एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में जाना जाता था परन्तु पिछली सरकारों के नेताओं ने इन्डस्ट्री के नाम से व दूसरे नामों से बहुत सी विदेश यात्राएं की। पहले फरीदाबाद के लोग अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली और गुरूग्राम में धक्के खाते रहते थे लेकिन आज हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फरीदाबाद जिले के अलावा सभी जिलों में पासपोर्ट बनाने के ऑफिस खुल चुके हैं। ये विकास के सभी काम पहले भी किये जा सकते थे परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यों के पास काम करने का नजरिया नहीं था। वह नजरिया हमारी सरकार में है जिसकी उपलब्धियां पुरानी सरकारों से अलग हैं। अगर हम उन सभी उपलब्धियों को इकट्ठा करके देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी सरकार द्वारा विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है। आज हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फरीदाबाद जिले में रोड, पार्क व दूसरी चीजों के कारण स्वरूप ही बदल चुका है। मेरे बड़खल विधान सभा क्षेत्र के बस स्टैंड पर भी काम करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद जिला स्मार्ट सिटी में आने के नाते से भी बहुत ज्यादा विकास आने वाले समय में हम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने अपने आप में हर चीज में एक इतिहास रचा है। हम जब किसी विषय पर बात करते हैं तो विपक्ष के माननीय सदस्यगण हरियाणा प्रदेश में मेयर के चुनाव और जीन्द उप चुनाव का भी ध्यान रख लें। विपक्ष के माननीय सदस्यों को जनता की धड़कन कान से साफ सुनाई देने लग रही है परन्तु ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार आगे आने वाले समय में और बड़ा इतिहास रचेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उदय भान (होडल) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे यह कहते हुए बड़ी निराशा हो रही है कि खासकर गरीब तबके की तरफ सरकार की कोई नीतियां माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सामने नहीं आयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय वायदा किया गया था कि एस.सी. कमीशन को और

अधिक मजबूती प्रदान करके उसका नये सिरे से गठन करेंगे। परन्तु सरकार के कार्यकाल का साढ़े 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी एस.सी. कमीशन का गठन नहीं किया गया है। एस.सी. कमीशन दलितों और गरीब लोगों के अत्याचार के खिलाफ काम कर रहा था और सरकार ने कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में भंग कर दिया था। सरकार को बने हुए साढ़े 4 साल का समय हो चुका है परन्तु अभी तक एस.सी. कमीशन का गठन नहीं किया गया है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले जो एस.सी. कमीशन बना हुआ था उसको भंग कर दिया था। अब कैबिनेट की मीटिंग में एस.सी. कमीशन के लिए एप्रूवल हो चुकी है और जल्दी ही एस.सी. कमीशन का गठन हो जाएगा।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार का गठन हुए साढ़े चार साल का समय हो चुका है परन्तु सरकार ने अब तक एस.सी. कमीशन का गठन नहीं किया है। कांग्रेस सरकार ने गरीबों और भूमिहीनों को 100–00 गज के 3 लाख 92 हजार प्लॉट दिये थे। वर्तमान सरकार ने वायदा किया था कि जो वंचित रह गये थे उनको प्लॉट दिये जाएंगे। अगर अर्बन एरिया में जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार द्वारा जमीन खरीदकर संबंधित लोगों को 50–50 गज के प्लॉट दिए जाऐं। सरकार द्वारा 20 साल तक आसान किस्तों पर 2 कमरों का मकान बनाकर देने का वायदा किया था परन्तु इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की बात की जाती है जिसका प्रत्येक दिन टेलीविजन पर बड़े जोर–शोर से प्रचार–प्रसार किया जाता है। हरियाणा प्रदेश में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' लागू नहीं की गयी है और न ही 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत किसी को मकान या कोई ग्रान्ट दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने लगभग 26 लाख राशन कार्ड धारकों के आधार कार्ड न बने होने के बहाने से उनके नाम बी.पी.एल. की लिस्ट से काट दिये गए जिसके कारण पिछले सत्र में सदन में काफी हंगामा भी हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बात के ऊपर हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को सदन की बैठकों में भाग लेने से सस्पैंड भी कर दिया था। यह प्रश्न अभी भी खड़ा है कि सरकार द्वारा उन 26 लाख राशन कार्ड्ज होल्डर्ज को कब तक बी.पी.एल. की लिस्ट में जोड़ा जाएगा और उनको राशन कब दिया जाएगा ? सरकार ने वायदा किया था कि सफाई कर्मचारियों को रैगुलर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह भी बताने की

कृपा करे कि कितने सफाई कर्मचारियों को रैगुलर किया गया है और क्या उनको मिनिमम 15,000 रुपये वेतन दिया गया है ? सरकार द्वारा गरीब परिवारों को राशन डिपों में तेल और चीनी देकर उनके साथ धोखा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि उनको अपमानित भी किया जा रहा है। इससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त किसानों की पेंशन बनाने की बात की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बी.पी.एल. परिवारों के लगभग 26 लाख राशन कार्ड न होने की बात कही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों के लगभग 25 लाख राशन कार्ड हैं । मेरा तो माननीय सदस्य को यही कहना है कि वह पहले अपनी फिगर्स को ठीक कर लें । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 26 लाख ऐसे बेनीफिशरिज़ मैम्बर्ज थे, जिन्होंने अपने राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाये थे। हमने बी.पी.एल. परिवारों के राशन कार्ड काटे नहीं हैं, उनका राशन इसलिए बंद किया गया था ताकि वे अपना आधार लिंक करवा लें । जब वे अपना आधार लिंक करवा लेंगे तो उसी समय उनको राशन उपलब्ध करवा दिया जायेगा । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को ले आयें जिसने अपना राशन कार्ड आधार से लिंक करवा रखा है फिर भी उसे राशन नहीं मिल रहा है तो उसको उसी वक्त राशन उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री कर्ण देव कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने लगभग 26 लाख की फिगर्स जो बताई है उसको सदन की कार्यवाही की प्रौसीडिंग्स में ठीक करवा लिया जाये ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' की बात आई है कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ जमीन है, उनको सरकार की तरफ से 3 किस्तों में दो–दो हजार रुपये करके 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे, यह अच्छी बात है लेकिन यह ''ऊंट के मूंह में जीरा'' वाली बात हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के पास अपनी

खुद की जमीन नहीं है, जो व्यक्ति रोज कमाता है और रोज ही खाता है। उस मजदूर को जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती है, वे बेचारे भूखे पेट ही सो जाते हैं। जो मजदूर खेती–बाड़ी नहीं करता है, गरीब आदमी है, कोई रिक्शा चलाकर अपना पेट भरता है तो कोई रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करता है या वह कोई और काम करता है। उस गरीब मजदूर के पास अपने कोई रोजगार के अन्य साधन नहीं होते हैं, सरकार ने इन मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है? अध्यक्ष महोदय, गरीब मजदूर के पास एक एकड़ जमीन तो क्या 100 गज जमीन भी नहीं है और सरकार ने उन गरीब मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की नीतियां दलित विरोधी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने भर्तियों में बैकलॉग भी पूरा नहीं किया है । आज जैसे प्रो. रविन्द्र बलियाला जी के प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि सरकार द्वारा 3 लाख 45 हजार छात्रों को छात्रवृत्तियां तक नहीं दी गईं। यह सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' की बात करती है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता है। सरकार ने विपक्षी दलों के हल्कों में कोई ध्यान नहीं दिया है। केन्द्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को एक घोषणा की थी, जिसका नम्बर 12530 है। इस घोषणा को हुए लगभग तीन साल से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी दिनांक 9 अक्तूबर, 2016 को हसनपुर आये थे और दोबारा से घोषणा की थी कि हसनपुर में यमुना पुल बनाया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, तीन साल बीत जाने के बाद भी वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस बात को लेकर वहां के लोग तीन बार आमरण अनशन भी कर चुके हैं । उन्होंने 15 दिन पहले ही आमरण अनशन खत्म किया है, इन सब बातों से यही पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई घोषणाओं का रिजल्ट जीरो है । (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 वर्षों तक क्या कर रही थी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज बनाने के लिए घोषणा की थी, जिसका नम्बर 15177 है । अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने floor of the house यह कमिटमैंट की थी कि एक हफ्ते के अंदर–अंदर पिगौंड में गर्ल्स कॉलेज का काम शुरू करवा दिया जायेगा लेकिन उसके बावजूद भी गर्ल्स कॉलेज नहीं बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 20 किलोमीटर के आसपास कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी सरकार के अधिकारी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं । मेरे हल्के में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : स्पीकर सर, जब इनकी पार्टी की सरकार थी तब तो इनको अपने नेताओं की चाकरी करने से फुर्सत नहीं थी। अब इनको हल्के के विकास की याद सता रही है। 10–15 साल में इनको अपने हल्के के विकास की कोई याद नहीं आई। उस समय तो ये अपने बड़े नेताओं के तलवे चाटने का ही काम करते थे।

श्री अध्यक्ष : बेदी जी, आप कृपया बैठें। उदय भान जी आप कंटीन्यू करें।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा नम्बर 15190 है जोकि होडल के बस स्टैंड के लिए थी यह घोषणा 09 अक्तूबर की है। इस घोषणा को हुए अढ़ाई साल हो गये हैं लेकिन अभी तक इस घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हसनपुर के बस स्टैंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 15174 है। इस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही अग्रसैन पार्क के लिए माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा नम्बर 15176 है इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बंचारी में 66 के.वी.ए. के पॉवर सब–स्टेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा नम्बर 15179 है। इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हुडा सैक्टर के लिए माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा नम्बर 15186 है इस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से सती सरोवर की रेनोवेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा नम्बर 15182 है इस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है। ऐसे ही सरकार द्वारा जो योजना 10 हजार से ज्यादा की आबादी के गांवों में विकास करवाने के लिए चलाई गई हैं इसमें मेरे हल्के के 6 गांव क्रमशः खामी, बड़ूखी, दिघोट, बंचारी,

सोंगल और औरंगाबाद शामिल किये गये थे। इन 6 गांवों में विकास के लिए 18.83 करोड़ रूपये के एस्टीमेट्स बनाकर भेजे गये थे लेकिन इस मामले में भी अभी तक आगे की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा नम्बर 15187 थी के तहत स्वीकृत की गई थी। इसी तरह से सब–तहसील की बिल्डिंग जो कि हसनपुर में बननी थी उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा नम्बर 15180 थी। इस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री घोषणा मुख्यमंत्री हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी घोषणायें की जाती हैं उनके ऊपर आगे की कोई कार्यवाही नहीं होती है। जो इस सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास यह पूरी तरह से खोखला और झूठा नारा है इसके बारे में बात करना समय की बर्बादी है। सरकार के ये सभी नारे वोट हासिल करने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की घोषणा की गई थी लेकिन सवा चार के शासन काल में सरकार द्वारा अपना यह वायदा भी पूरा नहीं किया गया है और ऐसा न करके कर्मचारियों के साथ वायदाखिलाफी की गई है। सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए 6.19 करोड़ रूपये के 407 एम.ओ.यू. साईन किये गये थे उनमें भी अभी तक आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरस्वती उत्सव के नाम पर भी सरकार द्वारा संसाधनों का दुरूपयोग किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों के नाम पर अच्छे–अच्छे होटल्ज़ में जाकर केवल मौज–मस्ती की गई है और इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है। सरस्वती नदी के नाम पर सैंकड़ों करोड़ रूपये सरकार द्वारा बर्बाद कर दिये गये जबकि वास्तव में कुछ नहीं किया और ये लोग वहां पर मात्र एक छोटा सा गड्ढ़ा खोद कर बैठ गये। वर्तमान सरकार के सभी काम फर्जी और झूठे साबित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि यह सरकार कहती ही कहती है और करती कुछ नहीं है क्योंकि करने के नाम पर सरकार का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। सरकार द्वारा प्रदेश की सभी नहरों और रजबाहों की टेल तक पानी पहुंचाने की बात बार–बार की जा रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जो ड़ाडका माईनर है उससे करीब 6000 एकड़ की सिंचाई होती है उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा रही है। मेरे हल्के के किसी भी रजबाहे में पानी बिलकुल भी नहीं जा रहा है। हमारे वहां पर होडल शहर में रोड की सिक्स लेनिंग का काम चल रहा है। वहां पर होडल की

आबादी के लिए जो ड्रैन बननी है उसके कारण दोनों तरफ से सारी की सारी सड़क बंद हुई पड़ी है। वहां पर भी लम्बे अर्से से यही कहा जा रहा है कि इस सड़क को अब शुरू करेंगे लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा है। वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। यह काम भी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में दर्ज़ है। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणायें हैं वे प्रदेश की जनता को गुमराह करने मात्र को हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी घोषणा में कोई दम नहीं है। मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि सरकार का 'सबका साथ – सबका विकास' का नारा झूठा और खोखला है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा कोई विजन नहीं है कि आने वाले साल में सरकार क्या करने जा रही है। शायद इन्होंने सोच लिया है कि आगे हमारी सरकार नहीं आ रही है। सरकार ने पीछे जो वायदे किये थे उन पर कोई काम नहीं हुआ है। यह इस सरकार का आखिरी बजट सैशन है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग कह सकें कि हमारी सरकार ने कुछ किया है। मैं किसानों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं। 6 हजार रुपये वार्षिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि देकर सरकार बहुत वाह–वाही लूट रही है इस प्रकार से किसान को भीख देने की बात की गई है। किसान को सुविधा देने की बात नहीं की गई है। किसान के इनपुट्स की कीमत कम करने की बात नहीं की गई है। आज हरियाणा में साढ़े 16 लाख किसान हैं जिनमे से 15 लाख किसान कर्जदार है तथा 65 हजार करोड़ रुपये का कर्जा इन किसानों पर है। इनमें से 9 लाख किसान तो तीन–तीन जगह से बैंकों और सोसायटीज से कर्ज लिए हुये हैं। उनके बारे में सरकार की तरफ से कभी नहीं सोचा गया। अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का एक बहुत ही गम्भीर मामला है लेकिन सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। सरकार किसान की हालत को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं सारी रिकॉर्ड की और तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं। अगर सरकार यह रिकॉर्ड लेना चाहे तो मैं दे भी सकता हूं। अगर किसान के लिए हमदर्दी हो तो बात को सुनो और किसान की हालत को समझो। किसान के लिए

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दिया है मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना नामक स्कीम लागू की थी लेकिन आज किसान अपनी फसल का मुआवजा लेने के लिए बीमा कम्पनियों के पास मारा–मारा फिर रहा है लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। पहली ही बार 63 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना के तहत किसानों का प्रीमियम तीन–तीन जगह से काट लिया गया लेकिन आज तक उस 63 करोड़ रुपये का कोई पता नहीं है कि वह पैसा कहां गया। आज यहां पर सरकार के सभी विधायक बैठे हुये हैं जो अपने आपको जमींदारों का हमदर्द बता रहे हैं, ये बता दें कि ऐसा कौन सा विधान सभा क्षेत्र है जिसके किसान फसलों का मुआवजा लेने के लिए बीमा कम्पनियों के विरुद्ध अदालतों में नहीं गये। पिछली जो बीमा कम्पनीज थी उनको बदल कर दूसरी कम्पनियां ला दी गई और पिछली कम्पनियां जवाब नहीं दे रही हैं। इससे किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ है और किसान दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए पहला काम किया है। उसके बाद यह किया है कि पानी का आबियाना बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से पेस्टीसाइट्स, यूरिया तथा बीजों पर जी.एस.टी. लगा दिया है जिससे इनके दाम डेढ़ गुणा तक बढ़ गये हैं।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, इसका जवाब सुबह मंत्री जी ने दे दिया था कि 50 करोड़ किसानों का प्रीमियम था उसके ऐवज में 109 करोड़ मुआवजा बीमा कम्पनियों की ओर से दिया गया है।

कृर्षि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा कम्पनियां किसानों से प्रीमियम के पैसे खा गई और बाद में मुआवजा नहीं दिया। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि इनसे इसकी पूरी डिटेल ले ली जाये, यहां सदन में ख्वामखाह का भाषण नहीं होना चाहिए। सर, इस बारे में सुबह जवाब दे दिया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि यहां भाषण के लिए भाषण न दें बल्कि डिटेल सब्मिट करें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः स्पीकर सर, अगर सरकार किसानों की इतनी ही हितैषी है तो बजट में वाटर कोर्स बनाने का प्रावधान करती। पहले किसान से 20 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वाटर कोर्स का खर्चा लिया जाता था लेकिन अब सरकार ने प्रति एकड़ कुल कॉस्ट का 10 प्रतिशत खर्च किसान पर डाल दिया है। अगर 60 लाख का खर्च आयेगा तो 6 लाख रुपया किसानों को देना पड़ेगा। किसानों के

पास इतना पैसा कहां से आयेगा? सरकार ने वाटर कोर्स की वह स्कीम बंद कर दी है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक नहीं है, किसानों से वाटर कोर्स के लिए 10 प्रतिशत पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो आबियाना बढ़ाने की बात की जा रही है वह भी नहीं बढ़ाया गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जहां तक कीटनाशकों की बात है तो आज गेहूं के लिए किसान जो मडूसी की दवाई का छिड़काव करता है तो खरपतवार नष्ट नहीं हो रहा है और वह दवाई फेल हो चुकी है जबकि किसान को उस दवाई का खर्च उठाना पड़ता है। आज मडूसी के लिए किसानों का एक एकड़ पर लगभग 5 हजार रुपये खर्च आता है और सरकार 2 हजार रुपये की किश्त किसानों को दे रही है। इसी प्रकार से किसानों की बहबूदी के लिए कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च होती थी, केन्द्र सरकार ने उन अढ़ाई हजार साइंटिस्ट्स की पोस्ट्स खत्म कर दी है तो फिर किसानों के लिए नई खोज कैसे होंगी? यदि खोज नहीं होंगी तो इनका भला कैसे होगा ? कैसे नई–नई खोज होंगी ? ये रिकॉर्ड की बात है । अब मैं गन्ने व बाजरे की खरीद के बारे में बताना चाहता हूं कि आज एक एकड़ में मिनिमम 400 क्विंटल गन्ना होता है । उसमें से सरकार ने पिछले साल किसानों का 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना लिया था और इस साल 160 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना लिया है । इसमें से किसानों का जो 240 क्विंटल गन्ना बच गया है वह कहां गया ? वह गन्ना बाहर यू.पी. में गया है । जिसके पैसे आज भी अटके पड़े हैं । यू.पी. वालों ने वह गन्ना 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया है । अध्यक्ष महोदय, अब आप हिसाब लगा लें कि वह गन्ना किसान को किस भाव में पड़ा है जिसमें उनका अतिरिक्त खर्चा भी लगा होगा । यदि सरकार किसानों का गन्ना 340 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लेती तो एक एकड़ का 1 लाख 36 हजार रुपये बनता है । यदि सरकार 160 क्विंटल गन्ना लेती है और बाकी गन्ना किसान को बाहर बेचना पड़ता है तो उसमें किसान को कुल मिलाकर एक एकड़ में 1 लाख 6 हजार रुपये मिलता है । इस तरह से किसान को गन्ने की फसल में 30 हजार रुपये प्रति एकड का घाटा हुआ है जबकि सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक केवल 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की त्रैमासिक किश्त ही दी है । जहां तक बाजरे की बात है बाजरा 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है लेकिन सरकार

उसमें से किसानों का 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बाजरा खरीदती है । वह 8 क्विंटल बाजरा 1100–1200 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है । उसमें भी किसान को 6 हजार रुपये का घाटा होता है । अगर दूसरी फसल बोएंगे तो उसमें किसान को कितने रुपये का घाटा होगा । इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । इस तरह से किसान के साथ यह सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है । चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे वह हरियाणा की सरकार हो । जब हरियाणा का किसान फसल पैदा करता है तो उसकी पूरी फसल क्यों नहीं खरीदी जाती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : मलिक साहब, हमारी सरकार तो खरीद रही है लेकिन इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी किसान का गन्ना बचा हो तो माननीय सदस्य बता दें । हमने जून महीने तक शुगर मिलें चलाई हैं । हमने अबकी बार 8 करोड़ 20 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है । अगर किसी किसान का गन्ना बचा हो तो ये हमें बताएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, महीपाल जी तो यह पूछ रहे हैं कि पिछली सरकार ने कितना गन्ना खरीदा था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी, ने देखना है क्योंकि किसानों की बात चल रही है । (शोर एवं व्यवधन) एक साल में दो फसल होती है । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप किसान हो आप तो जानते हो ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, महीपाल जी तो यह पूछ रहे हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में किसानों के लिए क्या योजना थी जिसके द्वारा गन्ना खरीदा गया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष : महीपाल जी, प्लीज, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, Hon'ble Member Shri Mahipal Dhanda is suffering from Oral Diarrhea disease. He needs to be treated. So, send him for treatment of Oral Diarrhea from which he is suffering. He does not know what he is saying. (Interruption) Oral Diarrhea is illness. (Interruption)

Shri Jagbir Singh Malik : Speaker Sir, I want your protection. (Interruption)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यगण कहते हैं कि हमने गड़बड़ी की है । मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उस गड़बड़ी की तरफ कभी ध्यान दिया था ? इस बारे में भी सदन में बताया जाए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं चाहे वह सैंटर के हैं, चाहे वह स्टेट के हैं मैं उनकी सोच के बारे में बताना चाहता हूं । किसान की आत्महत्या के बारे में केन्द्रीय कृषि मंत्री का ये ब्यान था कि किसान नपुंसकता और प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं । हमारे कृषि मंत्री महोदय, यह कहते है कि किसान कायर हैं इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं । हमारे मंत्रियों की तो यह सोच है । मोदी सरकार के केन्द्र में आने के बाद आज देश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 41.7 प्रतिशत पहले से ज्यादा बढ़ा है । यह नैशनल क्राईम ब्यूरो के रिकॉर्ड की बात है । केन्द्रीय मंत्री का ब्यान है कि हमारे पास किसान आत्महत्या से संबंधित कोई डाटा नहीं है कि किसान आत्महत्या करते हैं या नहीं करते हैं। केन्द्र सरकार को यह नहीं पता कि अब तक कितने किसानों ने आत्महत्या की हैं और मैं आज इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात किसानों के साथ क्या–क्या किया गया है। कृषि के क्षेत्र में पिछले तीन साल से लगातार अनाज का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है जिसका मुख्य कारण केवल और केवल मात्र किसानों की फसल को सस्ती दरों पर खरीदने का रहा है। जहां तक चीनी की बात है जिस पाकिस्तान के खिलाफ हम इस सदन में निन्दा प्रस्ताव तक लेकर आए है, उसी पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल पहले 65 लाख टन चीनी इंपोर्ट की, नाइजीरिया से 60 लाख टन दाल इंपोर्ट की गई, आस्ट्रेलिया से 58 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया गया। इंपोर्ट करने की वजह से जो हमारे किसान की फसल है वह सस्ती बिकती है। विडम्बना देखिए पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी 25 परसैंट हुआ करती थी अब उसे शून्य कर दिया गया है और इस प्रकार अब बाहर से जो भी अनाज आयेगा वह बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के आयेगा जिससे हमारे किसानों के हित कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। किसको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस सरकार ने किसान के बिजली का ट्यूबवैल लगाने का खर्च तथा किसान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डीजल का रेट बढ़ाकर भी किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जबकि सरकार का फर्ज यह था कि वह किसान

16:00 बजे

को किसी प्रकार का कोई ऐसा परमिट देती जिसकी वजह से उसकी आमदनी बढ़ती, किसान के लिए डीजल सस्ता करती या किसान को कुछ नई फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती। अभी पीछे जो फ्लड आया था उस फ्लड में किसानों की 85 लाख एकड़ जमीन खराब हो गई थी और इतना समय बीत जाने के बाद आज भी किसान का 161 करोड़ रूपये का मुआवजा अटका हुआ है। सरकार को इस मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द किसानों को दिलाने का काम करना चाहिए। सरकार द्वारा 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' योजना के बारे में बड़ी–बड़ी डींगे हांकी जा रही हैं लेकिन वास्तव में इस योजना से किसान का नुकसान ही होगा क्योंकि इस योजना के तहत मात्र 30 प्रतिशत किसानों की ही रजिस्ट्रेशन हो पाई है और इस प्रकार जो बाकी बचे 70 प्रतिशत किसान हैं, उनकी फसलों को व्यापारी ओने पोने दामों में ही खरीदेंगे जिससे एक तरह से अनरजिस्टर्ड किसानों का नुकसान ही होगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' योजना के तहत कितने परसैंट किसानों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है? जब इंडिया के पास बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध है तो फिर क्यों बाहर से गेहूं इंपोर्ट किया जाता है? इस जिम्मेवारी को सरकार को सीरियसली निभाना चाहिए। 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को तीन–तीन बार जमीन की फर्द लेकर वैबसाइट पर रजिस्टर्ड होने के लिए जाना पड़ता है लेकिन कभी वैबसाईट के बंद होने का बहाना बनाकर किसान को परेशान किया जाता है तो कभी पटवारी द्वारा किसी न किसी बहाने 200 रुपये चार्ज करके किसान को परेशान करने का काम किया जाता है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किसान के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है और न ही इस बात की जरूरत है कि जो किसान इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करायेगा उसकी फसल सरकार नहीं खरीदेगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें कहीं न कहीं किसान की फसल न खरीदने का एक बहाना मात्र है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो लोग किसान हित का ढ़ोंग कर रहे हैं, वास्तव में इनको किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। यह लोग नहीं चाहते कि किसान रिकॉर्ड पर आये और किसानों के हितों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई पेंशन जैसी स्कीमें इंप्लीमैंट हो। ये लोग सदा से ही फर्जी किसानों के पक्ष में रहे हैं। वास्तव में 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' स्कीम से रजिस्ट्रेशन का फायदा यह होता है कि सभी चीजें रिकॉर्ड पर आ

जाती है कि जैसे असल में किसान कौन है, उसने क्या फसल बोई है, उसका कितना माल बिकना चाहिए और यह सारा रिकॉर्ड किसान को पेंशन व दूसरी सुविधायें देने में बहुत काम आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित के लिए अनेकों योजनायें चला रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अब से पहले किसानों की आड़ में अनेक तरह के फर्जीवाड़े चलाये जाते रहे हैं। किसान की जगह आढ़ती सरकार की किसान हित की योजनाओं का लाभ लेते रहे हैं। पहले बाहर से बाजरा लाकर बेचा जाता रहा और किसान हित की योजनाओं का फर्जी तरीके से लाभ उठाया जाता रहा है लेकिन अब यह फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान के बाजरे का एक–एक दाना खरीदा जायेगा। यही नहीं अब तो किसान की सरसों की फसल खरीदने का भी निर्णय ले लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब हरियाणा का किसान खेत में फसल पैदा करता है तो क्या सरकार का यह नैतिक फर्ज नहीं बनता कि वह किसान की सारी फसल खरीदे और यदि दूसरे प्रांत से कोई अपनी फसल को बेचने के लिए हरियाणा की मंडियों में लाता है, तो उसको रोका जाये। यह काम सरकार का है, किसान का नहीं है? सरकार को यह काम जरूर करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर सरकार और क्या करेगी। विगत में भी सरकारें रही लेकिन उनके राज में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस प्रकार इस राज में किया जा रहा है। किसान के फसलों की कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के बहाने तंग करने का काम ही कर रही है? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि दांगी साहब को तथा जगबीर मलिक जी को एक बार सारी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब बहुत ही समझदार आदमी हैं और वे खुद भी एक किसान हैं इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि किसान का सही आंकड़ा सामने आना किसान के अपने पक्ष में है तथा किसान के फायदे में है। इस तरह की बातों का विरोध करना एक तरह से किसान विरोधी कदम ही है। किसान की सही जानकारी आना किसान के पक्ष में है और किसान की सही

जानकारी को रोकने के लिए यदि कोई दल काम करता है तो यह किसान विरोधी कदम ही माना जायेगा। वास्तव में इस तरह की बातें करने वाले लोग असली किसानों को फायदा पहुंचाने से रोकना चाहते हैं और नकली किसानों को ही फायदा देना चाहते हैं। किसान हित का दिखावा दिखाने वाले ये लोग नकली पर्ची बनाकर मंड़ियों में अपना माल बेचते रहे हैं और इन लोगों ने कभी भी असली किसानों का माल बिकने ही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने एक–एक किसान के बाजरे का एक–एक दाना खरीदा गया है और एक–एक किसान की सरसों भी खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूँ कि किसानों का जो यह रिकॉर्ड लिया जा रहा है इससे किसानों का हित ही होगा और इससे नकली किसानों का पता चल जायेगा। इस तरह की चीजों का विरोध करने वाले अब्सैंटी किसानों को ही फायदा पहुंचाना चाहते है। इस तरह की बातें करने वाले वास्तव में किसान विरोधी है। किसान का रिकॉर्ड होना, किसान का कार्ड होना किसान की पेंशन होना यह किसान के पक्ष की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, यह सब किसान के हित की बात है मैं मानता हूँ लेकिन असली बात यह है कि जब सरकार के पास गिरदावरी वगैरह का पूरा रिकॉर्ड है तो फिर इस तरह के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर गांव में पटवारी है, पटवारी के पास भी सारा रिकॉर्ड मौजूद हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः दांगी साहब आपको किसान का सही रिकॉर्ड लाने में क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृषि महकमे के मालिक हैं उनको छूट है, वे जो चाहे करें लेकिन किसी बात की यदि पब्लिक में चर्चा है तो उन्हें उस बात की सुनना ही पड़ेगा बाकी जो करना है यह मंत्री जी की मर्जी पर निर्भर है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दांगी जी को किसान का रिकॉर्ड बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी अपने महकमे के मालिक है और उस नाते अपने महकमे में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा लोगों में है, माननीय मंत्री जी को वह बात सुननी पड़ेगी। यह सही है कि किसान गेहूं को कहीं से खरीदकर मण्डी में नहीं बेच सकता है। अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी का टोटल रिकॉर्ड हर तहसील में पटवारी के पास होता है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दांगी जी को पता नहीं किसने कह दिया कि गेहूँ को इस रिकॉर्ड से खरीदेंगे। हम यह रिकॉर्ड इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वास्तव में हमें यह पता लग सके कि उत्पादक कौन है और विक्रेता कौन है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि उत्पादक का माल बिके और बेचने वाले का माल न बिके। एक माननीय सदस्य द्वारा एक सवाल यह उठाया गया था कि पैडी बिकती कितनी है और आती कितनी है। माननीय सदस्य कितनी बड़ी बात सदन को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें यह सारा सिस्टम ठीक करना है तो हमें उत्पादक का रिकॉर्ड चाहिए। वास्तव में कौन आदमी कितनी फसल उत्पादन कर रहा है और हरियाणा की मण्डियों में कितनी खरीद हो रही है उसका ब्यौरा सरकार को चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूँगा कि इस सिस्टम को ठीक होने दीजिए क्योंकि यह बात किसान के हक में जायेगी। आज किसान अपना ब्यौरा बड़ी खुशी–खुशी दे रहा है। इस बात से पता नहीं दांगी जी को क्यों तकलीफ हो रही है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 25 एकड़ जमीन की बिजाई कर रखी है और मैं ब्यौरा नहीं देता।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, गेहूँ की खरीद में कोई भी ब्यौरा नहीं लिया जायेगा। केवल सरसों की खरीद पर ब्यौरा लिया जायेगा। (विघ्न) मुझे पता नहीं कि रिकॉर्ड इक्ट्ठा करने में विपक्ष के साथियों को क्या दिक्कत हो रही है। रिकॉर्ड इक्ट्ठा होने से कितना उत्पादन हुआ और कितना बिका है, इस बात का पता चल जायेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे गरीब आदमी जमीन को ठेके पर लेते हैं। उसका ब्यौरा कौन देगा? जो व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं और ठेके पर लेकर बिजाई कर रहा है तो उसका ब्यौरा कौन देगा? उसका ब्यौरा कोई भी पटवारी नहीं दे सकता है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, असली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस संबंध में बहुत बड़ा काम किया है उसे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने कोई भी किसान जो दूसरे की जमीन लेकर बिजाई करता है उसका भी ऑप्शन दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' में यदि हुड्डा साहब की जमीन पर मैं बिजाई कर रहा हूँ तो उसका भी ऑप्शन है। 'भावांतर भरपाई योजना' में भी

ऑप्शन है। अध्यक्ष महोदय, हम इस सुधार में बहुत आगे तक गए हैं। अगर दांगी साहब का भी खेत किसी दूसरे आदमी ने ले रखा है तो उसका भी ब्यौरा वह आदमी दे सकता है।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, गेहूं की फसल का क्या भावांतर है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, 'भावांतर भरपाई योजना' के ऐप में भी यह कहा गया है कि यदि कोई भी दूसरे की जमीन लेकर बिजाई कर रहा है तो उसका भी ब्यौरा दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसको भी पैसा देंगे। आज अगर कोई दूसरे की जमीन लेकर बिजाई कर रहा है तो वह उसका रिकॉर्ड दे सकता है और उसकी फसल भी खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि जो जमीन का मालिक नहीं है, उसका भी रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने सरसों के साथ–साथ बाजरे की भी खरीद की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी अपनी जमीन का रिकॉर्ड दूसरे को नहीं देगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, सरकार ने जो इस संबंध में निर्णय लिया हुआ है, कृपया करके सुन लीजिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने हुड्डा साहब की जमीन ले रखी है तो मैं हुड्डा साहब की जमीन का रिकॉर्ड दूंगा और हुड्डा साहब से एन.ओ.सी. लेकर आऊँगा कि ओम प्रकाश धनखड़ ने इस फसल की बिजाई कर रखी है, इसलिए इस फसल की खरीद की जाए। इस तरह का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह काम 'भावांतर भरपाई योजना' में भी कर चुके हैं। 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' में तो सरसों के साथ–साथ बाजरे की खरीद भी की गई है और आगे भी करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अनुमानित तौर पर तो यह ठीक है लेकिन कोई भी जमीन का मालिक किसी दूसरे आदमी को एन.ओ.सी. नहीं देगा, क्योंकि एन.ओ.सी. देने के बाद गिरदावरी उसके नाम हो जायेगी। इस तरह से यह कैसे हो जायेगा? सरकार ऐसे काम न करे जिससे किसानों को धक्के खाने पड़े।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमने काफी सुधार कर दिया है। हमने इसका संबंध गिरदावरी से नहीं रखा है। यह केवल फसल की बेच और खरीद से ही संबंधित है। इस तरह का सुधार हमारी सरकार लेकर आई है। अध्यक्ष

महोदय, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर सकी वो काम हमारी सरकार ने कर दिखाया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. देने का मतलब गिरदावरी दूसरे के नाम करना है। (विध्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ये वहीं अटके हुए हैं । हमने इसका संबंध गिरदावरी से नहीं रखा है । यह केवल फसल की बेच–खरीद से संबंधित है । यह बाकायदा उसमें लिखा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) ऐसा नहीं होगा और यह एक सुधार है जो हमने किया है । यह आपके समय में नहीं हुआ था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, इसका एक ही सौल्यूशन है । (शोर एवं व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है । माननीय मंत्री जी कभी कोई स्कीम बताते हैं तो कभी कोई स्कीम बताते हैं । सरकार ने अनपढ़ और किसान वर्ग को इन बातों में उलझाकर रखा है । मेरा कहना है कि सरकार को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' स्कीम को कैंसिल करना चाहिए । जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार में किसान की हर फसल को खरीदा जाता था उसी तरह से अब फसलों को खरीदा जाना चाहिए । अतः हमारी डिमांड है कि यह नई स्कीम लागू नहीं होनी चाहिए । अगर सरकार ने इस योजना को लागू किया तो फिर सरकार को इसके अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे । इसके अलावा मेरा कहना है कि किसान को जो फसल का एम.एस.पी. दिया जाता है वह अब तक सिर्फ 19 परसैंट बढ़ा है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सारे हरियाणा ने हमें इसका श्रेय दिया है । हमने किसान की सारी फसल 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' योजना से खरीदी हैं और किसानों से हमें इसी तरह अच्छी खरीद का श्रेय मिलता रहेगा । सरकार को मिलने वाला यह श्रेय और स्कीम इनके कहने से नहीं कटेगी । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में किसानों का काफी क्विंटल अनाज पड़े–पड़े खराब हुआ है । मेरा प्रश्न है कि क्या यह एक अच्छी स्कीम है ? मेरा कहना है कि जब से फसल का एम.एस.पी. निर्धारित हुआ है तब से लेकर आज तक यह केवल 19 परसैंट बढ़ा है जबकि इम्पलॉइज की सैलरी में 137–150 परसैंट तक बढ़ौतरी हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे किसानों की आय कहां

बढ़ी है ? आज किसान के बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल आदि का खर्च 300–400 परसैंट तक बढ़ चुका है । किसान को उसकी फसल का उचित भाव नहीं दिया जाता है । उसकी फसल को औने–पौने भाव पर खरीदा जाता है और कहा जा रहा है कि यह सरकार किसान हमदर्द है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी कर लीजिए । अब आपको बोलते हुए 22 मिनट हो चुके हैं । अतः आपको बोलते हुए काफी लम्बा टाइम हो गया है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की बातें अभी बाकी हैं । मेरे शहर गोहाना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वेस्टर्न बाईपास बनाने की घोषणा की थी । इस बाइपास के लिए हमारी सरकार में सर्वे भी हो गया था और लाइनिंग भी हो गई थी कि यहां से बनाया जाएगा । यह घोषणा दिनांक 14.08.2015 को की गई थी । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज तक इस बाईपास पर काम क्यों शुरू नहीं हो पाया ? हमारी सिर्फ यही एक डिमाण्ड थी । इसके अलावा हमने कोई डिमाण्ड नहीं रखी क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है कि हमारी किसी डिमाण्ड को पूरा किया जाएगा । हमारे गोहाना में विकास का कोई काम नहीं हुआ है और सरकार 'सबका विकास सबका साथ' का नारा देती है । सरकार ने मंडियों में फसल की 'ई–ऑक्शन' चालू करने की बात कही थी । कहा गया था कि ई–ऑक्शन से जमींदारों के खाते में सीधा पैसा आएगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की कौन–कौन सी मंडियों में ई–ऑक्शन प्रणाली शुरू की गई है और कितने किसानों के खातों में डायरैक्ट पैसे ट्रांसफर हुए हैं ? इसके अलावा मैं 'आदर्श ग्राम योजना' के बारे में बात करना चाहूंगा । कैथल के क्योड़क गांव माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अडॉप्ट किया हुआ गांव है । मैंने इस गांव की खबर अखबार में पढ़ी थी । वहां के लोग इस योजना से परेशान हैं । (शोर एवं व्यवधान) मेरा कहना है कि सरकार ने किसी भी गांव को आदर्श ग्राम बनाकर उसका विकास नहीं किया है । इसी तरह से एक 'महाग्राम योजना' है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कोई एक गांव का नाम बता दे जहां पर ये योजनाएं पूरी तरह से लागू हुई हों या कोई एक आदर्श गांव का नाम बता दे जिसकी सभी समस्याएं दूर हो गई हों । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डाहर गांव में वर्ष 2015 में एक शुगर मिल की नींव रखी थी । आज तक उस मिल की नींव को पूरा भरा भी नहीं गया है जबकि सरकार का कहना है कि हम घोषणा

करेंगे और काम पूरा कर देंगे । इसके अलावा सरकार ने दादूपुर–नलवी नहर को डीनोटिफाई करने का काम ठीक नहीं किया है । आज तक किसी भी सरकार ने किसानों के साथ इस तरह का धोखा नहीं किया है । सरकार ने इसके डी–नोटिफिकेशन पर कहा कि हम किसानों को गजों के हिसाब से पेमेंट नहीं दे सकते थे और यह सरकार कहती है कि हमारी सरकार किसान–हितैषी है । इसके अलावा कहा गया था कि हम कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे । पंजाब सरकार ने कांट्रैक्ट रेट पर लगे हुए सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार भी हरियाणा में लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, अब आप वाइंड अप कर लीजिए । आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 40 वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, को आज नौकरी से हटा दिया है, इसके अलावा सरकार द्वारा प्रदेश के लिए अलग से न्यायालय स्थापित करने की बात कही गयी थी और लोकपाल की नियुक्ति करने की बात भी की गयी थी। किसानों के लिए खेतों के मार्ग पक्के करने की बात की गयी थी और इसके अतिरिक्त सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का भी वायदा किया था परन्तु सिर्फ डेढ़ घंटे ही बिजली दी जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आपने 3:50 बजे बोलना शुरू किया था और अब आपको बोलते हुए 4:25 का समय हो चुका है। आपको बोलने के लिए 3 गुना टाईम दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब श्री जाकिर हुसैन बोलेंगे।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, प्लीज आप बैठ जाएं। मेरे 3–4 बार घंटी बजाने के बाद भी आप वाइंड अप नहीं कर रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में लगभग 2,000 आवारा पशु घूम रहे हैं परन्तु सरकार की तरफ से उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, प्लीज आप बैठ जाएं। आपको बोलने के लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया था परन्तु आपको बोलते हुए 25 मिनट हो चुके हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का मैनीफैस्टो है जिसमें वायदा किया गया था कि पंचायत के पंच व सरपंचों को नीति निर्धारण करने में भागीदार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंच व सरपंचों को चण्डीगढ़ में बुलाकर नीति निर्धारण के नाम पर उनकी बेइज्जती की थी। पंच व सरपंचों ने हमें बताया कि सरकार ने बेइज्जती की है। वे कहते हैं कि उनकी सरपंची का कार्यकाल ठीक नहीं रहा। सरकार को पब्लिक रिप्रजैंटेटिव्ज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक जी, यह बात सभी को पता है कि कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है। प्लीज, आप बैठ जाएं। आपको बोलते हुए 25 मिनट का समय हो चुका है।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नगर ग्राम योजना का एक हवाला है जिसमें हमारे नूंह क्षेत्र की जमीन हुडा विभाग द्वारा ऐक्वायर की गयी थी और विभाग ने उस जमीन की पोजैशन भी ले ली थी। अब इस हुडा विभाग का नाम बदलकर एच.एस.वी.पी. रख दिया गया है। विभाग द्वारा आज तक उस जमीन में सैक्टर डिवैल्प नहीं किया गया है बल्कि उस जमीन को छोड़ा जा रहा है। हमारे नूंह में जिला हैडक्वार्टर है और यह डिवैल्पिंग एरिया है इसलिए वहां पर सैक्टर बनाया जाना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध हो। सरकार को इसके लिए बजट में प्रौविजन करना चाहिए क्योंकि जमीन सरकार के पास है और इसका मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसी प्रकार सिंचाई के मामले में भी बहुत बातें कही गयी हैं। माननीय गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का जो सिस्टम है उससे दक्षिण हरियाणा के पानी की जरूरतें पूरी होगी। यह बात तथ्यों से पूरी तरह से अलग है। जहां तक मैं समझता हूं और यह बात पूरा देश और प्रदेश भी जानता है कि जब भी दक्षिण हरियाणा की बात आती है तो उसमें मेवात, फरीदाबाद, पलवल और

गुरूग्राम जिला शामिल होता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने सिंचाई एवं जल संसाधन का जिक्र अपने अभिभाषण में किया है उससे हमारे 4 जिलों का कोई लेना–देना नहीं है। इन 4 जिलों से लगभग 17–18 माननीय सदस्य चुनकर आते हैं और सभी माननीय सदस्यों ने बार–बार सरकार के सामने अपने–अपने क्षेत्रों के लिए पानी की मांग रखी है। इसमें चाहे आगरा कैनाल के पानी की बात हो या चाहे गुरूग्राम कैनाल के हिस्से के पानी की बात हो। हम सभी माननीय सदस्यों ने पानी के लिए मिलकर मांग की है। मैं केवल अपने हल्के के लिए पानी की बात नहीं कह रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो स्टेटमैंट दी गयी है वह फैक्ट्स से अलग है। यह सिर्फ 2–3 जिलों की ही बात है जिसमें रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के लिए ही पानी की पूर्ति हो सकेगी। इससे हमारे जिलों को एक बूंद पानी का भी फायदा नहीं होगा। दक्षिण हरियाणा की पानी की जरूरतें पूरी होंगी इस तरह का नाम लेकर हाउस को मिसगाइड किया गया है, इसलिए अभिभाषण से यह बात हटायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि दक्षिण हरियाणा के प्रत्येक जिले की नहर की टेल तक पानी पहुंचाया गया है यह बात सही है कि दक्षिण हरियाणा के प्रत्येक जिले की नहर की टेल तक पानी पहुंचा है। यह फैक्ट है और काम भी हुआ है, लेकिन आगरा कैनाल की कमांड व कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। जिस क्षेत्र से मैं स्वयं और हमारे दूसरे माननीय सदस्य श्री उदय भान जी, श्री रहीश खान जी भी आते हैं उन क्षेत्रों की नहरों में पानी भी नहीं आ रहा है, टेल तक पानी पहुंचने की बात तो दूर है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके इस कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं सजैस्ट करता हूं कि पूरा हाउस एक रिजौल्यूशन पास करे ताकि इन जिलों के किसानों को पानी मिल सके। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि गुरूग्राम कैनाल की प्लानिंग सन् 1954 में हुई थी, वर्ष 1969 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसके बाद चाहे वर्ष 1980 में जे.एल.एन. फीडर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ हो और चाहे वर्ष 1965 में भाखड़ा बरवाला ब्रांच की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, इनको तो पानी रावी ब्यास से दे दिया गया था लेकिन जब वर्ष 1966 में हरियाणा बना तो रावी ब्यास के पानी में से प्रोराटा बेसिस पर पानी का हक हमारा बनता था । अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले को गुरूग्राम कैनाल से एक बूंद भी पानी का प्रौविजन नहीं किया गया। आज जिसके कारण हमारे चारों जिले दिल्ली के दूषित पानी से सिंचाई करने को मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश

धनखड़ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था लेकिन हमें वर्ष 1966 से लेकर के आज तक एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। जैसा कि सभी को पता ही है कि हरियाणा प्रदेश की यह सबसे पहली नहर होने के बावजूद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें इस नहर का पानी मिलना चाहिए लेकिन बार–बार यह कहा जाता है कि हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी है। यह बात ठीक है कि जब एस.वाई.एल. कैनाल का पानी आयेगा तभी दिया जायेगा। डिस्ट्रिक्ट नूंह में हर जिले में पानी के लिए अर्बनाईजेशन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके यमुनानगर की बात अलग है, हम तो अपने यहां कमांड एरिया की बात कर रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अर्बनाईजेशन की बात करूं तो मेरे अनुमान में चाहे उसमें फरीदाबाद जिला हो, चाहे सोनीपत जिला, चाहे रोहतक जिला, चाहे करनाल जिला हो और चाहे अम्बाला जिला हो, मैं समझता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी कालोनियां बनी हुई हैं और चाहे बड़े–बड़े शहरों में सैक्टर्ज कटे हुए हैं। आज उस हिसाब से हरियाणा प्रदेश में एग्रीकल्चर की लैंड आधी से भी ज्यादा रह गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो हमारे प्रदेश का कमांड एरिया है, वह बहुत घट चुका है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जो नहरों का कमांड एरिया है, उसकी री–कैलकुलेशन होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि पानी की री–कैलकुलेशन करने के बाद गुरूग्राम कैनाल का इन चारों जिलों को पूरा पानी मिल पायेगा इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः निवेदन है कि कमांड एरिया की री–कैलकुलेशन करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेवात फीडर कैनाल का पानी 600 क्यूसिक्स ही पास किया था लेकिन बाद में उसे घटाकर 300 क्यूसिक्स कर दिया गया । आज तक 300 क्यूसिक्स करने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से कभी तो यह कह दिया जाता है कि इसके निर्माण करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसे–ऐसे पुल बने हुए हैं, जिनमें 500–500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । हमारे चारों जिलों में पीने का पानी ठीक नहीं है और हमें मजबूर होकर के दूषित पानी से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे भारी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे माननीय विधायक श्री करण सिंह दलाल जी, श्री उदय भान जी ने यह बात रखी है और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। मेवात फीडर कैनाल को बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी जाये क्योंकि इन 4 जिलों में जम्मींदारों की लगभग 30 लाख की आबादी है और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कीमत मेवात फीडर कैनाल को बनाने में खर्च हो सकती है इसलिए मेवात फीडर कैनाल का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष

महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी जो लाइफ लाईन एस.वाई.एल. कैनाल है उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है। हमें इस बात का बहुत दुःख है । इसके बावजूद भी इस महान सदन में साढ़े साल से बार–बार इसी बात पर चर्चा भी होती रही है । अध्यक्ष महोदय, नहरी विभाग से जो काम मंजूर हो जाते हैं जैसे कि 5 ब्रिजज़ को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय ने दिनांक 25 जून, 2018 को मंजूरी दे दी थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कलींजर के रेस्ट हाउस की दिनांक 08.12.2017 को ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सारी बातें रिकॉर्ड भी की जा रही है और यदि आपकी मंजूरी हो तो इसकी एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को देना चाहूंगा, जिनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है ताकि इस पर फौरन कार्यवाही शुरू हो सके। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि हमारे मेवात फीडर कैनाल का काम भी बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। इसी तरह से गरीबों के खाने के लिए 'अंत्योदय आहार योजना' शुरू की गई है । मैं समझता हूं कि इस योजना के और भी सैंटर होंगे तो हमारे नूंह जिले को भी इस योजना में शामिल किया जाये क्योंकि नूंह जिले में बहुत गरीबी है इसलिए वहां पर इस योजना की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि वहां पर दो सैंटर एक नूंह जिले में और एक बड़कली या फिरोजपूर झिरका में खोले जायें ।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि 'अंत्योदय आहार योजना' बहुत ही लोक हितैषी योजना है। हमारी सरकार इस योजना को 22 के 22 जिलों में खोलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमें जिस जिले में जहां–जहां भी स्थान उपलब्ध हो रहे हैं, वहां–वहां इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं । जहां तक नूंह हल्के की बात है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वहां पर भी जल्दी ही इस योजना का सैंटर खोल दिया जायेगा ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। यह बात अभी माननीय साथी श्री केहर सिंह जी ने भी कही कि मेवात विकास बोर्ड के जो 6 ब्लॉक्स हैं जिनमें हथीन भी हैं इन 6 ब्लॉक्स में भी यह अंत्योदय आहार संस्थान खुलें, यह हमारी मांग हैं जो कि बहुत जरूरी भी है। इसी प्रकार से 33 के.वी.ए. के दो पॉवर सब–स्टेशन नूंह में बन रहे हैं। एक

उझीना में और एक घासेड़ा में जिनमें से 11–11 के.वी.ए. की तीन पॉवर लाईन्ज़ जायेंगी। मेरा इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों पॉवर सब–स्टेशंज़ का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये क्योंकि ये पिछले काफी समय से बन रहे हैं लेकिन अभी तक भी इनका काम पूरा नहीं हुआ है। इनके अभाव में एग्रीकल्चर और डोमैस्टिक दोनों फीडर्ज़ के कंज्यूमर्स को बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर जो एग्जिस्टिंग पॉवर लाइन है उसके ऊपर काफी हैवी लोड है जिससे बार–बार कट्स लगते रहते हैं। इसके अलावा मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि मेवात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल, फूल और सब्जी मण्डी का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये जिससे मेरे क्षेत्र के किसानों का भी फल, फूल और सब्जी उगाने की तरफ ज्यादा से ज्यादा रूझान बढ़े। जहां तक इसके लिए जमीन की उपलब्धता की बात है मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि तावडू में सब्जी मण्डी के पास 22 एकड़ जमीन है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मण्डी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से नूंह और फिरोजपुर झिरका में भी इस उद्देश्य हेतु जमीन ली जा सकती है। इससे वहां के किसानों का बहुत फायदा होगा और उनकी आमदनी कई 100 गुणा बढ़ जायेगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम शीघ्र ही गुरूग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल, फूल और सब्जी मण्डी का शिलान्यास करने जा रहे हैं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बंन्ध में यही कहना है कि गुरूग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल, फूल और सब्जी मण्डी का शिलान्यास हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर सरकार तावडू, नूंह या फिरोजपुर झिरका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल, फूल और सब्जी मण्डी स्थापित करेगी तभी हमारे क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। मैं एक बात और माननीय कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस मण्डी को मेवात विकास बोर्ड के तहत मंजूर भी किया जा चुका है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में सैंटर फॉर एक्सीलैंस खोलने का एलान किया गया था लेकिन जिला मेवात में अभी तक भी सैंटर फॉर एक्सीलैंस नहीं खोला गया है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नूंह में सैंटर फॉर एक्सीलैंस जल्दी से जल्दी खोला जाये। जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है इस बारे में पशुपालन विभाग द्वारा लोगों को

सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। पशुओं के इंश्योरैंस इत्यादि भी नहीं किये जाते हैं। अच्छी नस्ल के पशु अगर हम भी लेना चाहें तो हमें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे इलाके में लोग डेयरी उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन जब तक अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की सर्टीफिकेशन के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से कोई कारगर पहल नहीं की जायेगी तब तक कोई भी व्यक्ति इस ओर कदम उठाने का प्रयास नहीं करेगा इसलिए सरकार के पशुपालन विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है सरकार द्वारा मैडीकल और डैंटल कॉलेजिज खोले जा रहे हैं यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन हमारे इलाके के लगभग सभी मैडीकल कॉलेजिज में डॉक्टर्स की बड़ी भारी कमी हैं। जब एम. सी.आई. की इंस्पैक्शन होनी थी उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एन.एच.एम. ने हमारे इलाके में 10 डॉक्टर्स उपलब्ध करवाये थे। अगर ऐसा नहीं होता तो एम.सी. आई. की इंसपैक्शन में हमारा मैडीकल कॉलेज डी–रिक्गनाईज्ड हो जाता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितने बुरे हालाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को एक सुझाव है कि जब तक मेवात क्षेत्र में कार्यरत होने वाले डॉक्टर्स को गुरूग्राम से डबल तनख्वाह नहीं दी जायेगी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे वहां पर डॉक्टर्स की कमी ऐसे ही बनी रहेगी इसलिए मेरा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि मेवात में सेवारत डॉक्टर्ज को गुरूग्राम के मुकाबले डबल तनख्वाह दी जाये।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है आपके बाकी साथियों को भी बोलना है, इसलिए आप कृपया करके जल्दी वाईंड–अप करें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देहातों से भी बहुत से बच्चे एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं इसलिए अगर सरकार द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सी.एम.ओ. को डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेने के अधिकार दे दिये जायें तो ऐसा होने से प्रदेश को नये डॉक्टर्ज उपलब्ध हो जायेंगे। अगर सरकार चाहे तो उनकी तनख्वाह भी फिक्स कर सकती है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटल्ज़ में डॉक्टर्स की समस्या से पिछले लगातार 4 वर्षों से जूझ रहे हैं। हमने यह अधिकार सी.एम.ओज़. को पहले ही दे रखा है और उनको 70,000 रूपये से

लेकर 80,000 रूपये तक की तनख्वाह देने की मंजूरी भी हमने फाईनैंस डिपार्टमैंट की तरफ से दे रखी है। वॉक–इन–इंटरव्यू पूरी तरह से ओपन है और कोई भी कैंडीडेट सी.एम.ओ. के पास जाकर इंटरव्यू दे सकता है। हमने इसके लिए रिटायर्ड डॉक्टर्ज को भी पात्र माना हुआ है। हमने इसके लिए उम्र में भी छूट देने का प्रावधान किया हुआ है। फिर भी हम इस को री–एग्जामिन करवा लेंगे और अगर इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता होगा तो उसको भी किया जायेगा। सभी जानते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्ज की बड़ी भारी कमी है और हम उस कमी को हर हालत में दूर करना चाहते हैं।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि डॉयरेक्टर, एन.एच.एम., पंचकूला की तरफ से सी.एम.ओ., गुरूग्राम को जो लैटर भेजा गया है उसमें लिखा हुआ है कि सी.एम.ओ., गुरूग्राम में वाक इन इंटरव्यू के बेसिज पर डॉक्टरों को लगा सकते हैं और इन डॉक्टरों को एन.एच.एम. की तरफ से तनख्वाह दी जायेगी। मांडी खेड़ा में 4 डॉक्टर्स हैं लेकिन इस लैटर पीडियट्रिक्स और गाइनी डॉक्टर्स के बारे में तो जिक्र किया गया है लेकिन बी.डी.एस. के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि यह भी प्रावधान किया जाये।

कैप्टन अभिमन्युः जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार यह एप्वॉयंटमेंट्स शायद यह रूरल एरियाज के लिए भी है। आपका सुझाव अच्छा है और हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। मैं स्वयं भी इस मैटर को हैल्थ मिनिस्टर जी को प्रेषित कर दूंगा।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह डी.जी.एच.एस. से कन्फर्म किया है तभी कह रहा हूं। अगर मंत्री जी सभी डॉक्टर्स के लिए 70 हजार रुपये की सैलरी फिक्स कर देते हैं तो मेरे ख्याल से हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। आज मलेरिया के केसिज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए हरियाणा में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, अब मैं खनन के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। जहां तक खनन की बात है तो राजस्थान में अरावली में खनन का काम चल रहा है और हरियाणा में अरावली में खनन का काम बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर हरियाणा विधान सभा एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजे कि इस एक्ट में संशोधन वे करें तो हमारे हरियाणा के पहाड़ों में भी खनन का काम शुरू हो सकता है। अब मैं हैवी ड्राइविंग लाईसेंस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे 35–40 हजार लोग नये हैवी ड्राइविंग लाईसेंस न बनने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछली सरकार में इस एक्ट में सैक्शन 8 जोड़ दिया गया था जिसके तहत हैवी ड्राइविंग लाईसेंस के लिए

आठवीं पास होना चाहिए जिसके कारण जो अनपढ़ लोग हैं उनके लाईसेंस नहीं बन पा रहे हैं और अब वे बेरोजगार घूम रहे हैं। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें गाइड किया था और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री आर.के. खुल्लर तथा श्रीमती आशिमा बराड़ के साथ मिल कर हमने एक रैजोल्यूशन बनाया जिस पर मैंने श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, ने श्री करण सिंह दलाल, श्री रहीश खान, श्री उदयभान, श्री मूल चन्द शर्मा, श्री नसीम अहमद, श्री टेक चन्द शर्मा, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री केहर सिंह, श्री तेजपाल तवर तथा श्री ललित नागर जी ने हस्ताक्षर करके केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को सौंपा है। मैं चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लेकर इस सैक्शन 8 को हटाया जाये ताकि अनपढ़ लोगों को भी हैवी ड्राइविंग लाईसेंस के माध्यम से रोजगार मिल सके।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के एरिया में छपेड़ा गांव की 80 कनाल जमीन 33 साल के लिए एक रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लीज पर ले ली है। टाटा मोटर्स से हमारा एम.ओ.यू. भी साइन हो गया है तथा 14 करोड़ रुपये की लागत से हम वहां पर ड्राइविंग स्कूल बनाने जा रहे हैं।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि विभाग ने वह जमीन 6 साल से ले रखी है और उसमें अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि वहां पर नई बिल्डिंग बनने में समय लगेगा इसलिए अगर मंत्री जी चाहें तो मैं अपने कॉलेज में 8–10 कमरे दे सकता हूं जिससे तुरन्त हैवी ड्राइविंग लाईसेंस बनाने का काम शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम भी बनाने की जरूरत है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक खेल स्टेडियम बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा जो 18–20 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें हैं। इन सड़कों में बड़का अलीमुदीन से सदाएं, गुंडबास माजरा उझीना से बाबूपुर, गोलपुरी से कोंटलाका, नौशेरा से जयसिंहपुर, देवला नंगली से रिथाट, रूपहेड़ी से धिरढोका, गोलपुरी से नौशेरा, कुरथला से भारंगाका, कमरचंदाका से नौशेरा तथा मुरादबास से मालब हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। मैंने इन सड़कों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख कर भेजा हुआ है। सर, रोजका मेव में डेढ़ हजार एकड़

जमीन सरकार ने एक्वायर कर रखी है और कई सालों से वह जमीन सरकार के पास बेकार पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर कोई उद्योग लगाया जाये जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। मेरा यह भी सुझाव है कि वहां पर जो भी उद्योग लगे उसमें वहां के नौजवानों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ ही साथ वहां के किसानों की जो जमीन ऐक्वायर की गई है उसका उन किसानों को मुआवजा भी बढ़ा कर दिया जाये और फोरेस्ट विभाग के लिए के.एम.पी. ऐक्सप्रेस–वे के साथ–साथ जमीनों को भी डिवैल्प किया जाए । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । अब ओमप्रकाश बरवा जी बोलेंगे ।

श्री ओम प्रकाश बरवा (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस लोकतंत्र के मंदिर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों ने अपने–अपने विचार रखे जिसमें सरकार की कमियां भी गिनाई गई हैं और सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया है । मैं सर्वप्रथम अपनी बात रखने से पहले अपने देश के सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने जो बलिदान दिया है उस पर अपनी दो पक्तियां रखना चाहूंगा ।

" यूं तो जीने को लोग जिया करते हैं।।
लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं ।।
मरने से पहले हजारों मरते हैं ।।
जिन्दगी तो उनकी है, जो मर कर भी जिया करते हैं ।।"

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, कर्मचारी और व्यापारी की बात हुई है । मेरे हल्के लोहारू में वर्ष 2017–18 में किसान के खेतों में आगजनी की घटना हुई थी जिसमें बहुत से किसानों की फसल बर्बाद हुई थी । उन किसानों के खेत में जो ढाणियां बनी हुई हैं उनमें भी आग लगी थी । उनमें कुछ पशु भी मारे गये थे और भी काफी नुक्सान हुआ था । वह सारी की सारी फाईलें उपायुक्त महोदय के पास गई हुई हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जिस तरह से लोहारू ब्लॉक में लक्ष्मण गांव है उसमें श्री अनन्त राम शर्मा की तीन एकड़ गेहूं की फसल उस आग में जल गई थी । उस किसान को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है । जबकि उसकी फसल पूरी

तरह से बर्बाद हुई थी । आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह से जिस–जिस किसान का भी नुक्सान हुआ है उन सभी की फाईलें उपायुक्त महोदय के कार्यालय में पड़ी हुई है । उन सभी किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए और उनकी आर्थिक मदद की जाए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहारू हल्के के सिवानी ब्लॉक में अपनी रैली में एक घोषणा यह भी की थी कि सिवानी ब्लॉक को हिसार जिले में शामिल किया जाएगा । हमारा सिवानी ब्लॉक जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है । जबकि हिसार वहां से 25 किलोमीटर दूर है । मुख्यमंत्री महोदय ने उस रैली में लोगों की इस डिमांड को स्वीकार किया था और यह आश्वस्त किया था कि हम इस मांग को पूरा करेंगे । अब उस घोषणा को हुए लगभग तीन साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है । आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि लोगों की इस मांग को पूरा किया जाए । इस संबंध में पहले भी मैंने एक बात रखी थी कि सिवानी ब्लॉक को जोकि लगभग बैरानी इलाका है और हर बार सूखे की चपेट में आता है । वर्ष 2015 में चने की फसल में हुए नुक्सान का मुआवजा दूसरे गांवों को तो मिला था लेकिन मतानी, झुम्पा खुर्द, विद्वान, ढाणी भाकरा, पातवाण पांच गांव बकाया थे । इन गांवों का सर्वे भी हुआ था जिसमें नुक्सान भी माना गया था लेकिन अभी तक इन गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है । केन्द्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' लागू की है इससे बहल ब्लॉक में किसानों को जो 6000/–रुपये का फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा क्योंकि जिन किसानों की जमीन मौरूस हुई है और मौरूसी होने के कारण जो जमीन के मालिक बने हैं उनका नाम मल्कियत के खाने में नहीं दिया गया है । जबकि उनका नाम खाना काश्त में दिया गया है इसलिए जो लिस्ट प्रशासन की तरफ से बनाई गई है इससे बहल व सिवानी ब्लॉक के बहुत से किसानों का नाम नहीं है । अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें भी सुधार किया जाए ताकि हर किसान को इस स्कीम का फायदा मिल सके । एन.एच.एम. कर्मचारियों ने जो हड़ताल की है और जो उनके हालात हैं वह बहुत ही दुखदायी और दर्दनाक है सरकार को उन पर भी तुरंत एक्शन लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आज प्रश्न काल में मेरा प्रश्न लगा हुआ था लेकिन मेरे प्रश्न से पहले ही प्रश्न काल समाप्त होने के कारण मैं सदन में आज अपना प्रश्न नहीं पूछ सका। मेरे गांव बरवा और चौधरीवास गांव के बीच में एन.एच 52 पर एक

टोल बना हुआ है। उस टोल से मेरे गांव की दूरी महज पोने तीन किलोमीटर है लेकिन बावजूद इसके चौधरीवास गांव के लोगों का तो टोल माफ कर दिया गया है लेकिन मेरे गांव के लोगों से टोल की वसूली की जाती है। जब से यह टोल बना है तब से लेकर आज तक मेरे गांव के लोगों की यह मांग है कि नाजायज वसूले जा रहे इस टोल को बंद किया जाये। जहां तक आवारा पशुओं की बात है आज यह समस्या केवल मेरे हलके में ही नहीं है बल्कि यह समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इसके किसी भी तरह के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। मेरा आज इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को इसके समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहां डिगावा जाटान में मुख्यमंत्री महोदय ने रैली करते वक्त एक घोषणा की थी कि डिगावा जाटान का बाईपास जल्द ही बनाया जायेगा लेकिन आज इस घोषणा को हुए लगभग डेढ़ साल का लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक उस घोषणा पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां पर रोज जाम लगा रहता है और जाम ने एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया है। बाढड़ा की ओर जाते हुए जो भिवानी और लोहारू का मेन रोड है उस पर हर वक्त जाम लगा रहता है। इस जाम की समस्या से तभी मुक्ति मिल सकती है जबकि डिगावा जाटान का बाई पास बनाया जाये। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि यह बाई पास जल्द से जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आज हलका लोहारू की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे बहल से हिसार हो , चाहे लोहारू से बहल हो या फिर वापिस बहल से लोहारू की बात हो, यहां पर लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्ज से सफर करना पड़ता है और जिसकी वजह से दुघर्टना होने से जान–माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस समस्या के समाधान की तरफ भी ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य समस्या यह भी है कि जैसाकि सबको पता है कि जो किसान ट्यूबवैल से पाइप लाइन लगाकर सिंचाई करता है, उसको सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए बिछाई जाने वाली पाइप लाईन पर सब्सिडी दी जाती है लेकिन विडम्बना देखिए पिछले तीन साल से लगातार जिन किसानों ने सिंचाई के लिए पाईप खरीदे और जमीन में पाईप लाईन दबाई थी, उनको आज तक भी सबसिडी का एक भी पैसा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में भी यह बात रखी थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई

प्रगति नहीं हुई है और आज भी यहां के किसानों के पल्ले रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। अतः इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि किसानों की इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र किया जाये। अब मैं एक और समस्या की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबको मालूम है कि सिवानी ब्लॉक एक बैरानी इलाका है और यहां पर पानी की ज्यादा व्यवस्था नहीं है इसलिए यहां पर सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम और मिनी फोरासैट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इस प्रणाली के प्रयोग में सरकार द्वारा सबसिडी दी जाती है लेकिन दुख इस बात का है कि सिवानी ब्लॉक में जो सब्सिडी दी जा रही है वह मात्र 60 परसैंट है जबकि लोहारू और तोशाम में जाकर यह सब्सिडी 85 परसैंट हो जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों हैं? इस भेदभाव को भी दूर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बहुत सी बातें सदन में रखी थी लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। जहां तक बिजली की बात है। बिजली के तारें ढीली हैं जिसके कारण किसानों की मौतें भी हुई हैं, इसलिए इन तारों को ठीक और ऊँचा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बहल के अंदर बस स्टैण्ड नहीं है, इसलिए बहल के अंदर बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाये। वर्ष 1983 में लोहारू के अंदर भेड़ ऊन सरलीकरण और विपणन केन्द्र खोला गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बंद करने जा रही है। लोहारू के आस–पास बैरानी इलाका है। वहां पर भेड़ पालक हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी लोहारू के अंदर कोई भी उद्योग नहीं है, तो कम से कम भेड़ ऊन सरलीकरण और विपणन केन्द्र जो है उसे बंद न किया जाये। अध्यक्ष महोदय, एन. एच–52 पर गुरेरा और सिवानी के बीच हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए वहां पर सरकार को ओवर ब्रिज बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह किसानों से संबंधित है। किसानों के पशुओं के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। बीमा के लिए न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 और हिन्दुस्तान इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के साथ एक एम.ओ.यू. साईन किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस एम.ओ.यू. का विवरण पशुपालन विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो हैल्थ सर्टिफिकेट का प्रारूप तय हुआ हुआ था, उसको कम्पनी ने बदल दिया है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता

हूँ कि इन दोनों बीमा कम्पनियों का टोल नं0 होना चाहिए, लैंड लाइन नं0 होना चाहिए, ई–मेल एड्रैस होना चाहिए, इनके ऑफिस का एड्रैस होना चाहिए और एम. ओ.यू. की फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज नहीं हो रही है केवल किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जीन्द उपचुनाव को लेकर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चाएं की हैं। जीन्द उपचुनाव के संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि:–

'तूफान में कभी ताश के घर नहीं बनते,
रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता।
दुनिया को जीतने का हौंसला रखो,
एक जीत से कोई सिकन्दर नहीं बनता।
और एक हार से कोई,
फकीर नहीं बनता।'

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एन. एच–52 हिसार–राजगढ़ रोड पर चौधरी वास के पास टोल लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा की है, उसे हम जल्दी ही खत्म करवा देंगे।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह सरकार का एक विजन डॉक्यूमैंट्स है। इस विजन डॉक्यूमैंट्स के अंदर सरकार की जो उपलब्धियां और आगामी योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 के हरियाणा और वर्ष 2019 के हरियाणा में दिन रात का अंतर आ चुका है। वर्ष 2014 का हरियाणा क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और परिवारवाद को लेकर काम कर रहा था। आज हमारी सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' का नारा देकर प्रदेश का विकास कार्य शुरू किया है । आज हमारी सरकार ने युवा, किसान, व्यापारी, वृद्ध, कर्मचारी आदि प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधार कार्यक्रम शुरू किये हैं। बहुत–से काम पूरे हो चुके हैं और बहुत–से काम चले रहे हैं । यह सरकार जनहितकारी सरकार है । इसके बारे में मैं कहूंगा कि यह बात हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है । हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले दिनों 5 नगर निगमों में हुए मेयर के चुनावों और जीन्द में हुए

उपचुनाव में यह बात साबित कर दी है कि यह सरकार जनहितकारी सरकार है । मैं इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में कहूंगा कि हमने वर्ष 2014 में चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम एक पारदर्शी सरकार बनाएंगे और हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देकर, भाई–भतीजावाद से मुक्त प्रशासन देकर उसको मूर्त रूप दिया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भर्तियों में पारदर्शिता आई है और जिस प्रकार से आज पर्ची सिस्टम खत्म हुआ है और जिस प्रकार से नौकरियों में मैरिट को प्राथमिकता दी गई है उससे साबित होता है कि वर्ष 2014 में हमने जो कहा था उसे वर्ष 2019 में पूरा करके दिखाया है । आज पूरे प्रदेश में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है । फिर चाहे वह बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो, डैथ सर्टिफिकेट की बात हो, बिल्डिंग प्लान बनाने की बात हो, चाहे फायर की परमीशन लेने की बात हो, ट्रेड लाइसैंस लेने की बात हो, जिस प्रकार से ये कार्य ऑनलाइन शुरू हुए हैं और लोगों को घर बैठे सुविधा प्राप्त हुई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है उससे मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक वासी इससे खुश है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय मनोहर लाल जी ने जो कहा था उसे पूरा करके दिखाया है । पिछले दिनों हरियाणा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो मैंने एक युवक से बात की । उसने मुझे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता के बारे में बताया । उसने बताया कि फिजिकल टैस्ट की वीडियोग्राफी की गई और 300–300 मीटर पर लड़कों को चिप्स लगाकर दौड़ाया गया । उसने कहा कि मैंने आज तक किसी भी सरकार की भर्ती प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता नहीं देखी । हमारी सरकार ने नौकरियों में गरीब लोगों को जाति और वर्ग से ऊपर उठकर 10 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे नौकरी देकर उसके साथ न्याय किया है । जो लोग बहुत समय से इस प्रतीक्षा में थे कि गरीब की बात सुनने वाली भी कोई सरकार आएगी उनके लिए हमारी सरकार ने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर बहुत बड़ा कार्य किया है । आज हमारी सरकार ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए 10 अतिरिक्त नंबर देने का प्रावधान किया है । यह कार्य पहली बार हुआ है । हमारी सरकार ने चाहा कि प्रदेश के हर परिवार में एक नौकरी हो और हमने इसकी व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने बेहतरीन खेल नीति बनाई है । इससे हमारे खिलाड़ी देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं । हमारी सरकार से पहले ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती । हमारी

सरकार ने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए अनेक घोषणाएं की हैं । हमारी सरकार ने गोल्ड मैडल विजेता के लिए 6 करोड़ रूपये, सिल्वर मैडल विजेता के लिए 4.5 करोड़ रूपये और ब्रौंज मैडल विजेता के लिए 2.5 करोड़ रुपये की इनाम राशि देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम किया है । इससे खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और चाहत पैदा हुई है । खिलाड़ी कोई भी गेम खेल सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज खेलने से भी बच्चों को आजीविका मिल सकती है। खेलों से बच्चों को नौकरी मिल सकती है और खेलों में किसी को भी बड़ा इनाम मिल सकता है। हमारी सरकार ने 33 करोड़ रूपये की राशि खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में वितरित की है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू की हैं, इन योजनाओं का लाभ भी हरियाणा के सभी लोगों को मिलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत' योजना चलायी है जिसके द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये का सालाना बीमा सरकार ने शुरू किया है। आज इस योजना के शुरू होने से 10 करोड़ लोगों को हैल्थ बीमा मिला है। इस योजना से गरीब आदमी भी संतुष्ट है। आज गरीब आदमी को इस बात की तसल्ली है कि अगर उसे कोई बीमारी होगी तो सरकार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का उसका इलाज मुफ्त में करवायेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एक बहुत अद्भुत स्कीम लेकर आए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के 5 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में आज 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके अतिरिक्त 'उज्ज्वला योजना' के तहत हमारी गरीब माताएं व बहनें जो घरों में चूल्हे पर खाना बनाती थी क्योंकि उनके घरों में गैस कनैक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीबों को गैस कनैक्शन दिये हैं। पिछली सरकार के समय में 1,000/–रूपये में ब्लैक में गैस सिलेंडर मिलता था परन्तु आज हमारी सरकार के समय में वही सिलेंडर लगभग 400 रुपये में ही मिलता है। यानी हमारी सरकार के समय में वही सिलैंडर कम पैसों में मिल रहा है। आज वही गैस कहां से आ गयी ? आज पूरे देश व प्रदेश की जनता देख रही है कि हमारी सरकार ने आते ही ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी है और लोगों की सिलेंडर लेने के लिए लम्बी–लम्बी लाईन्ज भी खत्म करवा दी हैं। आज लोग इस बात को भूल गये हैं कि कभी ब्लैक मार्केटिंग भी हुआ करती थी, इसी प्रकार से राशन लेने के लिए

भी लाईन्ज लगती थी। यह बात कांग्रेस के सदस्यों को याद करवानी पड़ती है कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में लोग राशन लेने के लिए 1–1 किलोमीटर तक की लाइन्ज में खड़े रहते थे। इसके अतिरिक्त 'अंत्योदय आहार योजना' के तहत गरीब लोगों को 10 रूपये में खाने की थाली में बहुत ही पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है जिसमें चपाती, सब्जी, दाल, चावल, पापड़ और मिठ्ठा भी दिया जाता है। यह 10 रूपये में खाने की थाली की योजना लगभग 9 जिलों में शुरू की जा चुकी है। पंचकूला जिले के गरीब–मजूदर लोग बहुत बड़ी संख्या में योजना का फायदा उठा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छ भारत अभियान' को लेकर दो नयी चीजें दी हैं। आज स्वच्छता अभियान घर–घर में एक चर्चा का विषय बन गया है। देश का बच्चा–2 स्वच्छता अभियान के ऊपर बात करने के लिए तैयार है और यह बात कहता है कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत गांवों के घर–घर में शौचालय बनवाकर गांवों को ओ.डी.एफ. करवाने का काम किया है। इस प्रकार से गांव और शहर स्वच्छ करके हरियाणा प्रदेश देश का पहला ओ.डी.एफ. राज्य बन चुका है। हमने वर्ष 2014 में वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2,000 रुपये के हिसाब से पैंशन देंगे। इसमें चाहे वृद्धावस्था पैंशन हों, चाहे विधवा पैंशन हो या चाहे निराश्रितों को पैंशन देने की बात हो, हमारी सरकार ने सभी को 2,000/–रुपये प्रति माह पैंशन देना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के लिए 'सफाई कल्याण बोर्ड' की स्थापना की है और व्यापारियों के लिए भी 'व्यापारी कल्याण बोर्ड' की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त शिक्षित पंचायतें बनाने का भी काम किया है जिससे गांवों का कायाकल्प हुआ है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं।

17:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जो लोग कहते थे कि शिक्षित पंचायतें होना इम्पोसिबल है। लोग कहते थे कि गांव में शिक्षित पंचायतें कैसे आ जायेगी? गांव में तो अनपढ़ लोग रहते हैं और लोगों ने यह सब रोकने के लिए बहुत कोशिश की और कोर्ट के माध्यम से भी रोकने की पूरी कोशिश की गई । अध्यक्ष महोदय, गांव में ऐसी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं जिनकी वजह से आज गांव का कायाकल्प हुआ है। पढ़े लिखे सरपंच और पंच गांव के विकास के बारे में ही सोच सकते हैं कि गांव का विकास कैसे किया जाये? गांव में नये–नये कार्यक्रम कैसे

किये जायें? गांव में अच्छी सड़कें कैसे बनाईं जायें? गांव में किस प्रकार से बिजली का आदान प्रदान ठीक प्रकार से किया जाये और किस प्रकार से गांवों में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल मिल सके? ये सब बातें आज गांव की पंचायतें बैठकर के चौपालों में सोचती हैं । अध्यक्ष महोदय, आज शहरों में भी 671 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है । हमारी सरकार ने सस्ती आवास नीति लागू करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का काम किया है। हमारी सरकार ने शहरों में चौथी मंजिल बनाने की इजाजत दे दी है और इससे शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है । मैं समझता हूं कि इससे घरों में रहने वाले लोगों की समस्याएं कम होंगी । इसी प्रकार से जो दुकानदार है, उनको भी दूसरी मंजिल बनाने की इजाजत दे दी है, जिससे इंक्रोचमैंट भी कम होगी और वे अपने सामान की भी भलीभांति अच्छी तरह से देखभाल कर पायेंगे । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि रेहड़ी वालों के लिए हमने योजनाएं बनाईं हैं। विपक्ष के लोगों ने बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने तो सिर्फ लूटने का काम किया है । रेहड़ी वालों को भी लूटा है और दुकानदारों को भी लूटा है । (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार ने एक लाख रेहड़ी वालों के लिए शहरों में जगह ढूंढकर उनका पुर्नवास करने की योजना बनाई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैंने लूटने की बात नहीं कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जींद की जनता ने इन लोगों को जींद उपचुनाव के माध्यम से आईना दिखा दिया है कि किस प्रकार से इन्होंने हरियाणा प्रदेश में लूट खसोट की थी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में हरियाणा प्रदेश वर्ष 2015 में 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और ऐसा हमारी सरकार के टाईम ही हुआ है । विपक्ष के लोगों ने बिजनेस को पनपने ही नहीं दिया । इन लोगों ने तो व्यापारियों का खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया और व्यापारियों के साथ भी लूट मारी की है और उनके बीच खाईयां खोदने का काम किया गया । अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने व्यापारियों के साथ क्या–क्या किया यह हरियाणा प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पंचकुला के

बारे में बताना चाहूंगा कि आपने भी वर्ष 2014 में पंचकुला देखा था और आज वर्ष 2019 में भी पंचकुला देख रहे हो । अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं बल्कि पंचकुला की जनता बोल रही है कि पिछले 10–15 वर्षों के दौरान इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में साढ़े चार साल के कार्यकाल में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2 हजार करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजनाएं पंचकुला के लिए लेकर आई है । हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचकुला से लेकर यमुनानगर तक 600 करोड़ रुपये की फोर लेनिंग बनाने का काम किया है । पिछले 10–15 वर्षों के दौरान सिर्फ बातें ही होती रही हैं लेकिन एक भी पत्थर या रोडी सड़क पर नहीं डाली गई । हमारी सरकार ने 600 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट को कंपलीट किया है । अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में पंचकुला में 500 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र सरकार के सहयोग द्वारा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना करने का काम किया है और आज यह पंचकुला में बनने जा रहा है इसी प्रकार से 150 करोड़ रूपये की लागत से केन्द्र सरकार के द्वारा नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन डिवैल्पमैंट की बिल्डिंग पंचकुला में बनाई जा रही है। हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों उस इंस्टीच्यूट में क्लॉसिज़ लगनी भी शुरू हो जायेंगी। इस प्रकार से विकास की योजनायें पंचकूला में चलाई जा रही है। हमारी सरकार आने से पहले 15 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश में पहले पांच वर्ष इनैलो की सरकार रही और उसके बाद 10 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही प्रदेश के 22 जिलों में से 21 जिलों में हरियाणा रोडवेज़ का डिपो था लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी सरकार ने पंचकुला में हरियाणा रोडवेज का डिपो बनाने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पंचकुला के अंदर हरियाणा रोजवेज का डिपो खुल चुका है और वहां पर बाकायदा तौर पर जी.एम. बैठ चुका है। इस समय हरियाणा रोडवेज, पंचकुला से 157 बसे चलने लग गई हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार का तहेदिल से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही पंचकुला में मल्टी लैवल पार्किंग के लिए बहुत दिनों से एस्टीमेट्स बने हुए थे। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में यह एस्टीमेट 42 करोड़ रूपये का बना था। इनकी सरकार के समय में वहां पर मल्टी लैवल पार्किंग का सिर्फ एस्टीमेट ही बनाया गया था। जिस काम के लिए कांग्रेस की सरकार के समय में

42 करोड़ रूपये का एस्टीमेट बनाया गया था जब हमारी सरकार आई तो उसी काम के लिए 26 करोड़ रूपये के एस्टीमेट बने। इस प्रकार से भारी भरकम एस्टीमेट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बनते थे। जिस प्रकार से इस मल्टी लैवल पार्किंग के केवल मात्र एक प्रोजैक्ट के एस्टीमेट में 16 करोड़ रूपये का घोटाला उजागर हुआ है। ऐसे ही बहुत से घोटाले सामने आ चुके हैं। पंचकुला के अंदर 25 करोड़ रूपये की लागत से पॉलिटैक्निक–कम–मल्टी स्किल सैंटर बनकर तैयार हो चुका है। पंचकुला के अंदर पानी की बड़ी भारी कमी थी। पंचकुला के अंदर कजौली वॉटर वर्क्स से भाखड़ा कैनाल का पानी पिछले 50 साल के अंदर नहीं आया था। पूर्व की सरकारों ने इसके लिए पाईप लाईन डालकर बीच में ही छोड़ दी गई थी लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम 12 करोड़ खर्च करके कजौली वॉटर वर्क्स से 12 क्यूसिक्स पानी पंचकुला में लेकर आये। इस समय पंचकुला में पानी की कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली प्राप्त करने वाला पहला जिला बना। हमने मोरनी की पहाड़ियों में छोट–छोटे गांवों के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। 'सबका साथ–सबका विकास' के तहत मेरे हल्के के गांवों के अंदर जो विकास हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। मेरे हल्के पंचकुला का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके विकास के लिए एक करोड़ रूपये से कम पैसा खर्च हुआ हो। इतना ही नहीं कईं गांव तो ऐसे भी है जिनमें विकास कार्यों के लिए तीन–तीन करोड़ रूपये तक खर्च हुए हैं। विधायक आदर्श गांव योजना के तहत गांव बरवाला में पांच करोड़ रूपये खर्च करके हमने बरवाला का सर्वांगीण विकास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' की भावना को साथ रखकर काम कर रही है। हमारी सरकार की कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से पारदर्शी है और हमारी सरकार की कार्यप्रणाली में न कोई जातिवाद की भावना है, न कोई क्षेत्रवाद की भावना है, न कोई भाई–भतीजावाद की भावना है, न कोई पर्चीवाद की भावना है, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाट नहीं, कोई बनिया नहीं और कोई पंजाबी नहीं है बल्कि सभी हरियाणा के वासी एक हैं। इस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' की कहावत को चरितार्थ करके

दिखाया है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की इस उपलब्धि के लिए उनको बहुत–बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश कौशिक (बहादुरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं भारत देश की सम्मानित जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक ईमानदार सरकार केन्द्र और हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया है। **(इस समय सभापतियों की सूची मे से एक सदस्य श्री ज्ञान चन्द गुप्ता पदासीन हुये।)** सभापति जी, आज से पहले भी हरियाणा प्रदेश में सरकारें रही हैं लेकिन उन सरकारों में जिस तरह की लूट खसोट इस हरियाणा प्रदेश में की गई वह सबको मालूम है। वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार रही लेकिन उस सरकार ने गुंडागर्दी का माहौल और गुंडों को संरक्षण देने का काम किया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी इन गुंडों को संरक्षण देने का काम किया जिसके कारण हरियाणा प्रदेश काफी पिछड़ा रहा। सभापति जी, 70 साल की राजनीति में केन्द्र में जो विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हरियाणा की 50 साल की राजनीति में जो विकास हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है वह काबिले तारीफ है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों में समान विकास करवाया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रवाद के नाम पर, भाई–भतीजावाद के नाम पर तथा जातिवाद के नाम पर राजनीति करने का काम पिछली सरकारों में किया गया। सभापति जी, झाड़ली में हजारों एकड़ जमीन पहले खरीद ली गई और बाद में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्वायरमैंट के भाव पर देने का काम कांग्रेस की सरकार में किया गया। इसी प्रकार से एस.ई.जैड का सपना दिखाने का काम भी कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया है। यहां पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं इनको पता है कि बादली में 22–22 लाख रुपये में किसानों की जमीन एक्वायर की गई और बाद में उसी जमीन को डेढ़–डेढ़ करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एस.ई.जैड. को बेचने का काम पिछली सरकार के शासनकाल में किया गया। सभापति जी, हमारी सरकार बनने से पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए पिछली सरकार में बड़े–बड़े वायदे किये गये थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र बहादुरगढ़ के 20–20 गांव ऐसे हैं जहां पिछले 20 सालों से पीने का पानी नहीं मिल रहा था लेकिन हमारी सरकार बनने

के बाद वहां पर हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है उसके लिए मैं पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ में बस अड्डे के नाम पर कांग्रेस की सरकार में केवल पत्थर लगाने का काम किया था लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह बात रखी तो 40–41 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास पर नये बस अड्डे के निर्माण का काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति जी, इसी प्रकार से अब शिक्षा के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चार गांव बराही, जाखौदा, मांडोठी और कसार के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हल्के के नाम पर तथा चौधर के नाम पर केवल वोट लेने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे चारों गांवों के स्कूल की बिल्डिंग मंजूर हो चुकी है और वहां पर कार्य शुरू हो चुका है । आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं । पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को ऐसा कृषि मंत्री देने का काम किया है । इससे पहले किसी भी कृषि मंत्री को यह नहीं पता था कि किसानों के मेले कैसे लगाए जाते हैं और किसानों को कृषि विभाग से फायदा पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है । मैं कृषि एवं पंचायत मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक पढ़ी–लिखी पंचायत देने का काम किया है । उन्होंने सिंचाई मंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में आसौदा माईनर, डाभौदा माईनर, नूना माजरा माईनर, निलोठी माईनर, सोलधा माईनर, बराही माईनर का नवीनीकरण कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है । सभापति महोदय, किसान का भला अगर किसी सरकार ने किया है तो वह मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है । इस सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में किसी भी किसान की एक ईंच भी जमीन अधिग्रहण करने का काम नहीं किया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ई–भूमि पोर्टल बनाकर प्रदेश के किसानों को संदेश देने का काम किया है कि हम किसान की मर्जी से किसान की जमीन खरीदना चाहते हैं, उसमें भाव किसान का होगा और जमीन लेने का काम सरकार करेगी, अगर उस जमीन में उद्योग भी लगाने पड़ें तो वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी

नीति है । मैं एजूकेशन और ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के समय में शिक्षा विभाग में एक–एक टीचर की बदली करवाने के लिए 30–40 हजार रुपये रिश्वत लेने का काम किया जाता था । अब इस सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी में एक निष्पक्ष नीति बनाने का काम किया है । इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र उद्यौगिक क्षेत्र है जिससे बहादुरगढ़ में बाहर के प्रदेशों से भी काफी लोग आकर बसे हुए हैं । हमारी सरकार ने उनमें से काफी लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है । हमारे यहां जो सरकारी अस्पताल है वह 100 बैड का था । पिछली सरकारों के समय में उसमें न तो कोई अल्ट्रासाउंड मशीन थी, न कोई ऐक्सरा मशीन थी । हमारे अस्पताल का पहले बहुत बुरा हाल था । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी और बहादुरगढ़ की जनता की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे उस अस्पताल को 100 बैड से बढ़ाकर 200 बैड का करने का काम हमारी अपनी सरकार ने किया है । सभापति महोदय, मेरी श्रम एवं रोजगार मंत्री भाई नायब सैनी जी से भी एक प्रार्थना है कि हमारा 100 बैडिड ई.एस.आई. अस्पताल मंजूर हो चुका है । आप उसका शिलान्यास करवाकर उसका काम भी जल्द से जल्द करवाने का काम करें ।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने बहादुरगढ़ के अन्दर जो ई.एस.आई. अस्पताल की बात की है । उसकी पेमेंट भी लगभग सारी आ गई है और उसका जल्दी ही माननीय केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी से समय लेकर आचार संहिता लगने से पहले ही शीघ्र ही उसका काम शुरू हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है ।

श्री नरेश कौशिक : सभापति महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर राव नरबीर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे जितने भी रोडज हैं उन सभी रोडज का नवीनीकरण किया गया है । खरखौदा से सोनीपत रोड का टैंडर भी हो चुका है और सीधी परलोवा रोड भी बनकर तैयार हो चुका है । बेरी से बहादुरगढ़ रोड का भी नवीनीकरण किया गया है । इसी के साथ मैं अपनी तरफ से अपने हल्के की एक डिमांड रखता हूं और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बहादुरगढ़ से झज्जर रोड का नवीनीकरण करवाने का

काम भी शीघ्र करें । आदरणीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी मांढोठी से कसार और बराई से जाखोदा तक सड़क बनाने की एक बहुत पुरानी डिमांड रही है। पिछले 20 साल से हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि इन सड़कों को बनाया जाये लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार जिसने 10 साल तक राज किया और उससे पहले की सरकारों ने भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सभापति जी, इसकी एप्रूवल हो चुकी है अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य को आचार संहिता लगने से पहले जल्द से जल्द टैंडर लगवाकर पूरा किया जाये। सभापति महोदय, पहली बार हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है जिसने ईमानदारी से योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। पिछली सरकारों के समय में एक–एक परिवार के सात–आठ सदस्यों को तो नौकरी मिल जाती थी लेकिन दूसरी और एक परिवार ऐसा भी होता था जिसमें किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती थी। सभापति महोदय, दस–दस लाख रुपये की थैलियां लेकर नौकरी बांटने का काम किया जाता था। मैं धन्यवाद और नमन करता हूँ इस सरकार को जिसने ईमानदारी से काम करते हुए पढ़े–लिखे योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में आने का मौका दिया और मैं आज इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद–जय हरियाणा।

श्री सभापतिः मिड्ढा जी, अब आप अपनी बात रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति जी, इससे पहले कि मिड्ढा जी अपनी बात रखें, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाये। माननीय कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। इनके बादली विधान सभा क्षेत्र के गांव रईया में पिछले लगभग 60 दिन से गांवों के किसान मुआवजे के विषय पर धरने पर बैठे हैं लेकिन आज तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने चेयर को ऐड्रेस कर एक मांग पत्र मुझे दिया है और जनप्रतिनिधि होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं उस मांग पत्र को चेयर तक पहुंचाऊ। (विघ्न)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): सभापति जी, जिस धरने की बात गीता जी कर रही हैं, यह एक बेबुनियादी धरना कांग्रेस के लोगों ने आठ–दस परिवारों के माध्यम से करवा रखा है। पूरी बात यह है कि वर्ष 1965–66

से एक जमीन जोकि पंचायत की थी, उस पंचायत ने इस जमीन का दो बार रिजोल्यूशन किया। सर्वप्रथम इस जमीन को बागवानी विभाग के नाम कर दिया और बाद में बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सैंटर के लिए इस जमीन का रिजोल्यूशन कर दिया गया। वर्तमान में रईया के रीजनल सैंटर का काम शुरू हो गया है और इस पर ठीक तरह से काम भी चल रहा है। चूंकि इस बैल्ट में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई भी विकास का काम नहीं करवाया है इसलिए जब रईया में रीजनल सैंटर का काम शुरू हुआ तो इनके पेट में दर्द हो रहा है ताकि विकास का कोई भी कार्य इस बैल्ट में न हो सके। वास्तव में यह धरना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही करवा रखा है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है मैं सोचता था कि श्री दीपेंद्र हुड्डा जी वहां नहीं जायेंगे लेकिन वे भी वहां पर जाकर आये हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से कुछ परिवारों से ऐसा धरना करवाकर विकास के काम को रोकना इन लोगों की एक मंशा है। पूरा का पूरा गांव चाहता है कि रईया में रीजनल सैंटर बने। 8–10 परिवार जो इनके पार्टी के समर्थक हैं, केवल मात्र वही लोग वहां धरना दे रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदय, चेयर के सामने सरकार का एक मंत्री पेट में दर्द जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है और उसको रोका नहीं जा रहा है, यह कितने अफसोस की बात है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग कभी भी इस बैल्ट में कोई इंस्टीट्यूट तक लेकर नहीं आये और न ही इन्होंने यहां पर कोई विकास का काम करवाया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने पूरी तरह से इस क्षेत्र की अवहेलना ही की है। वास्तव में यह लोग इस इलाके का विकास नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के लोग बता दें कि कभी इन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास का काम करवाया हो? कारण यह था कि यह क्षेत्र इन लोगों की प्रियौरिटी में कभी रहा ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां पर विकास के काम हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें कम से कम विकास के कामों के प्रति दुर्भावना नहीं दिखानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदय, मेरे पास रईया के किसानों द्वारा चेयर को ऐड्रेस यह मांग पत्र है और इसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। (विघ्न)

श्री सभापतिः गीता जी, जब आपकी बोलने की टर्न आयेगी तब आप इस मांग पत्र को सदन की टेबल पर रख देना। प्लीज, अभी आप बैठिए। मैंने मिड्ढा जी को

बोलने के लिए अलाऊ किया था। वह इस सदन के नए सदस्य हैं और बोलने के लिए खड़े हैं अतः आप प्लीज बैठिए और उन्हें बोलने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है कि गांव रईया में रीजनल सैंटर बने लेकिन जो किसान मुवाअजे के लिए धरने पर बैठे हुए हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि चेयर को ऐड्रेस किया हुआ कोई मांग पत्र मुझे दिया गया है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस मांग पत्र को चेयर तक पहुंचाऊ। आपको इसे एग्जामिन करवाना चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः सभापति जी, किसानों द्वारा दिए जा रहे इस धरने का यदि कोई औचित्य हो तो बहन गीता भुक्कल जी इस बात का स्वयं फैसला कर दें? गीता जी बार–बार मुआवजे दिलाने की बात कह रही हैं। किसानों का यह धरना बेबुनियादी है और गीता जी केवल और केवल इस बेबुनियादी धरने का समर्थन कर रही हैं। यह पंचायत की जमीन थी और पंचायत ने ही इसको किसानों को दिया हुआ था। किसी भी किसान के पास इस जमीन के कोई कागजात नहीं हैं क्योंकि यह जमीन पंचायती थी। इस मामले मे कांग्रेस पार्टी के द्वारा महज नौटंकी करवाई जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः सभापति जी, गीता जी जिस मांग पत्र की बात कर रही है आप उसे रिकॉर्ड पर ले आईये। (विघ्न)

श्री सभापतिः दलाल जी, गीता जी को बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई है। जब इनका समय आयेगा यह मांग पत्र को सदन की टेबल पर रख सकती हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी किसानों को माध्यम बनाकर उनसे नोटंकी करा रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग बाकायदा तौर पर धरने को जारी रखने के लिए चंदा तक देकर आये हैं। इनकी बात में कोई दम नहीं है, बेमतलब की बात सदन में गीता जी कर रही हैं। इनके द्वारा नौटंकी करवाई जा रही है। अगर गीता जी इस मामले में फैसला करना चाहती है तो फैसला कर दें? मैं इन लोगों पर फैसला छोड़ता हूँ। सभापति महोदय, बिल्कुल बेबुनियादी धरना दिया जा रहा है और बड़े अफसोस की बात यह है कि एक मंत्री रही हुई महिला इस तरह की बेबुनियादी बात का समर्थन करने के लिए खड़ी हो गई हैं। सभापति जी, पूरे

सदन की ओर से इस मामले को हम गीता जी पर छोड़ते हैं, वह ही इस मामले का फैसला कर ले? वास्तव में इनकी बात में कोई तथ्य ही नहीं है।

श्री सभापतिः गीता जी, आप सदन में बेबुनियादी तथ्य उठाकर क्यों सदन का समय बर्बाद कर रही हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः सभापति जी, माननीय मंत्री जी को लगता है * का दौरा पड़ गया है।

श्री सभापतिः दलाल साहब आपको सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दलाल साहब द्वारा सदन में जिन अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें रिकॉर्ड न किया जाये। दलाल साहब आपसे अनुरोध है कि ऐसे शब्दों का दोबारा से सदन में प्रयोग न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति जी, मैं तथ्य आधारित बात ही कर रही हूँ। मेरे पास रईया गांव के किसानों का मांग पत्र है और यह दस्तावेज, किसी तथ्य से कम नहीं है। यह चेयर को ऐड्रेस किया हुआ मांग पत्र है और चेयर तक इसको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : सभापति महोदय, बहन गीता भुक्कल जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहन गीता भुक्कल बहुत पढ़ी–लिखी हैं और कैबिनेट स्तर की मंत्री रह चुकी हैं। एक बेबुनियाद बात सदन में उठा रही हैं। सभापति महोदय, वर्ष 1965–66 से वह जमीन पंचायत की है। पंचायत ने एक रिजौल्यूशन पास करके पहले सरकार को दी है और फिर यूनिवर्सिटी को दी है। सभापति महोदय, कांग्रेसी परिवार के केवल 10 लोग ही धरने पर बैठे हुए हैं और तमाशा कर रहे हैं। उनका एक कागज माननीय सदस्या लेकर सदन में आ गई हैं। सभापति महोदय, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, इस समस्या का कोई भी तर्कपूर्ण समाधान हो, इसके लिए मैं यह बात माननीय सदस्या बहन गीता भुक्कल पर ही छोड़ता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : गीता जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

————————————————————————————

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नही किया गया।**

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : सभापति महोदय, पहली बार नया विधायक सदन में चुनकर आया है आपने माननीय राज्यपाल महोदय

केअभिभाषण पर बोलने के लिए समय भी दिया हुआ है, कृपया करके उन्हें बोलने का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढा (जीन्द) : सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में हरियाणा में हुए विकास के कार्य और आगामी विकास के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हरियाणा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2014 में एक नारा दिया था कि 'सबका साथ–सबका विकास' इसको सही मायने में अमलीजामा पहनाने का काम किया गया है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य जीन्द में नहीं करवाया है। सभापति महोदय, इससे पहले मेरे पिता जी इनैलो में विधायक थे, लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मेरे पिता जी ने कहा था कि कांग्रेस राज में क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। विकास के कार्य कैथल में हुए हैं या फिर ज्यादा विकास के कार्य रोहतक में हुए हैं। मेरे पिता जी ने विधायक होते हुए एक बात कही थी कि रोहतक बड़ा भाई है और कैथल छोटा भाई है, फिर जीन्द वाली बेबे क्यों रूसवाई। जीन्द में किसी भी प्रकार का विकास का कार्य नहीं हुआ है, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका भी नहीं है। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का पीछे का जो सवा चार साल का कार्यकाल रहा उसमें जो जीन्द की 15 साल से बाईपास की लटकी हुई योजना थी या अंडर ब्रिज की योजना थी उसे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे पिता जी वर्ष 2009 में लोगों के बीच में गए तो 6 गांव जाजवान, ढांडाखेड़ी, बडौदी, बरसोला, झांझ कलां और झांझ खुर्द ऐसे थे जहां पर पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी । भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इन गांवों में पानी पहुँचने का काम शुरू हुआ है। चाहे वह बडौदी गांव हो या झांझ कलां और झांझ खुर्द गांव हो। सभापति महोदय, जाजवान गांव से ढांडाखेड़ी गांव तक पानी की व्यवस्था हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता जी ने अपने अंतिम दिनों में भी जीन्द के विकास के कार्यों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 400 करोड़ रुपये की स्कीम के साथ

जीन्द शहर और जीन्द के गांवों में पानी पहुँचाने का ऐलान किया था। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) सभापति जी, मैं तो सिर्फ इस महान सदन से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता जी के जो सपने जीन्द को लेकर थे, मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय भी और जो अब वर्तमान में चल रहा है, उन सभी सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सभापति महोदय, सरकार के पास काम करने का समय कम है और इस कम समय में भी मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान जीन्द हल्के की तरफ दिया जाये। मैं जीन्द में चल रही 'पशु संजीवनी सेवा' का जिक्र करना चाहूंगा । अगर पशु चिकित्सक के पास किसी पशु के बीमार होने पर कॉल आती है तो वह डॉक्टर अपनी गाड़ी से उस गांव में जाकर उस पशु का इलाज करता है । मेरा आपसे एक और आग्रह है कि इस स्कीम को ऑल ओवर हरियाणा में शुरू किया जाना चाहिए । सड़क तंत्र के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जीन्द में बाईपास का निर्माण हुआ है और जीन्द को 6 नैशनल हाइवेज़ की फोरलेनिंग का काम चल रहा है । इससे जीन्द को कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलेगी । उद्योग के मामले में जीन्द बहुत पिछड़ा हुआ है । इसका कारण यह है कि पहले जीन्द को कोई भी हाइवे टच नहीं करता था । शायद इसीलिए जब 90 के दशक में जीन्द में औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया तो ओलमॉस्ट फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी । अब 6 नैशनल हाइवेज़ सं. 71 के फोरलेनिंग से जुड़ने के बाद हमें उम्मीद है कि जीन्द में उद्योगों का विकास होगा और वहां पर लोगों का काम करने का दिल भी करेगा । सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया था । अगर हम लिंगानुपात को देखें तो कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने इसमें काफी अच्छे परिणाम दिए हैं । इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए फाँसी की सजा का प्रावधान करके एक सराहनीय काम किया है । इस पर मेरा कहना है कि यह प्रावधान पूरे देश में होना चाहिए । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6000 रूपये देने की शुरूआत की है । इस पर विपक्ष का कहना है कि यह राशि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है । इस पर मेरा कहना है कि चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों के लिए 100 रूपये प्रतिमाह पैंशन देने की योजना शुरू की थी । सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने उसकी राशि को बढ़ाकर 2000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है । **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)** अध्यक्ष महोदय,

किसान को 6000 से 10,000 और फिर 20,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार ही करेगी । मैं निवेदन करूंगा कि जीन्द के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाए । इसके अतिरिक्त मैं प्रार्थना करूंगा कि जनता देवी मन्दिर के सामने अस्थाई नंदीशाला बनी हुई है । इसको वहां से शिफ्ट करके बीड़ में स्थापित किया जाए और वहां पर कम्युनिटी सैंटर अथवा किसी बड़े पार्क का निर्माण करवाया जाए । मेरी प्रार्थना है कि जीन्द में एक मैडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है । मेरा कहना है कि उसका शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए । (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जीन्द में मैडिकल कॉलेज की बात उठाई है । मैं इनको बताना चाहता हूं कि उस मैडिकल कॉलेज के लिए टैंडर हो चुके हैं और इसका वर्क अलॉट किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त भिवानी, कोरियावास और गुरूग्राम के मैडिकल कॉलेजिज का भी वर्क अलॉट हो चुका है ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । जीन्द में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है । यह जीन्द की इतनी बड़ी समस्या है कि इसका अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है । जो पुराना जीन्द बसा हुआ है उसमें सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है । अतः इसका कोई विशेष इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि सीवरेज की इस समस्या को दूर किया जा सके । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जीन्द में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनना है । जीन्द के निवासियों की मांग है कि वह ओवरब्रिज पिल्लर्स पर बनना चाहिए । इससे वहां के दुकानदारों के काम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके अतिरिक्त मेरी मांग है कि अमरेड़ी गांव के राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर राजकीय वरिष्ठ विद्यालय किया जाए । स्पीकर सर, आपने मुझे माननीय राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं ।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क (असन्ध) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने हमें इतना सच्चा अभिभाषण देकर सारे प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, इसके लिए मैं सारे सदन को बधाई देता हूं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज फरवरी, 2019 तक मेरे असन्ध हल्के में जितने भी विकास कार्य करवाये हैं वह एक

सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। सन् 1966 में हरियाणा प्रदेश बनने के बाद से जितने विकास के काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाये हैं उतने कार्य दूसरी पार्टीज की सरकारों ने कभी नहीं करवाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा असन्ध हल्का बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। सरकार बनने के बाद पहली बार 7 अप्रैल, 2015 को असन्ध हल्के की अनाज मंडी में रैली के दौरान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जितने भी मांगे रखी थी वे सभी 100 प्रतिशत मांगे मंजूर कर ली गयी। इसमें चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, बाईपास बनाने की बात हो, चाहे सब डिपो की बात हो, चाहे रैस्ट हाउस बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो या चाहे अनाज मंडी को बड़ा बनाने की बात हो। ये सभी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंजूर कर ली गयी हैं। आज हमारे क्षेत्र की सड़कों में इतना सुधार आ चुका है कि मैं उसके बारे में कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि कल माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने गोहाना को जिला बनाने की मांग रखी थी परन्तु साथ ही साथ माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि उनकी गोहाना को जिला बनाने की कोई मांग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे असन्ध हल्के को जिला बना दिया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने असन्ध हल्के को जिला बनाने की मांग रखी है। मैं भी उनकी मांग का समर्थन करता हूं।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी भी मेरे असन्ध हल्के को जिला बनाने की मांग का समर्थन कर रहे है। मेरा माननीय सदस्य के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे असंन्ध हल्के के साथ चार जिलों की सीमाएं लगती हैं। पानीपत, जीन्द, कैथल और करनाल जिलों की सीमाएं मेरे हल्के से समान दूरी पर स्थित हैं। अगर मेरे असन्ध हल्के को जिला बना दिया जाएगा तो हमारा एरिया और अधिक तरक्की करता चला जाएगा। इसके अतिरक्त मेरे असन्ध हल्के के गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने के लिए कोई स्टेडियम की सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि असन्ध के गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में एक स्टेडियम बनाया जाए। इसके लिए गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के ग्राउंड की पौने 6 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ हमारे हल्के के बालू पिण्ड और बलौना पिण्ड के लिए भी स्टेडियम की व्यवस्था की जाए ताकि नौजवान

बच्चे खेलों में प्रतिस्पर्धा करके नौकरी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त असन्ध वाले पशुओं के हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है परन्तु वहां पर पशु चिकित्सकों की सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर डाक्टर्ज की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही साथ इस सरकारी हॉस्पिटल में टैस्टिंग लैब की मशीन लगायी जाए ताकि साथ लगती पंचायतों के पशुओं को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ सुखपुरा पिण्ड के पशुओं के ईजाल के लिए पशु चिकित्सक तो हैं परन्तु पशु चिकित्सा हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग कंडम हो चुकी है। इसलिए इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। करनाल से लेकर जो भिवानी वाला नेशनल हाईवे बन रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि एक नगर पौध पिण्ड है वहां पर टोल टैक्स लगाने का विचार किया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस स्थान पर टोल टैक्स लगाया जाएगा वह टोल टैक्स असन्ध हल्के से 10 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए इस टोल टैक्स को मेरे हल्के के गंगा टेड़ी पोपड़ा बॉर्डर पर लगाया जाए। क्योंकि वहां से करनाल आने–जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसके अतिरिक्त असन्ध में गुरू अर्जुन देव पब्लिक स्कूल लड़कियों का स्कूल है। इसमें लैब के लिए एक रूम बनाया जाना बाकी है इसलिए इसके लिए भी ग्रान्ट दी जाए । पीरवाला स्कूल की बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है और यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसलिए इस स्कूल के लिए 6 कमरे बनाने के लिए भी ग्रान्ट दी जाए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जुंडला कस्बा करनाल जिले से काफी दूर पड़ता है, इसलिए वहां पर सब तहसील बनायी जाए जिससे उस क्षेत्र के सभी गांवों को सुविधाएं मिल सकें। थोड़े ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के में एक नया ब्लॉक मूनक बनाकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस ब्लॉक की नयी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी है और जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि गांव जुण्डला में पुलिस चौकी है, उस चौकी को थाना बनाया जाए क्योंकि हमारे कुछ गांवों के लोगों की रिपोर्ट/डी.डी.आर. लिखवाने निसिंग थाने में जाना पड़ता है और कुछ गांव के लोग सदर थाना करनाल में जाते हैं, इसलिए वहां पर एक अलग से थाना बनवाने का कष्ट करें । हमारे जुण्डला इलाके की जनता को अलग से थाना दिया जाये ताकि उनको कोई परेशानी न उठानी पड़े । इसके साथ–साथ हमारे दतलाना गांव में जो पुल है वह

बहुत पुराना हो चुका है और उसकी दिन–ब–दिन खस्ता हालत हो रही है । अगर नहरी विभाग वाले जल्दी से जल्दी पुल बना देंगे तो दतलाना गांव वालों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, असंध शहर में कुछ कॉलोनियां क्रमशः वार्ड नम्बर–14, वार्ड नम्बर–15, वार्ड नम्बर–6 और वार्ड नम्बर–4 हैं उनमें पानी और सीवरेज की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और सफीदों रोड के पास जो कॉलोनी है उसमें से 70 प्रतिशत आबादी वहां बस चुकी है, उस कालोनी में भी पानी और सीवरेज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने की कृपा करे । अध्यक्ष महोदय, छाबड़ा कालोनी जींद रोड पर पड़ती है, उसमें भी सीवरेज और पानी की व्यवस्था की जाये क्योंकि वहां पर भी 90 प्रतिशत आबादी बस चुकी है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1971 से लेकर इतनी लम्बी मांगे जो फाईलों में ही सिमट कर रह गईं थीं, उनको पूरा करने का काम किया गया इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं करतारपुर गुरूद्वारा कोरिडोर के बारे में सदन में बताना चाहूंगा कि उस समय के जो नेता लोग थे, उनकी कमियों के कारण सन् 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने से सिर्फ तीन किलोमीटर की बाउंड्री पाकिस्तान के अंडर में आ गई थी । अगर हमारे नेता इस बात को विभाजन के वक्त ठीक समझते तो आज करतारपुर गुरूद्वारा भारत की बाउंड्री में होता । अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस कोरिडोर का रास्ता खुलवाने के लिए डेरा बाबा नानक से लेकर जो रास्ता दिया है वह एक सराहनीय कदम है और हमारा सिख समाज इस बात को सारी जिंदगी याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने 34 साल बाद वर्ष 1984 में जो दंगे हुए थे, उस वक्त सिख समाज पर अत्याचार हुआ था, उस समाज को इन्साफ दिलवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए और दिल्ली की माननीय हाईकोर्ट ने फैसला किया है जिसकी वजह से जो दोषी लोग हैं, वे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और हमें उम्मीद है कि जो बाकी लोग सजा से बच गये हैं वे भी जल्दी ही जेल में होंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या यह फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया था ? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 34 साल तक इस विषय की फाइल दबा कर रखी हुई थी । देश का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गरीब मां का बेटा आया और उन्होंने वह फाइल बाहर निकाली और हमारे ऊपर अत्याचार करने वालों को सजा मिली और हमें इन्साफ मिला । अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पर गुस्सा तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को आयेगा ही आयेगा लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए । हमारे यहां पंजाबी में एक कहावत है ''छज्ज वी छनके और नाले छलनी भी छनके'' क्योंकि उसमें बड़े–बड़े छेद होते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं । मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने असंध विधान सभा क्षेत्र में चार चांद लगाकर बहुत उसे आगे बढ़ाने का काम किया है । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकॉर्ड में आ जाये कि दिल्ली हाई कोर्ट में सन् 1984 के दंगों में जो सजा हुई है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने करवाई है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य ने कही है आप रिकॉर्ड निकलवाकर चैक कर सकते हो ।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी नोट किया जाये कि हाई कोर्ट ने अपनी जजमैंट में लिखा है कि सन् 1947 में जब से देश आजाद हुआ था तो उस लड़ाई में हिन्दू और मुसलमानों ने अपनी जानें दी थी, लेकिन सन् 1984 के दंगों में एक विशेष जाति पर अत्याचार हुआ था । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह माननीय हाईकोर्ट की जजमैंट में लिखा हुआ है । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विर्क साहब ने जो बात कही है । वह एस.आई.टी. के गठन का हवाला देते हुए ही कही है । एस.आई.टी. का जो गठन किया गया है वह माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था और यह सरकार का फैसला है । एस.आई.टी. का गठन करने के बाद ही यह दिल्ली की माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है । अगर एस.आई.टी. उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाती तो कभी भी दोषियों को सजा नहीं मिल सकती थी इसलिए निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार धन्यवाद के पात्र हैं । अध्यक्ष

महोदय, इसी प्रकार जो करतारपुर कोरिडोर है उसका भी फैसला 22 नवम्बर, 2018 को भारत सरकार की कैबिनेट ने करतारपुर कोरिडोर को खुलवाने के लिए मंजूरी दी है । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, Hon'ble Minsiter is giving wrong statement on the floor of the House. He should know what is realty, what is the facts, then only speak.

श्री आनंद सिंह दांगी (महम) : स्पीकर सर, तीन दिन से हमारी विधान सभा का सैशन चल रहा है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पूरी तरह से खुलकर विचार–विमर्श हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया है। चर्चा के दौरान कई बार खट्टी–मीठी बातें भी यहां पर हुई हैं। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में विपक्ष को सुझाव देने का, सरकार को उसकी कमियां बताने और अपनी मांगों को इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। इसी प्रकार से सरकार का कर्त्तव्य विपक्ष की बात को धैर्यपूर्वक सुनने का, विपक्ष द्वारा दिये गये अच्छे सुझावों पर अमल करने का और विपक्ष द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने का है। स्पीकर सर, आज मैं आपके माध्यम से माननीय कषि मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि उनका जो गुस्सा है वह अचानक ही बहुत हाई लैवल पर पहुंच जाता है। मुझे इनसे हमदर्दी है इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इतना ज्यादा गुस्सा अचानक आ जाना किसी भी प्रकार से इनके हित में नहीं है क्योंकि यह सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुक्सानदेह है। आज तो इनको विशेष रूप से गुस्से से सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्री जी भी नहीं बैठे हैं। अगर गुस्से की वजह से इनको कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हो जाती है तो वह बिलकुल भी ठीक नहीं होती। अध्यक्ष जी, क्वैश्चन पूछने और सरकार से लोकहित के किसी भी विषय पर जानकारी हासिल करने का हमारा अधिकार है, इसलिए हम सवाल तो पूछेंगे ही। सत्तापक्ष को हमारी बात ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनकर उसका सही जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा करना सत्तापक्ष का धर्म भी है और कर्त्तव्य भी है। मैंने बहुत बार ऐसा ही देखा है। जब यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो अध्यक्ष महोदय की परमिशन के बगैर यहां पर सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य या कोई भी मिनिस्टर खड़ा हो जाता हैं जबकि होना तो यह चाहिए कि जिस डिपार्टमैंट से सम्बंधित सवाल पूछा जाता

है तो उस डिपार्टमैंट से सम्बंधित मिनिस्टर ही उस सवाल का जवाब दे। यहां पर जो भी सदस्य बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के खड़े होकर बोलने लग लाते हैं वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, इस प्रकार की शुरूआत पहले कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों द्वारा की जाती है उनमें बहुत से हमसे बहुत वरिष्ठ भी हैं इसलिए हमने ये उन्हीं से ही सीखा है।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी माननीय साथियों की बात को शांतिपूर्वक सुना जाये। कल माननीय साथी डॉ. पवन सैनी जी लगातार दो घंटे बोले हैं उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। विपक्ष की ओर से चाहे इनैलो के साथी बोलें या फिर हमारी पार्टी के साथी बोलें सत्तापक्ष के सम्मानित साथी उनको अपनी पूरी बात नहीं कहने देते और अध्यक्ष महोदय की परमीशन के बिना ही बीच में बार–बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर मैं सत्तापक्ष को यह कहूं कि वे पिछले तीन दिन से यहां पर सारी झूठी बातें बोलने लग रहे हैं तो क्या ये मेरी इस बात को मान लेंगे? स्पीकर सर, जो मुद्दे हैं उन्हीं में से आगे की बात निकलती है। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकार को उसको सुनकर अमल में लाना चाहिए। इससे सदन के साथ ही साथ लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परायें भी स्वतः ही निभ जाती हैं। हमें यहां पर चारों ओर से जनता देख रही है। चाहे लोग यहां पर बैठ कर देख रहे हैं या फिर टी.वी. के माध्यम से देख रहे हैं इसलिए यहां पर कौन आदमी किस प्रकार से अपना रोल अदा कर रहा है वह सभी के सामने आ जाता है। मैं बार–बार यही कहना चाहता हूं कि सरकार को प्रदेश की जनता की भलाई के लिए विपक्ष के अच्छे सुझावों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं एक बात फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि यहां पर सभी माननीय सदस्यों और विशेषकर मिनिस्टर्ज व सत्तापक्ष के दूसरे सम्मानित साथियों को धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। हमें प्रदेश की जनता ने यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनकर भेजा है। हम कोई ऐसे–वैसे आदमी नहीं हैं क्योंकि हम अपने–अपने क्षेत्र की लगभग 2.5 से 3 लाख जनसंख्या में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता हमारी तरफ बड़ी आशापूर्ण दृष्टि से देखती है। सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्वक चलाने के लिए सत्तापक्ष का दायित्व विपक्ष से बहुत ज्यादा बनता है इसलिए सत्तापक्ष को अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। जहां तक विपक्षी सदस्यों

की बात है वे तो अपनी बात यहां पर सुना देंगे लेकिन अंततः उस पर अमल तो सरकार को ही करना है। किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी काम को करने के लिए कही गई बात पर गुस्सा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है इसलिए यहां पर सबसे पहले तो सभी का अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी के बारे में यह बात ठीक है कि वे बहुत मेहनत करते हैं। वे मेले भी लगाते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने की बात भी करते हैं और भी सब तरह की बातें होती हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे पुराने समय को भूल गये हैं। पहले वे किसानों के लिए संघर्ष करते थे, कभी बोरी पहनते थे और कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। आज वे उन सभी बातों को भूलकर, सारी बातों को गौण करके अपनी बात पर आ गये हैं। आज उन्हीं पुरानी बातों पर आना बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कृषि मंत्री जी करते थे। अगर आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाये तो गेहूं का भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल बनता है लेकिन धनखड़ साहब 1850 /– रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर ही नाचने लग जाते हैं कि हमने गेहूं का इतना भाव कर दिया है। वास्तव में अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाये तो गेहूं का भाव 2700 /– रुपये प्रति क्विंटल बनता है। आज कृषि मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं लेकिन इनको बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा सब कुछ किसान पर निर्भर है। रोजी–रोटी, दुकान, समाज का उत्थान, प्रदेश का विकास तथा देश की उन्नति आज किसान पर निर्भर है। श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी का व्यापार भी किसान पर निर्भर है इसलिए हम किसान की बात को लेकर मजाक करें तो यह ठीक नहीं है। आज किसान की हालत ठीक नहीं है लेकिन सरकार के द्वारा यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने किसान की फसल के इतने भाव दे दिये, हमने किसान को 6 हजार रुपये दे दिये। मैं जानना चाहता हूं कि 6 हजार रुपये से किसान का क्या हो सकता है, एक हिसाब लगाया जाये तो एक दिन के 16.50 रुपये बैठते हैं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने 6 हजार रुपये तो दिये हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने नॉन ऐजेन्डे को ऐजेन्डा बनाना शुरू कर दिया है और इनके द्वारा यह काम सदन में भी और सदन के बाहर भी किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इससे

इनको नुकसान ही होगा। केन्द्र सरकार ने "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत किसानों को 6 हजार रुपये दिये तो इनके नेता ने कहा कि एक दिन के लगभग 17 रुपये ही बनते हैं। क्या इन्होंने किसानों को कभी 7 रुपये भी दिये थे ? कांग्रेस सरकार के समय में 47000 करोड़ की सब्सिडी काट कर न्यूट्रीशन बेस्ड सब्सिडी के नाम पर केवल 52 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया और उसकी बड़ी वाह–वाही लेते रहे। जबकि आज हमारी सरकार "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के तहत 75 हजार करोड़ रुपया किसानों को देने जा रही है अगर हम इसको 170 रुपये एक दिन के हिसाब से कर दें तो दांगी साहब और हुड्डा साहब दोनों को हिसाब आता है कि वह कितने करोड़ बनेगा और इनको पता है कि केन्द्र सरकार इतना पैसा नहीं दे पायेगी। इन्होंने यह एक तरीका शुरू किया है कि हर बात को छोटा दिखाया जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी लेकिन ये उसको दबाकर बैठे रहे। हमने उसको इम्पलीमैंट किया है तो ये और बड़ी–बड़ी बातें करते हैं। जो ऐजेन्डा ही नहीं है उसको ऐजेन्डा बना कर माहौल को खराब करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और उससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे पहले जो बातें हुई हैं वे भी बिना ऐजेन्डा थी। गैर ऐजेन्डे को ऐजेन्डा बनाने से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। ये सोचते हैं कि प्रदेश की जनता को बुद्धू बनाया जा सकता है लेकिन मैं कहता हूं प्रदेश की जनता सबकुछ समझती है। देश की और प्रदेश की जनता किसान हितैषी कदमों से खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है इसलिए इनको ये गलत बात करनी छोड़ देनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हमने लागू कर दिया है वह गलत है । इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है । यह स्वामीनाथन ने खुद कहा है और मैं भी कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद वर्किंग ग्रुप ऑन ऐग्रीकल्चर प्रौडक्शन का चेयरमैन था । इस ग्रुप की रिक्मैंडेशन भी यही है कि किसान की फसलों की लागत सी–2 फॉर्मूले पर आंकी जाएगी और यही रिक्मैंडेशन स्वामीनाथन आयोग की भी है । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत बात मत कहें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हम फैमिली लेबर और ए–2 फॉर्मूले पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लेकर आए हैं, सी–2 फॉर्मूले पर नहीं लाए हैं । हुड्डा साहब तो खुद उस वर्किंग ग्रुप ऑन ऐग्रीकल्चर के

चेयरमैन थे । उस समय इनके पांच और मुख्यमंत्री इस ग्रुप के मैंबर थे । इनकी सिफारिश तो फैमिली लेबर व ए–2 फॉर्मूला पर भी नहीं ली । अब ये कौन सी बात कर रहे हैं ? यह खुद इस ग्रुप के अध्यक्ष थे लेकिन उसमें इनकी इतनी बात भी नहीं सुनी गई थी । दिसम्बर 2010 में यह अपने उस ग्रुप की रिपोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को देकर आए थे लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई थी। कम से कम हमारी सरकार ने इतनी तो सुनी कि ए–2 + एफ.एल. का फॉर्मूला किसानों की उनकी फसलों का दे दिया । इसी आधार पर हमने सारी फसलों की खरीद की है । इनकी सरकार ने चार मुख्यमंत्री का एक ग्रुप बनाया लेकिन इनकी एक बात भी नहीं सुनी गई। इनके ग्रुप की कभी एक बात भी नहीं मानी गई । इसलिए हम कहते हैं कि आप उस समय एक कमजोर मुख्यमंत्री थे । उस ग्रुप के कमजोर मुखिया थे । हमने अपनी सरकार के समय में एजेंडा उठाया और उसको अपने घोषणा पत्र में डलवाया, तब हम उसको लागू करवा पाए हैं और उसी आधार पर अब हम फसलों की खरीद कर रहे हैं । यह हमारी ताकत है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी रिक्विजीशन भी सी–2 फॉर्मूले की थी । (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि 70 साल में आज भाई नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' के तहत 6 हजार रुपये देने का फैसला किया है जिसकी लागत 75 हजार करोड़ रुपये आने वाली है । कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया और आज जब मिल रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल तक न देने के लिए सदन से माफी मांगेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण उस राशि को ना काफी बता रहे हैं । इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं किया आज हमारी सरकार ने इतना कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए सदन से माफी मांगेंगे ? कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पैंशन के नाम पर लोगों को 40 साल तक धोखा दिया । आज पूर्व सैनिकों के खाते में 35 हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 40 साल तक कुछ भी नहीं दिया । आज जो थोड़ा सैनिकों को देने से बचा है उसको न काफी बता कर के ये लोग अपराध बोध से मुक्त होना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, ये अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में इस तरह का अपराध कांग्रेस पार्टी ने किया है । अध्यक्ष

महोदय, मेरी अन्तिम बात यह है कि अभी श्रीमान महान प्रकाण्ड विद्वान पंडित कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि मंत्री को सोचकर बोलना चाहिए । उनको शायद किसी ने समझा दिया और वह उनकी बात को ही फाइनल मान लेते हैं । उनको यह नहीं पता कि पंडित कुलदीप शर्मा का ज्ञान भी सीमित हो सकता है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले दिसम्बर 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जी.पी माथुर कमेटी बिठाई थी जो 1984 राईट्स (6) के जो ग्रिवेंसिज बचे हुए हैं वह उनको देखेगी ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई एस.आई.टी. गठित नहीं की गई है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि शायद दिनांक 11–12 फरवरी, 2015 में तीन मैंबर की एक एस. आई.टी. वर्ष 1986 बैंच ने आई.पी.एस. ऑफिसर श्री प्रमोद अस्थाना जी की अध्यक्षता में अलग से बिठाई गई थी जिसमें एक एडीशनल सैशन जज और एक एडीशनल डी.सी.पी., दिल्ली पुलिस मैंबर्ज थे। इन तीन मैंबर्ज की एस.आई.टी. माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी सरकार में बनी थी । अध्यक्ष महोदय, 75 केसिज तो ऐसे थे जिनको बिल्कुल बन्द किया जा चुका था उन 75 केसिज को री–ओपन करके इस अन्जाम तक पहुंचे हैं । पंडित कुलदीप शर्मा जी अपने कहे हुए शब्द वापिस लें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री देख कर, जानकर, सही तथ्यों का पता करके ही बोलते हैं । माननीय सदस्य पंडित कुलदीप शर्मा जी को अपनी बात वापिस लेनी चाहिए । पंडित कुलदीप शर्मा जी बड़े अहंकार से सदन में बोलते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : I will reply to him. He is telling a lie.

Captain Abhimanyu : You have to withdraw your statement. You are wrong on your statement.

Shri Kuldip Sharma : You may only tell the truth. You are wrong.

Captain Abhimanyu : You do not know the facts. I am quoting it. **(Interruption)** Are you challenging my facts ? Let it be ordered that it can be decided by the Hon'ble Speaker. You are only trying to defend the lie. **(Interruption)** You cannot defend the lie. Someone has told you and he is himself ignorant about it. You are trying to mislead the House. You cannot be allowed to do it.

Shri Kuldip Sharma : You are misleading the House. **(Interruption)**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने कहा है यह भी ठीक है और जो कुलदीप शर्मा जी ने कहना चाह रहे हैं वह भी ठीक है क्योंकि जो सजा हुई है और जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह उस केस में सजा हुई है जो पहले इक्वीटल हो चुका था और उसमें पहले मुकद्मा चल चुका था । वह केस हाई कोर्ट में पैंडिंग था । वह इक्वीटल के बाद अपील में आ गए थे । इस एस.आई.टी. से उस केस का कोई मतलब नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, उसका एस.आई.टी. से मतलब है । फरवरी, 2015 के अन्दर जो नई एस.आई.टी. गठित की गई है उस एस.आई.टी. ने 75 केसिज को री–ओपन करके उसके फाइनल डिसीजन पर सजा हुई है । अगर माननीय सदस्य को उसके बारे में नहीं पता है तो वे कह दें कि मुझे नहीं पता है (शोर एवं व्यवधान) लेकिन इनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है । ये अपनी गलत जानकारी से दूसरे को नहीं दबा सकते हैं । इनको अपने अहंकार से बाहर निकलना चाहिए ।

18.00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जिस केस की सजा की यह बात कह रहे हैं उसका एस.आई.टी. से कोई वास्ता ही नहीं है वह दूसरा केस है। एस.आई.टी. ने जो 75 केसिज रैफरेंस किए हैं उनके बारे में सबको मालूम है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब फिर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। 75 केसिज जो बंद कर दिए गए थे, वे री–ओपन हुए हैं और उन्हीं केसिज में सजा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सजा कौन से कोर्ट ने की है। हाई कोर्ट में सजा हुई है या लोअर कोर्ट में सजा हुई है? अध्यक्ष महोदय, सजा हमेशा लोअर कोर्ट करता है हाई कोर्ट नहीं करता? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, सदन में अभी शोर व्यवधान के दौरान कुलदीप जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोई एस.आई.टी. गठित नहीं की थी। मैंने तो बाकायदा इसकी डेट तक बता दी है। एस.आई.टी. में शामिल अधिकारियों के नाम तक बता दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की वह भी बताया है। (शोर एवं व्यवधान) यह लोग तो बिल्कुल साफ कह रहे थे कि कोई एस.आई.टी. गठित ही नहीं हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इस तरह से you are defeating my rights. I have to give reply in this regard. Please allow me to speak. **(Interruption)**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, एस.आई.टी. गठित की गई है वह बात भी ठीक है लेकिन जो सजा हुई है वह इस एस.आई.टी. की कार्रवाई पर नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एस.आई.टी. की रिकमंडेशन पर किस कोर्ट ने सजा दी है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, Hon'ble Minister is misleading the House. So, I have to reply with your permission.

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः स्पीकर सर, आप मुझे अपनी बात कहने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो सच्चाई को दबाना चाहते हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, हुड्डा साहब ने अपनी बात रख दी और मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है अब बात खत्म हो गई है अतः अब आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma: Speaker Sir, Mr. Sajjan Kumar has been convicted in a case in which he was earlier acquitted by the High Court. He was not trialled by the High Court. So, the Minister does not know anything. He is ignorant about law. He is trying to repeat his lie and for which he has to apologize. The Minister is telling a lie. (Interruption)

Capt. Abhimanu: I object Sir. यह अपनी झूठ को डिफेंड करने के लिए और झूठ बोल रहे हैं। Let him bring the fact. I have brought the fact. He is only defending his lie.

Shri Kuldip Sharma: I have brought the fact.

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, झूठे को क्या समझाना?(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, समझना तो इनको पड़ेगा ही? स्पीकर सर, आपको मंत्री जी को समझा देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, हुड्डा साहब ने अपनी बात रख दी और मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। कुलदीप जी अब आपको बैठ जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, I want to speak on a point of order. Hon'ble Minister is saying something else and the Hon'ble Member is also saying something else. Therefore, the controversy is evolving. यह कैसे पता चले कि यह ठीक कह रहे हैं या वह ठीक कह रहे हैं? इसके लिए सदन की तीन अलग अलग पार्टियों के सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाये और यह कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनका झूठ सामने आ जायेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इनका झूठ ही सामने आयेगा। कब तक इनका झूठ चलेगा? इस तरह से झूठ को डिफेंड नहीं किया जा सकता। झूठ बोल देते हैं और पीछे पड़कर उसे सच बनाना चाहते हैं।

Shri Kuldip Sharma: Hon'ble Speaker Sir, Mr. Minister is misleading the House. Let constitute a Committee. अध्यक्ष महोदय, झूठ को रिपीट करना और अफवाहों को बढ़ावा देना भी एक अपराध है। आप कमेटी बनाईये। मिनिस्टर भी एग्री कर रहे हैं और हम भी एग्री कर रहे हैं। सब कुछ साफ हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, two senior members are involving in this debate. One is saying something else and other is saying something else. इस तरह से कैसे फैसला होगा? अतः निवेदन है सदन के तीनों पार्टियों की एक फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कमेटी के गठन की ही बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जिस 2015 की नोटिफिकेशन को हाथ में लेकर दिखा रहे हैं, क्या उस पर कंविक्शन हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, बात को घुमाया जा रहा है। बात यह नहीं है। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोई एस.आई.टी. गठित नहीं की थी। रिकॉर्ड निकालकर देखा जा सकता है। आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रिकॉर्ड चैक करवाओ। यह लोग अब अपनी झूठ को घूमा रहे हैं। (शोर एवं

व्यवधान) इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कोई एस.आई.टी. गठित नहीं की और हमने उसको प्रमाणित किया कि मोदी जी ने एस.आई.टी. गठित की है। 75 केसिज को री–ओपन किया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें किसको सजा हुई, अब न तो कैप्टन साहब उसको फांसी पर चढ़वा सकते और न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग बोल रहे हैं वह बरी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि जो व्यक्ति इस हाउस का मैम्बर ही नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं है।

Shri Karan Singh Dalal: Speaker Sir, Mr. Sajjan Kumar is not a member of this August House so why his name is discussed.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, किसान हरियाणा प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए रीड की हड्डी होती है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को 6 हजार रुपये की सहूलियत दें या फिर 10–20 हजार रुपये या इससे ज्यादा रूपयों की सहूलियत दें वह भी कम है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि एम.एस.पी. के लिए हमें अपनी–अपनी पार्टी लाइन से उठकर इक्ट्ठे होकर के पूरी लगन और मेहनत के साथ केन्द्र सरकार से डिमाण्ड करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसानों को जो 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत 6 हजार रुपये की सहूलियत दी गई है वह स्वामीनाथन आयोग के आधार पर नहीं दी गई है। मैं तो यह कहता हूँ कि आज तक किसानों को कोई भी लाभ और फसल का भाव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का नाम लेकर नहीं दिया गया है। सरकार ने किसानों को कुछ भी दिया हो तो वह अपने ही हिसाब से दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह भी कहा है कि जिसकी जमीन 5 एकड़ होगी उसे ही 6 हजार रुपये मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि लोगों की इक्ट्ठी खेवट है। सरकार यह कर सकती है कि एक परिवार में जितने भाई हैं और उनकी जितनी जमीन हैं, उसका हिसाब लगाकर 5 एकड़ तक जिसका बनता है, उन सबको इसका लाभ देंगे। यह बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि सरकार किसानों के लिए यह कहती है कि हमने यह कर दिया वह कर दिया लेकिन इसके साथ–साथ हम किसानों के ऊपर टैक्सों का या अन्य बोझ भी डाल रहे हैं। चाहे वह खाद की खरीद में हो, कीटनाशक दवाइयां में हो या फिर एग्रीकल्चर उपक्रम खरीद में हो। अध्यक्ष महोदय, जो रेट पहले थे आज कई गुना

तक बढ़ गए हैं। जी.एस.टी. लगने के कारण भाव ज्यादा न बढ़े इसलिए खाद की बोरी जो पहले 50 किलोग्राम की हुआ करती थी आज वह 45 किलोग्राम की हो गई है। हमें किसानों पर एहसान जताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमने किसानों के लिए यह कर दिया। मैं तो यह कहता हूँ कि किसान जो हमारे लिए कर सकते हैं, हम उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम किसानों से केवल लेने–लेने का ही काम कर सकते हैं देना तो दूर की बात रही। अध्यक्ष महोदय, किसानों का दूसरा मसला पशुधन से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में आदमी चाहे गांव व शहर में किसी भी बिरादरी से संबंध रखता हो, सबका सहारा पशु ही होता है। पशुधन में सरकार पशु मेला लगाए, अच्छी बात है। इससे पशुओं की नस्लें उभर कर आयेंगी और पशुपालक और ज्यादा मेहनत करके पशुओं का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगा। खेती के साथ–साथ गरीब आदमी का पशुधन भी आय का साधन है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो पशु मेले में दूध को लेकर के इनाम रखा है वह केवल 18 किलोग्राम का ही रखा है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार में 10 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक उसके हिसाब से कम ज्यादा इनाम पशुपालकों को दिया जाता था। इससे जो आदमी पशु रखते थे उनको कुछ न कुछ सहारा मिल जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी निवेदन करूँगा कि उसी तरह की स्कीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लागू करना चाहिए। इससे लोगों में पशुओं के प्रति रुचि बढ़ेगी और दूध उत्पादन में भी हरियाणा नं0 1 आ सकता है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब ने जो बात सदन में कही है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो डेयरी फार्म या पशुपालन हैं उनमें दूध की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाने के लिए जैनेटिक, क्लाइमेट, चारा और नई टेक्नोलॉजी चार आधार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 15 लीटर दूध प्रति पशु, इंग्लैंड में 16 लीटर दूध प्रति पशु और ब्राजील भी पशुओं की कई नस्लों में हमसे काफी आगे तक गया है । अतः हम जैनेटिक्स/ब्रीड को सुधारने के लिए भी एक विधेयक ला रहे हैं । अब हम सारा जोर उस पर लगाएंगे जो हमारे लिए बेस्ट है । पहले कम दूध वाले पशु को भी मान मिलता रहा, कम दूध वाला पशु भी चलता रहा अब हम उसको रोककर अच्छे से अच्छे दूध उत्पादक पशुओं की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसके लैवल को ऊँचा किया जा रहा है । इसी नाते से हम दूसरी टैक्नोलॉजिज भी ला रहे हैं कि कैसे हम अच्छी नस्ल के भैंसे अपने लाजपतराय

विश्वविद्यालय में तैयार करें । हम इनका सर्टिफिकेशन/रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और उन्हीं के माध्यम से आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन (ए.आई.) करेंगे । अतः हम इस सारे सीन को बदलना चाहते हैं । आज हरियाणा में पशुओं की दूध उत्पादकता दर 6.8 लीटर दूध प्रति पशु है । हमारी इच्छा है कि हम दुनिया के अन्य देशों की दूध उत्पादन में बराबरी करें, इसलिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं । किसान को इंसैंटिव्ज देने के और भी बहुत–से रास्ते हैं । पशुओं की ब्रीड़ को सुधारने के लिए यह रास्ता श्रेष्ठतम है, इसलिए हमने इसको अपनाया है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, अगर 15 किलोग्राम दूध देने वाली भैंस को अच्छा चारा दिया जाए तो वह 18 किलोग्राम दूध प्रति दिन तक दे सकती है । हालांकि माननीय मंत्री जी ने अपनी बात को सजैशंज देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की है । मेरे विचार से अगर हम पशुओं को अच्छा चारा देकर दूध उत्पादन बढ़ाएंगे तो इससे गरीब से गरीब आदमी को भी मदद मिलेगी और हमें गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आनन्द सिंह जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है । अब आप वाइंड अप कर लीजिए ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पशुओं के बीमा की जो योजना चलाई है वह लिमिटेड संख्या में की है । गांवों में हर पशु का बीमा नहीं किया गया है । मेरे विचार से आपने गांव की आबादी के हिसाब से पशुओं का बीमा करने का क्राइटेरिया तय कर रखा है । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई लिमिट नहीं है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर माननीय मंत्री जी को इसमें कोई शक है तो वे इसे चैक कर लें । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके गांव निंदाणी की याद दिलाना चाहता हूं जहां पर वे खेले–कूदे, पैदल चलना सीखे और अपने बचपन की सभी गतिविधियां की । मैं इसके विषय में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गांव में केवल एक बार गए हैं । उस समय इनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी भी गए थे । केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने उस गांव को पूरे गांव के लोगों के सामने गोद लिया था । इस वाक्ये को हुए 4 साल हो गए लेकिन आज तक उस गांव में सिर्फ एक कम्युनिटी सैंटर और एंट्री प्वॉयंट्स पर गांव के नाम के दो गेट्स बने हैं । इसके अलावा वहां पर विकास की एक ईंट भी नहीं

लगाई गई है । हालांकि उस गांव को हमारी सरकार के समय में ही हुड्डा साहब द्वारा मॉडल गांव बना दिया गया था । इस विषय में मेरा तो कहना है कि उस गांव का इतना विकास होना चाहिए कि यह अलग से पता चले कि यह हरियाणा के मुख्यमंत्री का गांव है । अब तक उस गांव का किलेबंदी का काम अधूरा पड़ा है । इस बारे में वहां के लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल भी चुके हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उस गांव का सिर्फ 5–7 परसैंट काम ही पैंडिंग है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, उसका 5–7 परसैंट नहीं बल्कि 92–93 परसैंट काम पैंडिंग है । मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैं वहां पर रोज़ जाता हूं और वह गांव मेरा जन्मस्थान भी है । (विघ्न) पानी की निकासी उस पूरे इलाके की एक गम्भीर समस्या है । निंदाणी गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी खड़ा हुआ है । उस खड़े पानी से पहले तो वहां की धान की फसल बर्बाद हो गई और अब गेहूं की बिजाई नहीं हो पाई । अगर आप आज भी वहां पर सड़क से गुजरोगे तो आपको वहां पर पानी खड़ा हुआ मिलेगा । अतः मेरा आपसे कहना है कि आप कोई ऐसी स्कीम बनाइये जिससे कि उस इलाके की इस समस्या का पक्का समाधान हो सके । मेरा कहना है कि इस मामले में कोई ज्यादा इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता नहीं हैं । वहां के लोग खुद बता देंगे कि कहां से पानी आता है और कहां से पानी जाएगा ? वहां पर सिर्फ काम करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, महम में एक जनरल हॉस्पिटल है । वहां उस हॉस्पिटल में 8 पोस्ट सैंक्शंड हैं जबकि वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर लगा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, हमारे मदीना की सी.एच.सी. में एक डॉक्टर है। इसके अतिरिक्त महम हल्के की दूसरी पी.एच. सीज. में भी लगभग कोई डाक्टर्ज नहीं हैं। लाखन माजरा में माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा ने सब तहसील की घोषणा की थी और यह लाखन माजरा 20–25 गांवों के सैंटर पड़ता है। इस सब तहसील के लिए एक बिल्डिंग भी है परन्तु अब तक वहां पर काम शुरू करने की बात नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस काम को शुरू करवाया जाए।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार

का आईना होता है और उसमें सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं जो सरकार की दिशा और दशा भी बताती हैं। लेकिन इस अभिभाषण को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसमें न तो सरकार की कोई नयी सोच नहीं है और न ही कोई दिशा है। इस अभिभाषण में पूरी तरह से गुमराह करने वाली और भ्रांति पैदा करने वाली बातें हैं। इससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आज प्रदेश के किसान दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं और नौजवान हताश हैं और पूरा हरियाणा प्रदेश त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है। (विघ्न) सरकार दावे कर रही है और ढ़ोल पीट रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा "प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना" की शुरूआत की जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख 50 हजार किसानों को 2,000/–रूपये के हिसाब से त्रैमासिक किश्त दी जाएगी परन्तु प्रदेश के इन बाकी बचे हुए 15 लाख 60 हजार भूमिहीन किसानों का क्या होगा ? सरकार ने भूमिहीन किसानों के बारे में क्या प्रावधान किया है। सरकार ने इन बाकी बचे हुए किसानों के बारे में क्या योजना बनायी है ? माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में भी बताएं। अगर मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एम.एस.पी. देने की बात करूंगा तो माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी कहेंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया था ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जब महाभारत का धर्म युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युद्धिष्ठर मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तो भीष्म पितामह ने उनसे पूछा कि कुशल प्रशासन के सूत्र बताईये तो उन्होंने बताया कि हमें कभी भी अतीत को कोसते हुए अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। अगर अतीत ही सुन्दर होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बलवान जी, आपने कहा है कि मृत्यु शैया पर युद्धिष्ठर लेटे हुए थे परन्तु मृत्यु शैया पर तो भीष्म पितामाह लेटे हुए थे।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गेहूं की बात करूं तो सरकार किसानों को 1965 रूपये का भाव दे रही है परन्तु सरकार बनने से पहले बी.जे.पी. के माननीय सदस्यों ने अर्धनग्न होकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सी–2 फॉर्मूले पर लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक समर्थन मूल्य देने की बात की गयी थी। आज चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 1935/–रूपये का खर्चा आता है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 817/–रूपये मिलाकर कुल 2752/–

रूपये प्रति क्विंटल का भाव बनता है। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1840/–रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब देकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और सरकार कहती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है। इसी तरह से शिवधाम निधिकरण योजना के तहत शमशान घाटों का नवीनीकरण करने, शैड बनाने, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने, चार दीवारी बनाने और सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा मृत पशुओं की हाडखोरी के लिए भी चार दीवारी बनवायी जाए और कब्रिस्तान की भी चार दीवारी बनवायी जाए। इसके लिए सरकार को एक बड़ी सोच दिखानी चाहिए और इन स्थानों तक सड़कों का भी निर्माण करवाया जाना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की संकुचित मानसिकता नजर आती है। निवेशक मैत्री माहौल में वर्ष 2016 में हैपनिंग हरियाणा सम्मिट हुआ था और माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़े–बड़े दावे किये थे कि हमने करोड़ रुपये के एम.ओ.यूज. साइन किये हैं। इससे प्रदेश में करोड़ों रूपये का निवेश आएगा। इसके बाद भी हैपनिंग हरियाणा के कई अवतार हमें देखने को मिले परन्तु अभी तक प्रदेश में कोई बड़ी कम्पनी नहीं आयी है और न ही कोई निवेश हुआ है लेकिन हमारे प्रदेश का एच.एम.टी. का उद्योग जरूर बन्द हो गया।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हैपनिंग हरियाणा के बारे में सरकार ने कल जवाब दे दिया था। अगर माननीय सदस्य दोबारा से जवाब चाहेंगे तो फिर से जवाब दे देंगे। माननीय सदस्य एक दिन का टूर बना लें तो मैं उनको सभी जगह पर ले जाकर एक–एक चीज चैक करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बलवान जी, माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर कल ही अपना जवाब दे दिया था।

श्री बलवान सिंह दौलपुरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सारे संसार का भ्रमण किया है उनकी यात्राओं पर कितने पैसों का खर्चा आया है और हमारे प्रदेश में कितने पैसों का निवेश आया है? इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यात्राओं के बारे में स्वयं बताएं क्योंकि यह बात माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी के बस की नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर कहती है कि वे पानी लाने के लिए वचनबद्ध/कटिबद्ध हैं। एस.वाई.एल. नहर के बारे में माननीय सुप्रीम

कोर्ट का नवम्बर, 2016 में फैसला आया था परन्तु आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिला है, इसलिए सरकार की वचनबद्धता पर कैसे एतबार किया जाएगा ? सरकार द्वारा जनता को किसाउ, लखवार और रेणुका बांध बनाने के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये बांध तो सिर्फ बरसात का पानी लाने के लिए ही हैं। जब तक सरकार द्वारा एस. वाई.एल. नहर का पानी लाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक प्रदेश में पानी की पूर्ति नहीं होगी। यह नहर हरियाणा प्रदेश की लाइफ लाइन है और हरियाणा प्रदेश के बच्चे –बच्चे की जीवन रेखा है। (विघ्न)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यगण तो केवल कस्सी लेकर सड़क खोदने के लिए गये थे। (शारे एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बलवान जी, आप अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि क्या हम सड़क खोदने के लिए गये थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बलवान जी, आप अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, विर्क साहब को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा । हम वहां पर कस्सी से नहर खोदने के लिए नहीं गये थे । अध्यक्ष महोदय, इस बात का आपको भी पता है कि कस्सी से नहर नहीं खोदी जा सकती उसके लिए जे.सी.बी. मशीन की जरूरत पड़ती है लेकिन यह सब बातें कहने के लिए ही होती है। हम नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पंजाब में कस्सी लेकर प्रतीकात्मक रूप से नहर खोदने के लिए गये थे लेकिन उस टाईम अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री भी हमारे साथ होते तो पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार पर दवाब बढ़ता। हरियाणा का बच्चा–बच्चा एस.वाई.एल. नहर के प्रति गंभीर है लेकिन ये लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब इनको नहीं पता है कि एस.वाई.एल. नहर हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ?(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को तो एस.वाई.एल. नहर की डेफिनेशन का भी पता नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महीपाल ढांडा जी, प्लीज बैठ जाये । माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान) जब बाकी के माननीय सदस्यों ने अपनी

बात सदन में रखी है तो इनको भी अपनी बात सदन में रखने का हक है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का हमारे जीवन में, हमारी जिन्दगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसका श्री महीपाल ढांडा जी को नहीं पता है। (विघ्न) हां, हो सकता है कि मेरे जैसे लोगों को भी न पता हो । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा और माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को पता है क्योंकि वे भी उस एरिया से आते है जहां पर पानी की कमी है । आज से 50 वर्ष पहले हम 12 महीने बाजरे की रोटी खाते थे और जब घर में कभी बटेऊ/दामाद आ जाता था तो कैप्टन साहब, जब रोटी देने का टाईम होता था तो थाली के नीचे चार रोटी बाजरे की और चार रोटी गेंहू की होती थी । मां कहती थी कि बच्चों पहले दामाद जी को खाना खाने दो, उसके बाद तुम्हें भी गेंहू की रोटी मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, उस समय बच्चे बहुत खुश होते थे कि मुझे आज गेंहू की रोटी मिलेगी। आज इस तरह के लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें दोबारा से 12 महीने बाजरे की रोटी खानी पड़ सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्यों को सद्बुद्धि दे और कहीं न कहीं एस.वाई.एल. कैनाल का पानी हमें मिल जाये । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले मुर्गियों को बाजरा देना पड़ता था इसलिए इन लोगों को याद आ रही है । अध्यक्ष महोदय, नैशनल हैल्थ मिशन द्वारा बनाई गई उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन नीति भी भारत सरकार द्वारा सराहना की गई है । नीति आयोग द्वारा 115 जिलों में इसका प्रदर्शन भी किया गया है, जिन कर्मचारियों ने उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन नीति बनाई थी, वे आज आंदोलनरत है । उन कर्मचारियों ने पहले भी हड़ताल की थी और आज इन्हें बर्खास्त किया जा रहा है । क्या सरकार अच्छा कार्य करने के लिए इन कर्मचारियों को यही इनाम दे रही है? आज उनकी हड़ताल 18 वें दिन तक पहुंच चुकी है । मेरी सरकार से विनती है कि उनका तुरन्त समाधान करना चाहिए और उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से पूरे हिन्दुस्तान में हमारा बहुत बड़ा प्रभुत्व वर्ग वकील हड़ताल पर हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं जो सरकार को गंभीरतापूर्वक मानना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, जहां तक डी–ग्रुप के कर्मचारियों की भर्ती की बात है, सरकार द्वारा बड़े–बड़े दावे किये जा रहे हैं कि हमने इतनी नौकरी दे दी ।

अध्यक्ष महोदय, दावे तो सरकार ने बहुत किये थे कि दो लाख नौकरियां प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जायेंगी, हिसाब तो दो लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का देना था और उल्टा हरियाणा सरकार 56 हजार नौकरियों का हिसाब दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने 40 हजार कर्मचारियों की नौकरियां छीनी है और 40 हजार कर्मचारियों के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, सरकार पहले यह बतायें कि अब तक कितनी नई नौकरियां दी गई हैं और कितनी नौकरियां छीनी गई हैं ? अध्यक्ष महोदय, हमारी बी.जे.पी. के साथी तो जींद उपचुनाव जीतने के बाद सातवें आसमान की बात करने लग गए हैं और इनके धरती पर पैर ही नहीं टिक रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं भी नया विधायक हूं। श्री पवन सैनी और श्री महीपाल ढांडा जी को पता नहीं है कि छांव और धूप क्या होती है ? यह बात तो श्री पंवार साहब और श्री शर्मा जी को ज्यादा पता है क्योंकि ये सदन में काफी पुराने सदस्य हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सन् 1986 में तोशाम में बाई इलेक्शन हुआ था । चौधरी बंसी लाल जी पूरे हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीते थे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी सातवें आसमान पर पहुंच गये थे । सन् 1987 में कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हुई थी, उसके बारे में आप सभी माननीय सदस्यों को पता ही है। इसी तरह से वर्ष 1993–94 में नरवाना विधान सभा क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी से, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस पार्टी से, मास्टर हुकुम सिंह जी, बी.जे.पी. से और इंदर सिंह नैन जी उस चुनाव में खड़े हुए थे, इन तीनों उम्मीदवारों के मुकाबले बी.जे.पी. के उम्मीदवार को मात्र 3 हजार वोट पड़े थे लेकिन सन् 1996 में चौधरी बंसी लाल जी ने सरकार बनाने का भी काम किया था । अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा उतावले न हों क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती हैं । अध्यक्ष महोदय, एक बार इंडिया शाईनिंग फील गुड्स फैक्टर के चक्कर में भी जल्दी–जल्दी चुनाव हो गये थे और चुनाव में भाजपा की हर हो गई थी । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को समझाओ की दही के भरोसे कपास न खा जायें, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय '' विधायक आदर्श ग्राम योजना'' के तहत सरकार ने दो करोड़ रुपये की ग्रांट देने का निर्णय किया था । मैंने खावड़ाकलां गांव खोद लिया हुआ है, आज तक मुझे इस योजना के तहत 100 रुपये तक की ग्रांट नहीं

मिली है और मेरी गुजारिश है कि मेरी जल्दी से जल्दी ग्रांट रिलीज की जाये । अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित होकर भूना शुगर मिल को बंद करने का काम किया बल्कि मिल को औने–पौने दामों में बेचने का भी काम किया था। अध्यक्ष महोदय, बाद में एक एजेंसी के साथ एग्रीमैंट भी हुआ था कि भूना शुगर मिल को कंटीन्यू चलाया जायेगा लेकिन वह मिल आज भी ज्यों की त्यों बंद पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार या तो उस मिल को चालू करे या उसको टेकओवर करके दोबारा से चालू करवाने का काम करे क्योंकि जिस भी जिले से कोई उद्योग पिछड़ता है तो उस जिले के अंदर बहुत हानि होती है । लोगों का रोजगार छिनता है । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ''म्हारा ग्राम योजना'' की शुरूआत की गई है । इस योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को माना गया है । जिस गांव की आबादी 10 हजार है उसको इस योजना में शामिल किया जायेगा । मेरे फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के भट्टूकलां गांव की आबादी 19 हजार से ऊपर है और इस गांव में इस योजना के तहत आज तक कोई ग्रांट नहीं दी गई है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान ले और मुझे इस योजना के तहत ग्रांट मुहैया करवाई जाये। स्पीकर सर, कल मेरा इस आशय का एक क्वैश्चन भी लगा था लेकिन शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझ ही नहीं पाये मैंने यह मांग की थी कि डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वॉर्टर पर नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना की जाये इस पर उन्होंने कहा कि वहां पर पहले ही एक संस्थान चल रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि वह एडिड कॉलेज है और उसमें बी.ए. की एक वर्ष की फीस 12000 रूपये लगती है जबकि गवर्नमैंट कॉलेज में यह मात्र 3000 रूपये ही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरे माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः रिक्वैस्ट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वॉर्टर पर नैशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जल्दी से जल्दी स्थापना की जाये ताकि हमारे वहां के बच्चों को भी दूसरी जगहों की तरह सस्ती और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो राम बिलास शर्मा जी मेरा सवाल नहीं समझ पाये या फिर शब्दों के मायाजाल में उलझाकर मुझे गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब दें तो उस समय फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर हमें एक नैशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देने की कृपा जरूर करें। इसके लिए पूरे फतेहाबाद की जनता उनकी

बहुत–बहुत आभारी होगी। अध्यक्ष जी, यहां पर प्रदेश के बहुत से जिलों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई। हमारे फतेहाबाद जिले का नाम भी माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में शामिल था। यह ठीक बात है कि हमारे जिले में 24 घंटे बिजली दी जा रही है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृद्य से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक डिमाण्ड यह है कि हमारे जिले के 40 परसैंट लोग ढाणियों में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा एक स्कीम की घोषणा की हुई है कि गांव के लाल डोरा से एक–एक किलोमीटर के अंदर–अंदर जो ढाणियां है वहां पर सरकार अपने खर्चे पर डोमैस्टिक फीडर से बिजली पहुंचाने का काम करेगी। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि इस सीमा को लाल डोरा से एक किलोमीटर से बढ़ाकर पांच किलोमीटर किया जाये ताकि मेरे जिले की ढाणियों में भी डोमैस्टिक फीडर से बिजली की आपूर्ति हो सके। अध्यक्ष जी, हमारे फतेहाबाद में नया बहुत ही अच्छा बस स्टैण्ड बनकर तैयार हो गया है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी एक–दो दिन में उद्घाटन करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बार–बार धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं । इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि फतेहाबाद में जो पुराना बस स्टैण्ड है वह प्राईम लोकेशन पर है। फतेहाबाद के आस–पास के इलाकों में आये दिन बहुत से एक्सीडैंट्स होते हैं जिनमें घायलों को हैड इंजरी के ईलाज की सुविधा न होने के कारण उनको पी.जी. आई.एम.एस., रोहतक या दिल्ली रैफर कर दिया जाता है। इतने लम्बे सफर में ज्यादातर घायलों की मृत्यु भी हो जाती है इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पुराने बस स्टैण्ड के स्थान पर हैड इंजरी के लिए ट्रामा सैंटर खोलने की घोषणा की जाये ताकि हैड इंजरी की स्थिति में घायलों को तुरंत ही उचित ईलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से मेरे हल्के के ढाण्ड गांव में पिछले 6 साल से पशु अस्पताल बनाने के लिए सरकार को जमीन दे रखी है लेकिन अभी तक वहां पर पशु अस्पताल की स्थापना नहीं की गई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट है कि वहां पर जल्द से जल्द पशु अस्पताल की स्थापना की जाये। अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, अभी 20 फरवरी, 2019 को माननीय राज्यपाल महोदय जी ने इस सत्र के प्रारम्भ के प्रथम दिन सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी नीतियों को बताते हुए अपना अभिभाषण दिया। दो दिन से हम यहां पर लगातार उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान स्वाभाविक है कि सदन के सदस्यों में से विपक्षी सदस्यों को सरकार की कुछ स्वाभाविक आलोचना भी करनी होती है जो कि विपक्षी सदस्यों ने की है। माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की कुछ कमियां भी बताई हैं। स्वाभाविक है कि विपक्ष की कुछ शंकायें, शिकायतें और प्रश्न होते हैं जिनका विपक्षी सदस्यों द्वारा यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी बहुत सारी बातें यहां पर बताई हैं। यह तो बड़ा स्वाभाविक है लेकिन तब हमें ज्यादा अच्छा लगता है जब विपक्ष के माननीय सदस्य भी सरकार की योजनाओं और सरकार द्वारा किये गये कार्यों पर अपनी सहमति की मोहर लगा देते हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' की प्रशंसा की है। इसी प्रकार से डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने सरकार द्वारा प्रदेश भर में आयोजित करवाये जा रहे सफल पशु मेलों की प्रशंसा की है। ऐसे ही अभी–अभी श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी बता रहे थे कि उनके जिले में बिजली की सप्लाई 24 घंटे हो रही है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी अंत्योदय जैसे शब्द का प्रयोग किया गया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अंत्योदय जैसे शब्द भी लोगों के ध्यान में आने लग गये हैं कि अंत्योदय नाम से भी कोई योजनायें बनाई जा सकती हैं। इस मिले–जुले वातावरण में आज माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर सारी चर्चा के बाद आज मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के साथ ही साथ उनकी शंकाओं का समाधान करने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए हम यहां पर उनके धन्यवाद के लिए भी एक प्रस्ताव पारित करेंगे। जनता के समर्थन के नाते से जो पहला विषय शुरू किया गया क्योंकि कभी भी सरकार की बात बोलना एक बात है लेकिन उसका प्रमाण भी चाहिए। यह प्रमाण भी अपने आप में जब होता है तो ध्यान में आता है कि जनता क्या सोचती है। भले आलोचना के रुप में

कहा गया होगा लेकिन प्रमाण यही है कि हमारी सरकार आने के बाद साढ़े चार साल में जितने भी चुनाव हुये हैं उनमें हमने जीत हासिल की है। चाहे वह फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हो या गुरूग्राम नगर निगम का चुनाव हो, पंचायतों का जिला परिषद का चुनाव हुआ हो, या 5 नगर निगमों में मेयर के डायरेक्ट चुनाव हों या जीन्द का उप–चुनाव हो हमने जीत हासिल की है। इसी प्रकार से छात्रसंघ के चुनाव की बात है तो उसके लिए हम सीधे–सीधे तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें छात्रसंघों की 20–22 साल पुरानी डिमांड थी और उसी के तहत हमने छात्रसंघों के चुनाव भी करवाये। इन सभी चुनावों में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को जनता ने अपना समर्थन दिया है। जब हम इस प्रकार की चर्चा सदन में करते हैं तो हम आपस में बातचीत करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों समूह बनते हैं लेकिन दोनों समूह जब बातचीत करते हैं तो अध्यक्ष महोदय, उस बातचीत को कंट्रोल करने में आपकी भी भूमिका रहती है। आपकी भूमिका यही है कि सब लोग अपनी बात को ठीक से रख सकें और आप सभी सदस्यों को पर्याप्त समय देते हैं लेकिन हम सबको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सारी बातचीत को हम किसके लिए करते हैं, वह बातचीत हम जनता के लिए करते हैं। आखिर जनता को हम अपनी बात बताते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार क्या करती है और हमारे सदन के और जनता के बीच में हमारा एक बड़ा योगदान करने वाला, भूमिका निभाने वाला जो एक आर्गेनाईजेशन है वह मीडिया का है। मीडिया हम सबको देखता है कि हम लोग किस प्रकार से अपने सदन में कार्यवाही चलाते हैं, क्या सार्थक चर्चा है या बहस के लिए बहस करते हैं? कभी–कभी हम बहस के मुद्दों पर चल पड़ते हैं। तथ्य कुछ और होते हैं तथा हम रखते कुछ और हैं। मेरा कहना यह है कि तथ्यों के साथ अगर आलोचना की जाये तो स्वागत है। आखिर सभी बातें सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे सीनियर सदस्य आज विपक्ष में बैठे हैं और उनके अपने–अपने अनुभव हैं, उनके अनुभवों की अच्छी बातें हम सीख सकते हैं लेकिन उनके अनुभवों की ऐसी बातें जिनके कारण से जनता ने उनको दुत्कारा है कम से कम वह हमको ध्यान भी करानी पड़ेंगी। आखिर इस ध्यान कराने का हेतू यह है कि जनता को भी ध्यान रहे कि आगे उस प्रकार की भूमिका कोई भी निभाए तो उसको सत्ता के नजदीक आने का अधिकार भी जनता न दे। इसलिए यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है यानि यह सरकार का पांचवा वर्ष है। इसका मतलब यह है कि यह सरकार का पांचवा बजट

सत्र है। इस बजट सत्र में भी हम आगे की सभी योजनाएं बताने वाले हैं। निश्चित रुप से इस पर जनता का पूरा ध्यान है। जनता जब परिणाम देती है तो उस समय कुल मिला कर हमको भी यह लगता है कि जनता के बीच में रहने वाले जो लोग हैं उनको ही जनता प्यार करती है। प्यार विपक्ष भी दिखाता है और हम भी जनता से प्यार करते हैं। हम भी कहते हैं कि हम जनता को प्यार करते हैं लेकिन इसमें अन्तर है। जब विपक्ष सियासत की बात करते हैं तो आप सियासत की खातिर प्यार करते हैं और हम जब प्यार की बात करते हैं तो हम प्यार की खातिर सियासत करते हैं। विपक्ष सेवा करने की बात करता है तो सियासत की खातिर सेवा करते हैं और हम सेवा की खातिर सियासत करते हैं। यह अन्तर हमारा और विपक्ष का है। इसको जनता प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकी है। जितना इतिहास पिछले 48 साल का है और यह साढ़े चार साल का है जनता इसका मिलान जरूर करेगी। यह बात ठीक है कि जीत–हार लगती रहती है। जीत–हार में भी मानस कैसा है, मानस भी अच्छा चाहिए, कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमारे कांग्रेस के साथी हार कर भी गुरूर करते हैं लेकिन हम जीत कर भी विनम्र बैठे हैं। विनम्रता का भाव हमारा आज भी उसी प्रकार का बना हुआ है क्योंकि हमें इस वर्ष का जितना काम करना है वह तो करना ही है आने वाले सत्र में भी, आने वाला जो अगला चुनाव के बाद का 5 साल का सत्र है उसमें भी निश्चित रुप से भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से आगे बढ़ेगी और मैं कहता हूं कि मैजोरिटी से आगे बढ़ेगी। उससे पहले एक प्रयोग लोकसभा चुनाव के रुप में आयेगा और उसके बाद हरियाणा विधान सभा के चुनाव अपने निश्चित समय पर होंगे ऐसा हमने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। आज किसानों की बात की जा रही है । अच्छा तो यह होता कि किसानों की सबसे ज्यादा बात करने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद होते और स्वयं उत्तर सुन लेते, लेकिन मुझे तो उनके प्रश्न का उत्तर सदन में रखना ही है । उन्होंने बाजरे की खरीद में 4 क्विंटल की जो बात कही है अर्थात एक एकड़ के ऊपर 4 क्विंटल की बात उन्होंने कही है लेकिन हमने 8 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कही है जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूं । मेरे पास अभी केवल सिरसा जिले की एक नाथूसरी चौपटा मण्डी का ही रिकॉर्ड है, वैसे तो सिरसा जिला में 54 मण्डियां हैं लेकिन बाजरा सभी मण्डियों में नहीं खरीदा जाता है । कुछ मण्डियां ही उसमें अथोराईज्ड हैं । नाथूसरी चौपटा मण्डी का रिकॉर्ड मैंने निकलवाया है । उसमें प्रारम्भ के जो चार नाम लिखे हैं मैं उनको पढ़ देता हूं । बलबीर पुत्र श्री

सुभाष गांव व डाकखाना कानी सुरेहा (ऐलनाबाद) ने चार एकड़ जमीन में बाजरा बोया जिसमें से उन्होंने 30 क्विंटल बाजरा बेचा । (शोर एवं व्यवधान) इसी के साथ गांव नाथोर जो रानियां हल्के में है उसमें एक किसान ने 3 एकड़ बाजरा बोया ।(शोर एवं व्यवधान) अजय पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव अमृतसर नाथूसरी चौपटा मण्डी में रजिस्टर्ड फार्मर जिसका सील नं. 159364 है से 13 एकड़ जमीन में बाजरे की फसल की बुआई की थी जिसका 104 क्विंटल बाजरा खरीदा गया है । (शोर एवं व्यवधान) अमृतसर गांव तो वहीं पड़ता है ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : मुख्यमंत्री जी, अमृतसर गांव के किसान तो नाथूसरी चौपटा मण्डी में अपनी फसल बेचने के लिए आ ही नहीं सकते।

श्री मनोहर लाल : बलवान सिंह जी, आपके सिरसा में बाजरे की कितनी मण्डियां हैं, यह बात तो उसको पता ही होगी । मैं तो यह केवल नाथूसरी चौपटा मण्डी का रिकॉर्ड बता रहा हूं । अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यह सारा रिकॉर्ड ले सकते हैं । इस समय मेरे पास सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है । अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने मिनिमम 8 क्विंटल बाजरे की खरीद की कंडीशन क्यों रखी थी मैं वह भी सदन को बता देता हूं । हमने यह इसलिए किया क्योंकि एम.एस.पी. घोषित होने के बाद यह हमें मालूम है कि जहां तक गेहूं और धान को खरीदने की बात है और उसकी प्रिक्योरमैंट एफ.सी.आई. करती है । एफ.सी.आई. सभी एजेंसीज के माध्यम से खरीद कर लेती है लेकिन जो बाकी फसलें हैं चाहे उसमें बाजरा है, मूंग है, सरसों है, सूरजमुखी है । ऐसी फसलें जो स्टेट में अपने आप कंज्यूम कर सकते हैं वही चीजें आपको खरीदनी है । उसमें यह भी एक शर्त है, अब क्योंकि अपने आप खरीदनी है और मार्किट में उसका पूरा भाव मिलेगा नहीं इसलिए हमने यह योजना बनाई कि इसके अन्दर हम 'भावान्तर भरपाई योजना' देंगे । जब बाजरा शुरू हुआ उस समय बाजार में बाजरे का भाव 1500–1600 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन हमें वह 1950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में खरीदना है । भाव में जो यह 400 रुपये का अन्तर है अगर हम यह 'भावान्तर भरपाई योजना' के तहत सभी स्टेट्स के लोगों के लिए खोल देंगे तो साथ लगते राजस्थान की बैल्ट जहां पर बाजरा ज्यादा होता है वह बाजरा हमारे हरियाणा में धड़ाधड़ बेचने के लिए आ जाएगा क्योंकि कोई रोक टोक तो है नहीं, क्योंकि सभी स्टेट्स के किसान यहां अपनी फसल बेचने के लिए आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारे किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है क्योंकि जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वही किसान अपने

बाजरे को 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बेच सकता है । अन्यथा पहले एक–एक एकड़ के ऊपर 20–20, 50–50 क्विंटल बाजरा भी बेचा जा रहा था । इस रजिस्ट्रेशन का मतलब यह भी था । इस 'भावान्तर भरपाई योजना' से हम पहली बार 18 लाख 25 हजार क्विंटल बाजरा खरीद पाए हैं । इतना बाजरा पिछले आठ साल में कभी नहीं खरीदा गया था । वर्ष 2012–13 में 5 लाख 47 हजार क्विंटल बाजरा मंड़ियों में आया था लेकिन सरकार की ओर से इसे नहीं खरीदा गया और प्राईवेटली इसकी परचेज की गई। इसके बाद वर्ष 2013–14 में भी सरकार द्वारा बाजरा नहीं खरीदा गया और यही सिलसिला वर्ष 2014–15 में भी बरकरार रहा। वर्ष 2105–16 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 51 हजार क्विंटल बाजरा खरीदा। पूरा बाजरा खरीदा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था लेकिन खरीदना जरूर शुरू कर दिया था। 2016–17 में 63 हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया। वर्ष 2017–18 में 3 लाख 14 हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया और वर्ष 2018–19 चूंकि इस वित्त वर्ष में हमने घोषणा की थी कि सरकार की तरफ से किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान के बाजरे का एक–एक दाना खरीदा जायेगा, के परिणामस्वरूप 18 लाख 25 हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया जोकि हरियाणा के इतिहास में एक रिकॉर्ड है और बाजरे की खरीद का एक–एक आना, एक–एक पाई तथा एक–एक पैसा हम सीधे किसानों के खाते में जमा करायेंगे। आज मंडियों में जाकर किसानों के चेहरे देखने की जरूरत नहीं है कि वे खुश हैं या नहीं बल्कि अब उनके चेहर उस वक्त खिले हुए देखने को मिलते हैं जब उन्हें बैंक में जाकर पता लगता है कि उनके खाते में पैसा आ गया है। वहां जाकर उनका चेहरा खिलता है। मंडी में चेहरे कहां खिलते हैं और अब वह जमाना बीत गया जब आढ़ती किसान को पैसे देता था, उसकी जेब में डालता था, आधे पैसे देता, कम पैसे देता या फिर नहीं भी देता था और किसान का मजबूरीवश चेहरा खिलता था कि चलो कुछ तो पैसा आया। अध्यक्ष महोदय, आज किसान के एक–एक पैसे का हिसाब है और वह पैसा सीधे किसान के खाते में जायेगा। यह भी है ठीक है कि किसान की फसलों के डॉयरेक्ट पेमेंट के कारण आढ़तियों के एक बहुत बड़े वर्ग को शायद शिकायत होगी तो उनकी शिकायत को दूर करने के लिए भी हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं और बीच का रास्ता यह है कि जो फसल एफ.सी.आई खरीदती है वह सारी फसल आढ़तियों के माध्यम से खरीदी जाती है लेकिन जो फसलें सरकार डॉयरेक्ट खरीदेगी जिसके द्वारा आढ़तियों को

नुकसान भी उठाना पड़ेगा, इन फसलों को अगर सरकार डॉयरेक्ट भी खरीदती है तो भी सवा परसैंट आढ़त पर सरकार इसको खरीद लेगी। वैसे जब पिछली बार आढ़तियों से हमने सरसों पर आढ़त की परसैंटेज के विषय पर बात की तो वे अढ़ाई परसैंट की डिमांड कर रहे थे लेकिन सरकार ने उनको बाद में सवा परसैंट आढ़त पर मना लिया। सरसों का सवा परसैंट आढ़त का जो रेट है, वह एक अच्छा रेट है और सरकार सवा परसैंट आढ़त पर सरसों की खरीद करेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार किसान हित में जो कुछ भी कर सकती है करेगी ताकि किसी भी सूरत में किसान को तकलीफ न हो पाये। जहां तक ई–खरीद मंडियों की बात है, इस बार 11 करोड़ 50 लाख क्विंटल अनाज की खरीद ई–मंड़ियों के माध्यम से की गई है जिससे 26,823 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। भाव यह है कि ई–मंडियों का विस्तार हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में कुल 108 मंडियां हैं जिनमें से केवल 54 मंड़ियों में ही ई–खरीद शुरू हो पाई है लेकिन जैसे–जैसे प्रौसेस आगे बढ़ेगा तो हम 108 की 108 मंडियों में ई–खरीद प्रणाली शुरू कर देंगे। यदि नम्बर ऑफ मंडी के हिसाब से देखा जाये तो पायेंगे कि मंडियो को ई–मंडियों में बदलने के क्षेत्र में हरियाणा अव्वल नम्बर है। हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसान के पास शिकायत का कोई मौका ही न रहे। अभी सदन में दलाल साहब द्वारा एक विषय उठाया गया था कि सैस नहीं लगाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि किसान की फसल पर जो फीस ली जाती है उसमें सैस नाम की कोई फीस है ही नही। यह फीस दो अलग–अलग हैड्ज में होती है। एक हैड है एच.आर.डी.एफ. और दूसरा हैड है मार्किट फीस। किसान की फसल पर इन दोनों हैड्ज में 2–2 परसैंट चार्ज किया जाता है। किसान की फसल पर कोई जी.एस.टी./वैट या सैस चार्ज नहीं किया जाता और जो यह हैड्ज मैंने अभी बताये है, इन हैड्ज में जो कुल 4 परसेंट चार्ज किया जाता है, यह आज से शुरू नहीं हुआ है बल्कि वर्ष 1980 या फिर 1985–86 से शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक यह लगातार चल रहा है। किसान की फसल पर जो फीस चार्ज की जाती है उससे 700–800 करोड़ रुपये की सालाना आय हो जाती है जिसका उपयोग गांव के विकास के लिए सीधे–सीधे किया जाता है। किसी सरपंच को गांव के लिए विकास के लिए 10 लाख रुपये की जरूरत होगी, किसी को 20 लाख रुपये की जरूरत होगी, इसी प्रकार कोई एम.एल.ए. हमारे पास आता है और अपने हलके के विकास कार्यों के लिए पांच–दस करोड़ रुपये के काम दे जाता है या

जैसे जनता की तरफ से कोई डिमांड आ जाती है तो हम उस डिमांड को पूरा करते हैं और इस तरह के कार्यो में मार्किट फीस से प्राप्त 700–800 करोड़ रुपया बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर यह पैसा नहीं चार्ज किया जाये तो बतायें नुकसान किसको होगा? इस पैसे से गांव का विकास होगा, मंडियों का अच्छी तरह से रख–रखाव हो सकेगा और आप यह देख भी सकते हैं कि आज हरियाणा की मंडियां आसपास के पड़ोसी राज्यों की मंडियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा अच्छी हालत में हैं। इन मंडियों में हर प्रकार की व्यवस्थायें ठीक–ठाक हालत में हैं और यही कारण है कि आज हरियाणा की मंडियों में आस पास के राज्यों का अनाज भी बिकने के लिए आता है। क्यों आता है? इनको अपने प्रदेश में भी अच्छा रेट मिल सकता है। वहां भी उनकी व्यवस्थायें ठीक हो सकती हैं लेकिन शायद ठीक नहीं हैं इसलिए ही तो ये हरियाणा की मंडियों में आते हैं। आज हरियाणा की मंडियों में पंजाब से भी अन्न आता है। राजस्थान का भी आता है और उत्तर प्रदेश का भी आता है तो यह सारे हमारे यहां इसलिए बेचने आते हैं क्योंकि हमारी मंडियां अच्छी हैं। हमारी गांव की जो सड़कें हैं वह भी मार्किट फीस से बनती हैं। सरकार ने जो किसान खेत सड़क योजना के अंतर्गत 25 किलोमीटर लंबी तीन–चार करम की खड़ंजा पक्की सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, यह सड़कें इसी पैसे से ही तो बनाई जायेंगी। अगर यह 800 करोड़ रुपया नहीं आता है तो मंडियां, किसान तथा गांव की सड़कें इससे प्रभावित होंगी लेकिन अगर माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल यह चाहते हैं कि यह मार्किट फीस बंद हो तो ठीक है। इस प्रकार से गांवों में, मण्डियों में और सड़कों में विकास की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का प्रस्ताव सदन पास करता है तो यह जिम्मेवारी भाई करण सिंह दलाल की होगी क्योंकि अध्यक्ष महोदय यह सुझाव श्री करण सिंह दलाल ने ही दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह मार्किट फीस जी.एस.टी. में नहीं आती है और VAT में भी नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि यह किसानों से नहीं ली जाती है बल्कि यह खरीददार से ली जाती है। तीसरा पार्ट इसमें यह है कि एफ.सी.आई. का अनाज जो हम प्रिक्योर करते हैं। यह एफ.सी.आई. से आता है अर्थात् भारत सरकार से आता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम परसेंटेज निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं। 60 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक का जो पैसा है 1600 करोड़ रुपये में वह भारत सरकार की जो खरीद होती है उसमें से निकलता है। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है,

इसलिए यह किसान पर नहीं पड़ता है। इसी कारण से किसी मण्डी में हमारा अनाज नहीं जाता है। अध्यक्ष महोदय, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि हमको अनाज रोकना पड़ता है। जब तक हमारे किसानों का अनाज नहीं बिकेगा तब तक हम आस–पास के राज्यों का अनाज नहीं आने देंगे। जबकि किसी भी प्रांत का अनाज हमारी मण्डियों में बिके तो हमको 4 प्रतिशत मार्किट फीस का बैनिफिट होता है। उन किसानों के अनाज हमारी मण्डियों में आने पर हमारे किसान भाइयों को कोई भी हानि नहीं होती है। हमारी मण्डियों में दूसरे किसानों का अनाज आते ही हमको 4 प्रतिशत मार्किट फीस का बैनिफिट मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, गुमराह करने वाली बातों को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 'भावांतर भरपाई योजना' में सब्जियों को हमने पिछले दो साल से शुरू किया है। इसका रजिस्ट्रेशन, 'जे' फार्म, बिक्री आदि कुल मिलाकर इस तरह की सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर हम व्यवस्था नहीं बनायेंगे तो कोई भी हिसाब नहीं हो पायेगा। सारे हिसाब लगाने के बाद पिछले वर्ष में चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये हमने आलू, प्याज, गोभी और टमाटर इन सब्जियों पर भावांतर किया। जबकि कुल बिक्री 4 लाख 55 हजार क्विंटल की हुई यानी एक रुपया प्रति किलो औसत के हिसाब से सब्सिडी किसानों को हमने दी है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम यह सब्सिडी नहीं देते तो सब्जियां सस्ती बिकती, कुछ मंहगी बिकती या फिर ज्यादा सस्ती बिकती और लोग सड़कों पर फैंकते। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने किसानों से यह कहा कि सब्जियों को सड़कों पर मत फेंको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में बताना चाहता हूँ कि पहले वर्ष अर्ली वैरायटी में आलू पर नहीं था लेकिन बाद में पता लगा कि जनवरी के महीने में और ज्यादा सस्ता बेचते हैं। भावांतर भरपाई योजना एक फरवरी से शुरू होती है। हमने कह कर अर्ली वैरायली आलू पर भी भावांतर शुरू करवाया ताकि किसान सस्ता बेचने से बच सके और किसानों को लाभ हो सके। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश बरवा ने एक विषय यह उठाया था कि सब्सिडी कुछ जगह कम और कुछ जगह ज्यादा होती है। यह बात ठीक है। अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन में सब्सिडी 85 प्रतिशत है और अन्य जोन में सब्सिडी 60 प्रतिशत है, इसलिए डार्क जोन और अन्य जोन में एक निर्धारित पॉलिसी के तहत यह अंतर आता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 30 करोड़ रुपये के लगभग सब्सिडी रिलीज हो चुकी है और 13 करोड़ रुपये के करीब सब्सिडी पैंडिंग पड़ी हुई है, वह भी जल्दी

रिलीज हो जायेगी। (विघ्न) भेड़ों के विपणन केंद्र के बंद होने के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उसे पुनः शुरू करवा दिया जाएगा । इसके अलावा ओलावृष्टि से किसान की जो फसल खराब हो गई थी उसके मुआवजे के 138.91 करोड़ रुपये सैंक्शन हो चुके हैं । हमने यह राशि रिलीज कर दी है और यह 5 मार्च तक बैंकों में पहुंच जाएगी । अभी जो वर्षा हुई थी उसकी रिपोर्टिंग करवा ली गई है । इसके अनुसार पलवल जिले के 5 गांव, गुरूग्राम जिले के 115 गांव, महेन्द्रगढ़ जिले के 16 गांव और झज्जर जिले के 2 गांवों में गिरदावरी करवाई जाएगी । (विघ्न) विपक्षी सदस्यों द्वारा गन्ने की बकाया राशि पर प्रश्न उठाया गया है । इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 48 सालों का अगर रिकॉर्ड चैक करें तो पता चलेगा कि फरवरी के महीने में कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जब पिछले सीजन का बकाया न रहा हो । विपक्ष के सदस्यों को ऐसे प्रश्न पूछने का अधिकार तभी था जब उन्होंने फरवरी माह में पिछले सीजन का सारा बकाया चुका दिया होता । आज से पहले कभी भी फरवरी माह में पिछले साल का बकाया खत्म नहीं हुआ था । यह हमारी सरकार का काम है कि हमने जनवरी माह में ही पिछले साल का सारा बकाया किसानों को दे दिया था । आज के दिन हमारे पास पिछले साल का कोई बकाया नहीं है । अब अगर थोड़ा–बहुत बकाया है तो वह इस साल के खरीदे हुए गन्ने का है । हमने इस साल कुल 212 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है । इस गन्ने की कुल 719 करोड़ रुपये कीमत है । इसमें से 322 करोड़ रुपये पे हो चुके हैं और फिलहाल 392 करोड़ रुपये पैंडिंग हैं । यह रिकॉर्ड सभी 14 मिलों का है फिर चाहे वे कॉओपरेटिव मिल हों या प्राइवेट मिल हों । यह एक रनिंग काम और रनिंग बिजनस है । जैसे–जैसे चीनी उठती जाती है वैसे–वैसे पेमेंट होती जाती है । आज चीनी बहुत सस्ती बिक रही है जबकि हरियाणा में गन्ने का रेट सबसे ज्यादा है । इस वजह से जो गैप है वह बहुत ज्यादा है । जैसा हमने बताया कि हमने 11 कोऑपरेटिव मिलों को 1400 करोड़ रुपये दिए हैं जबकि आज से पहले तक पिछली सरकारों ने कुल 700 करोड़ रुपये दिए थे । इस वजह से वह गैप बढ़ गया है । हमने उनकी भरपाई तो करनी ही है । इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार की ओर से शुगरकेन कमीशन ने कहा है कि प्राइवेट मिलों को भी आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से कंपनशेट करना है । हम यह फॉर्मूला बनाएंगे । पिछले साल 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की खरीद की गई थी । हमने यह पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला है और उसके बाद बाकी पेमेंट मिलों द्वारा

की गई है । हम इस बार के लिए एक फॉर्मूला बनाकर सब्सिडी देंगे ताकि किसान की पेमेंट न रूके । It is also in the interest of the farmers. अगर हम मिलों का घाटा कंपनशेट नहीं करेंगे तो उनकी पेमेंट रूकेगी और पेमेंट रूकने के बाद साल–साल, 2–2 साल तक पेमेंट नहीं होगी । मिलें चाहे सरकारी हों या प्राइवेट हों अगर वे घाटे में जाती हैं तो यह उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है । अतः हमें उन मिलों के भविष्य के बारे में भी ख्याल करना है । यह समस्या सारे देश की है। यह केवल हरियाणा की समस्या नहीं है । सारे देश की चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं। अब जैसे पानीपत शुगर मिल की बात आई थी । यह ठीक है कि हमने 2 वर्ष पहले उसका शिलान्यास किया था । उस पर कुछ व्यवधान थे जिनको अब दूर कर दिया गया है । अब उसका डी.पी.आर. बनाकर टैण्डर अलॉट कर दिया गया है। इस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा । इसके अतिरिक्त करनाल की शुगर मिल का ऑडिट शेष था । अब उसका ऑडिट पूरा हो गया है । हमें उम्मीद है कि अब उसका टैंडर लगकर 5–6 मार्च तक आचार संहिता से पहले–पहले वह भी खुल सकती है ।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने श्री बीर सिंह को शुगर मिल का एम.डी. लगाया है और वह एक रिटायर्ड एच.सी.एस. ऑफिसर है इसलिए वह इस पद पर नहीं लग सकता था। इस अधिकारी के द्वारा जो टैंडर्ज जारी किए गये हैं उसमें नार्म्ज को इग्नोर किया गया है और कुछ लोगों का फेवर किया गया है। क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी ?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जब यह बात हमारे पास आयी थी तो अभी जैसा मैंने बताया कि करनाल जिले के शुगर मिल का एक महीना लगाकर सारे प्रोसैस का ऑडिट करवाया था और उसमें जो चीजें अपेक्षित थी या जो डिमांड्ज थी उसमें चाहे सिविल वर्क्स की बात हो, मशीनरी की बात हो या इन्स्टालेशन की बात हो। हमने एक–एक चीज का ऑडिट करवाया है और 1 महीने में ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद उस टैंडर को खोला गया है। आडिट द्वारा जांच के दौरान कोई कमी नहीं पायी गयी। विभाग द्वारा टैंडर्ज में नगोशियेशन करके 30 करोड़ रुपये बचाकर टैंडर जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त अगर भविष्य में किसी भी अधिकारी की किसी भी अवसर पर संलिप्तता पायी जाएगी तो उसको बक्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से पराली जलाने की बात आयी थी यह विषय माननीय राज्यपाल महोदय के

अभिभाषण में पैरा नम्बर 54 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किये गये हैं। यह सब्सिडी इंडिविज्युअल फार्मर्ज को दी गयी है। इसके अतिरिक्त जो कस्टम हायरिंग सैंटर्ज हैं उनके लिए मशीनरी हायर करने का भी प्रावधान किया गया है। पराली को इकट्ठा करने वालों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने 3,666 इंडिविज्युअल फार्मर्ज को सब्सिडी दी है। इसके अतिरिक्त 17 करोड़ 83 रूपये की सब्सिडी मशीनरी हायर करने वालों को भी दी है। इस पराली को किसान न जलाएं इसके लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके लिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से एक समझौता किया है और प्लांट लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन पानीपत में अलॉट हो गयी है और वे जल्द ही प्लांट लगाने वाले हैं। इस प्लांट में पानीपत करनाल और आसपास के जिलों की पराली अगले साल से खरीदनी शुरू हो जाएगी और प्लांट वाले ही पराली खरीदकर प्लांट में ले जाएंगे। यह हमारा पहला प्रयोग होगा। सरकार द्वारा पराली से एथेनाल व पॉवर बनाने के लिए पी.पी.पी. मोड पर फैक्ट्री लगाने के लिए भी छूट दी हुई है। वैसे तो कैथल और पानीपत से पीछे के जिलों खासकर सोनीपत, रोहतक और जीन्द जिलों के किसान अपनी पराली इकट्ठी करके बेच देते हैं, इसलिए इन जिलों में तो पराली जलाने का सिस्टम कम हो गया है लेकिन उत्तर हरियाणा में अभी भी थोड़ी बहुत पराली जलायी जाती है। सरकार द्वारा पराली न जलाने के लिए सख्ती भी की गयी है ताकि एन.जी.टी. के ऑर्डर्ज की पालना की जा सके। हमें पता है कि ऐसा करने से किसानों को तक्लीफ होती है। एक तरफ किसानों की तकलीफ है और दूसरी तरफ पॉल्यूशन के नार्म्ज की पालना करनी भी जरूरी है। एन.जी.टी. के आदेश हैं कि पॉल्यूशन के नियमों का पालन किया जाए और पॉल्यूशन के मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नजर रख रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी आवश्यकता होती है उतनी कार्यवाही भी की जाती है लेकिन इसमें चीजों को और सुविधाजनक तरीकों से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके अतिरक्त पानी की बात आती है जिसके लिए हमारे प्रदेश का पंजाब सरकार के साथ एस.वाई.एल. कैनाल के पानी के लिए झगड़ा चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बना हुआ हैं फिर वह चाहे दोनों राज्यों का आपस में पानी के झगड़े के कारण बना हुआ हो या चाहे वह हमारी पार्टीज की आपस में ब्यानबाजी की वजह से बना हुआ हो। एस.वाई.एल. कैनाल का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और माननीय

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हमारे प्रदेश के हक में आया है लेकिन जब तक एक्वीजिशन का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं चल सकती। सरकार की तरफ से इस मामले में पंजाब सरकार के साथ सहमति बनाने की बात चल रही है। प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि वे सहमत होकर आपस में बातचीत करके हमारे प्रदेश के हक का पानी दे दें। पंजाब सरकार का स्टैंड हैं कि उनके पास भी पानी नहीं है। मैं समझता हूं कि कई बार Blessing disguise हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के जवानों पर आत्मघाती हमला किया गया था। कल ही श्री नितिन गडकरी जी की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को बंद कर दिया जायेगा और रावी नदी के साथ लगते हुए तीन डेम प्रपोज किये हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े डैम पर रावी नदी की डिस्ट्रीब्यूट्री है और इस डैम में रावी नदी का पानी आता है । डैम बनाने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये लगाकर जल्दी ही कार्य शुरू करवा दिया जायेगा । इस काम को करने में समय जरूर लगेगा पानी की बचत होगी । रावी नदी का पानी बचने के बाद शाहपुर कंडी का प्रोजैक्ट बनना शुरू हो गया है (विघ्न)

19:00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शाहपुर कंडी की क्या स्थिति है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को वही बताना चाहता हूं कि शाहपुर कंडी का काम प्रगति पर है और उज्ज नदी पर कार्य शुरू करने वाले हैं । इस नदी से जम्मू एवं कश्मीर और बाकी स्टेटों को पानी उपलब्ध करवाया जायेगा । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसमें प्रदेश को पानी के मामले में किसी प्रकार को कोई नुकसान न हो । इसके लिए एक बार मीटिंग बुलाई जाये ताकि इस पानी के मामले में अच्छी तरह से चर्चा भी हो सके । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि रावी ब्यास का पानी मिलने की संभावना अब बढ़ गई है। रावी नदी में अधिक हो जाने के कारण पंजाब के डूबने की आशंका बढ़ सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस नदी में तो बारिश का पानी आता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बारिश के पानी को रोकने के लिए गैरिज और डैम बनाने का काम किया जायेगा और बारिश का पानी रुकेगा उसके बाद ही पानी का प्रवाह बढ़ेगा । अध्यक्ष महोदय, हमारे 3 प्रोजैक्ट्स क्रमशः लखवार, रेणुका और किशाऊ हैं । अध्यक्ष महोदय, इनमें से लखवार और रेणुका के प्रोजैक्ट्स का एम.ओ.यू. हो चुका है और सरकार द्वारा पेमेंट भी दी जा चुकी है इन दोनों का कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो चुका है । अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक किसाऊ डैम का एम.ओ.यू. नहीं हो पाया है । इन तीनों डैम्स में से 47 प्रतिशत पानी हरियाणा का शेयर है । ऐसी बात नहीं है कि आज ही यह पानी का शेयर तय हुआ है क्योंकि यह बहुत पुराना शेयर है । मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए और प्रयत्न किये हैं । मैं स्पैशली संबंधित जगह पर गया था और मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की थी और उनसे सहयोग करने की अपेक्षा भी की । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह किसाऊ डैम का जो प्रोजैक्ट है वह नया नहीं है यह तो बहुत ही पुराना प्रोजैक्ट है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को पता है कि जो सरकारें होती हैं they are always in continuation एक सरकार ने कुछ काम किया और आगे जो सरकार बनेगी उसने उस काम को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया । आगे जो सरकार बनेगी वह बहुत कुछ काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी । इस तरह के प्रोसैस चलते रहते हैं । यह बात ठीक है कि आपने बहुत पहले सपने लिये थे, सपने लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन उन सपनों को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो हमें इतनी आलोचना करने का पूरा अधिकार है । सपने लेना सरल है लेकिन उन्हें पूरा करना कठिन कार्य होता है । अध्यक्ष महोदय, ये सभी प्रोजैक्ट्स 40 साल पहले के रचे हुए हैं । मैं तो सिर्फ अपने ही कार्यकाल के साढ़े चार साल की उपलब्धियां बता रहा हूं । हरियाणा में के.एम.पी. ऐक्सप्रैस–वे वर्ष 2004 में इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार के समय में बन जाना चाहिए था, यह इन्हीं का लिया हुआ सपना था । इसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में ये लोग कहते हैं कि

हमारा ही किया कराया है । आखिर यह भी समय पर पूरा हो जाना चाहिए था । हमारी सरकार आने के बाद कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हुआ है और इसको चालू भी करवाने का काम किया गया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए भी सरकार ने चार साल लगा दिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रोजैक्ट में समय तो अवश्य ही लगता है लेकिन जब कोई सपने लिये जाते हैं तो उन सपनों को उसी समय ही पूरा कर लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में गन्नौर मंडी की शुरूआत नहीं करवा पाई । आज हमारी सरकार के समय में उस मंडी को बनाने की शुरूआत की गई है । कांग्रेस सरकार के समय में जो कार्य पैंडिंग पड़े हुए थे वे सभी के सभी कार्य हमारी सरकार के समय में हुए हैं । इस पर जल्दी ही काम शुरू करवा देंगे । प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए इतना टाइम तो अवश्य ही लगता है और मैं समझता हूं कि इतना समय तो जरूर लगना चाहिए । यह ठीक है कि आवश्यकता से अधिक समय लगे तो थोड़ी तकलीफ भी होती है । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में सिर्फ घोषणाएं ही हुईं परन्तु किसी भी घोषाणओं को पूरा नहीं किया गया । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, के.एम.पी. ऐक्सप्रैस–वे बनाने का कार्य सरकार बनने के एक वर्ष बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के.एम.पी. ऐक्सप्रैस–वे के लिए डेढ़ साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटती रही । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, के.एम.पी. ऐक्सप्रैस–वे को लेकर हमारी सरकार भी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ । हमारी सरकार ने इस विषय पर फैसला करवाया था और अब के.एम.पी. ऐक्सप्रैस–वे 6 महीने पहले ही पूरा हुआ है । जो उसकी date of completion थी वह वर्ष नवम्बर 2018 में ही पूरी हो गई थी, इसलिए काम करने के लिए जितना हमारी सरकार ने प्रयास किया है उतना सरकार तेजी के साथ चल रही है । हमें अड़चने बहुत दूर करनी पड़ रही हैं उन अड़चनों को दूर करने के लिए इतना समय तो लगेगा ही लगेगा । अब मैं ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' की बात करूंगा इस विषय में कितनी ही आलोचना कर ले या जितनी भी

तारीफ कर ली जाये जो वस्तुस्थिति है वह तो वहीं रहेगी । आखिर किसानों के हित में हम लगातार सोचते है और हमारा टारगेट है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय डबल करने का है । यह काम एक दिन में हो जायेगा, ऐसा हमने कभी क्लेम नहीं किया। उसके लिए चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिकमंडेशन थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट as it is लागू करें, यह बहुत बड़ा एजेंडा है । इतने बड़े एजेंडे को न तो पूर्व की सरकारें हल कर पाई है और न ही हम आज की स्थिति में हल कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उसमें भी एक–एक करके प्रावधान कर रही है। हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लिए जितना किया उसका पूरा विवरण/उल्लिखित किया जा चुका है । (विघ्न) उसमें यह भी कहा गया था अर्थात् उसमें एक बिन्दू यह भी है कि किसान का मुआवज़ा 10 हजार रुपये प्रति एकड़ से नीचे नहीं होना चाहिए। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार के समय में किसानों को 7500/– रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा की गई थी लेकिन वह किसानों को दिया नहीं गया था। वह घोषणा मात्र ही थी। उस समय जो 10 हजार रूपये का स्लैब था हमने उसको 12 हजार घोषित किया था। (विघ्न) यहां पर मैं इस सम्बन्ध में एक बात और बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछेक योजनायें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सांझी योजनायें होती हैं। उनमें बाकायदा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का रेशो तय हो जाता है। कभी कोई भी अण्डरस्टैंडिंग बन जाती है। कुछेक योजनायें ऐसी भी हैं जिनमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत है और राज्य सरकार का हिस्सा 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार से बहुत सी योजनाओं में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 50–50 प्रतिशत है। कुछेक योजनायें ऐसी भी हैं जिनके बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कभी भी नहीं कहा कि वे अपना टॉप–अप तय करें। उनमें सभी राज्य सरकारें टॉप–अप अपने आप ही निर्धारित करती हैं लेकिन अगर किसी प्रदेश ने टॉप–अप करके उस रेशो से ज्यादा सैंटर की स्कीम अनाउंस होने से पहले दे दिया तो वह केन्द्र सरकार की तरफ से कम्पनसेट होगा। हां, यह जरूर हो सकता है कि 6 महीने बाद हो या फिर एक साल बाद हो। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को आज भी 5400/–रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है लेकिन हमारी सरकार आज 5400 रुपये प्रति एकड़ के बदले में 12000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दे रही है। यह भी तथ्य है कि जब हमारी सरकार ने 12000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा देने की

घोषणा की थी उस समय केन्द्र सरकार ने अपना शेयर नहीं बढ़ाया था। हमने जो यह 12000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की यह अपने स्वयं के बजट में प्रावधान करके की थी। इसी प्रकार से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बहुत पहले ही बढ़ा चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है। इसमें ऐसी बात तो हरगिज नहीं है कि वे हमारा बढ़ाया हुआ भूल जायें और फिर उसी को बढ़ाकर और आगे कर दें। आखिरकार राज्य सरकारों को भी तो अपना प्रशासन चलाना है इसलिए उनको भी तो अपने बजट का पूरा हिसाब रखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से किसानों के लिए 6000 रुपये वार्षिक की एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा केन्द्र सरकार के स्तर पर की गई है। हरियाणा को इस मामले में जो पहली सफलता मिली है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वह यह है कि हमारे सम्बंधित विभाग ने अभी आठ लाख के लगभग ऐसे किसानों का नाम इस योजना से रिलेटिड पोर्टल में डाल दिया है। यह काम चल रहा है इसलिए यह संख्या दिनप्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी इसलिए 24 तारीख तक जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी इसको ऑन–लाईन सम्बंधित किसानों के खाते में इस धनराशि को ट्रांसफर करेंगे उस दिन हमारे किसानों की संख्या आठ या नौ लाख जितनी भी होगी वह उन सभी किसानों के खाते में 2000/–रुपये की त्रैमासिक किश्त की धनराशि पहुंच जायेगी। मैं यह बात फिर से कहना चाहता हूं कि यह हमारी एक आशा है कि इस सम्बन्ध में हरियाणा प्रदेश आठ या नौ लाख अर्थात् इतनी बड़ी फिगर में किसानों का नाम इस योजना में अपलोड करने वाला पूरे देश में पहला प्रदेश होगा। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसानों के हित के लिए ऐसी ही बहुत सी योजनायें हमारे दिमाग में आगे भी हैं। जैसे जो समाज के गरीब परिवार हैं या छोटे किसान हैं इन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कल्याण हेतू हम बहुत सी योजनायें की घोषणा आने वाले समय में करने वाले हैं। जब ये योजनायें लाई जायेंगी उस समय उनको सभी के ध्यान में ला दिया जायेगा। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। इस विषय के बारे में यहां पर बहुत सी चर्चा हुई हे कि सरकार द्वारा ग्रुप–'घ' की 18218 नौकरियां इस प्रकार से दी गई हैं या उस प्रकार से दी गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ग्रुप–घ की 18218 नौकरियां देकर प्रदेश की जनता पर कोई एहसान किया है ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमने इसका कोई

बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा है। वास्तव में तो हमने एक योजना बनाई है कि आखिरकार सरकारी कार्यालयों का कामकाज चलाने के लिए जितने पद खाली हैं उनको कितनी जल्दी से जल्दी भरा जाये। इनको भरने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे बहुत से कोर्ट केसिज़ हो जाते हैं और बहुत सी सरकारी योजनायें भी फेल हो जाती हैं। ऐसे ही जो पिछली सरकारों के समय से कुछेक आदतें पड़ी हुई हैं कि जिसको चाहो उसको उठाकर कच्ची नौकरी पर लगा दो या आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी पर रख लो। उनको ये नाम दे दो या वो नाम दे दो। यह रिकार्ड की बात है कि पिछले 15 सालों में पक्की भर्ती ना के बराबर ही की गई हैं। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी पक्की भर्तियां पिछले 15 सालों के दौरान हुई हैं उनसे ज्यादा पक्की भर्ती हमारी सरकार के सवा चार साल के कार्यकाल में अभी तक हो चुकी हे। जो हमारी सरकार का समय बाकी है मुझे विश्वास है कि इस संख्या में 25000 भर्तियां और जुड़ जायेंगी और इस प्रकार से यह आंकड़ा और भी बढ़ जायेगा। मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 6 महीनों में पिछले 15–20 साल अर्थात आज तक का जो रिकार्ड है उससे ज्यादा भर्तियां हम करेंगे चाहे वे ग्रुप–डी की भर्तिया हों, ग्रुप–सी भर्तियां हों, क्लॉस–2 की भर्तियां हों या फिर चाहे क्लॉस–1 की भर्तियां हों। सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। अभी भी विभिन्न डिपार्टमैंट्स में जो पद खाली हैं उनके लिए रिक्वीजीशन सम्बंधित डिपार्टमैंट्स से मांग ली गई हैं और हम इनके लिए बहुत जल्दी भर्ती करने वाले हैं। इसी प्रकार से एक विषय अनइम्पलाइमैंट का भी आ रहा है कि अनइम्पलाइमैंट कितनी है, कहां है और कौन कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जहां तक अनइम्पलाइमैंट का विषय है तो मेरे पास एक ऑल इंडिया का डाटा है। उस ऑल इंडिया डाटा में अनइम्पलॉइमैंट के अनुसार जो 8वीं पास लोग हैं आज के दिन 2.4 प्रतिशत अनइम्पलॉइड हैं। 10वीं पास 3.2 प्रतिशत हैं, 12वीं पास 4.4 प्रतिशत हैं। ग्रेजुएट्स 8.4 प्रतिशत हैं, पी.जी. 8.5 प्रतिशत हैं। टैक्निकल ग्रेजुएट्स 11 प्रतिशत हैं। टी.जी. 7.7 प्रतिशत हैं यानि हायर ऐजुकेशन के लोग ज्यादा परसैंटेज में अनइम्पलॉइड हैं। यह ठीक है कि संख्या उनकी भले ही कम होगी लेकिन अनइम्पलाइमैंट का परसैंटेज उनका ज्यादा है। अब अनइम्पलाइड जो आदमी होगा उसको जो भी अवसर मिलेगा वह एक बार तो उसको अवेल अवश्य करेगा और अवेल करने में उसको जो पहली सीढ़ी मिलेगी, जहां मिलेगी वह आगे बढ़ेगा। बशर्ते उसे और आगे बढ़ने में कोई रोक न लगे, चैक न लगे। हमारी

पिछली सरकारों में तो यह होता था कि कोई एक आदमी नौकरी लग जाता, मानो मैट्रिक या 12वीं के लेवल पर एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी नौकरी लग गया, नौकरी लग गया तो उसको कहीं और नौकरी में जाना है तो वह एन.ओ.सी. के लिए विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटता था कि मुझे एन.ओ.सी. दे दो मुझे फार्म भरना है। वह अधिकारी या विभाग 10–10 बार अपनी फाइलें देखता था कि मेरे पास कितने लोग हैं, मैं इसको एन.ओ.सी. दूं तो कितने छूट जायेंगे और निकल जायेंगे तथा मेरे पास कब तक दोबारा भर्ती होकर आयेंगे। इसलिए साल–साल दो–दो साल उसको एन.ओ.सी. नहीं मिलती थी। हमने आते ही कहा कि एक व्यक्ति योग्य है और अपनी योग्यता को नजरअंदाज करके कम योग्यता की नौकरी पर आता है तो उसको आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है इसलिए हमने एन.ओ.सी. का प्रावधान ही खत्म कर दिया है। आज एक आदमी ग्रुप डी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लग गया और कल कोई दूसरी नौकरी निकलती है तो वह उस पर अप्लाई कर सकता है। आज नेता प्रतिपक्ष या कोई दूसरे सदस्य कह रहे थे कि इन ग्रुप डी में से ही कई लोगों ने फिर दोबारा पुलिस की भर्ती के लिए फार्म भर दिये हैं। मैं कहता हूं कि भरें, पुलिस में भरें, क्लास–3 में क्लास–2 में या क्लास–1 में अगर वे योग्य हैं तो भरते चले जायें। उनको आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। आज हमने 18 हजार नौकरियां दी हैं मैं चाहता हूं कि इनमें से 8 हजार लोग ऐसे हैं जो 12वीं से ऊपर की क्वालिफिकेशन के हैं। इसमें 10वीं पास 3750 हैं, 12वीं पास 6756 हैं यानि 10 हजार लोग हैं जो 12वीं और दसवीं पास हैं। 8 हजार इससे ऊपर के हैं और अगर ये 8 हजार इसको छोड़ कर ऊपर निकलते हैं तो हम नीचे से और भर्ती कर लेंगे, नीचे से और लोग आयेंगे। हमको भर्ती की प्रक्रिया आसान करनी है। भर्ती में इतना समय नहीं लगाना जितना पहले लगता रहा है। हमने इन्टरव्यू समाप्त कर दिया है क्योंकि इन्टरव्यू में समय अधिक लगता है। इसके अलावा जो अनाप–शनाप धन्धे, जो सम्भावित हो सकते हैं जिनके ऊपर शंकाएं प्रकट की जाती हैं। कितना ही चैक हम करते हैं तो भी ऐसे लोगों को फांसने वाले गिरोह मिलते हैं। पहले तो वे सफलतापूर्वक यह काम करते आये हैं लेकिन आज असफल हैं तब भी वे करते हैं। अभी तक जब इन्टरव्यू खत्म नहीं हुआ था तो उससे पहले प्रावधान था कि जितनी पोस्ट्स हैं उसके दोगुना इन्टरव्यू के लिए बुलाये जायेंगे। जब दोगुना की लिस्ट बन गई और इन्टरव्यू के लिए बुला लिया तो उनके लिए तो रास्ता खुल गया, उनका एक टारगेट ग्रुप सामने आ गया। इस टारगेट ग्रुप में मान लीजिए

किसी ने दस आदमियों को फंसा लिया और उनके पैसे लेकर जेब में डाल लिये। अब उन 10 में से 5 सलैक्ट हो गये क्योंकि 50 प्रतिशत तो होने ही होने हैं तो 5 हो गये उनके पैसे तो जेब में रख लिये गये और जो 5 रह गये उनके लिए बहुत ईमानदारी का परिचय देते हुये उनके पैसे वापिस कर दिये गये, न उसको पता न इसको पता।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भर्ती के ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये बोर्ड और निगमों में भी लागू किये जा रहे हैं या नहीं? वक्फ बोर्ड में सीधी भर्तियां हो रही हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, यह सुझाव भी है और यह एक अच्छा सुझाव है। इस बारे में मेरा इतना ही कहना है कि जो कमियां रह गई हैं हम उनको अवश्य दूर करेंगे। नसीम जी, हम जो कर रहे हैं उसके लिए तो आप मेजें थपथपा दें। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण और शहरी विकास का विषय भी यहां आया है । हमने जो ग्रुप–डी में 18 हजार भर्ती की थी उसका सारा डाटा हमने मंगवा लिया है । इन 18 हजार नौकरियों में पूछा गया था कि इनमें गांव के कितने बच्चे लगे हैं और शहर के कितने बच्चे लगे हैं । हमें इसकी जानकारी मिली है कि इनमें 15071 लोगों के एड्रैस गांव के हैं और 3200 लोगों के एड्रैस शहर के हैं । अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो गांव का एड्रैस देगा तो उसको अलग से कोई लाभ मिलेगा । वह तो जहां का भी रहने वाला है वह तो वहीं का है । उसका कोई अलग से लाभ तो मिलने वाला नहीं है । इसलिए यह भ्रम गलत है कि गांव के लोगों को नौकरियां कम मिलती हैं । यह बात जरूर है कि जो लोग अच्छे पढ़े–लिखे हैं नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलेंगी । वह चाहे गांव के हों या शहर के हों । हम पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं । दुनिया में कहीं भी न्यूनतम योग्यता का तो कैप हो सकता है कि इस नौकरी के लिए इतनी पढ़ाई जरूरी है । क्या किसी नौकरी के लिए हम उच्चतर योग्यता को कैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते ?

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें बाहर के कितने लोग लिए गए हैं ?

श्री मनोहर लाल : मैंने इसका डाटा नहीं लिया है लेकिन मैं अंदाजा बता रहा हूं कि लगभग दो प्रतिशत ही हो सकते हैं क्योंकि कोई भी ग्रुप–डी की नौकरी में आएगा यह हो सकता है कि आस–पास से आ गये हों कि हम पास के जिले में

लग जाएंगे और वहां से आ–जा सकेंगे । ग्रुप–डी में जो 15–18 हजार रुपये मिलते हैं उसके लिए बहुत दूर से लोग आएंगे, ऐसा नहीं है । योग्यता के आधार पर अच्छा योग्य व्यक्ति अपने आस–पास तो नौकरी कर लेगा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी कोटा तय होता है वह उपलब्धता के ऊपर निर्भर होता है। जो उपलब्धता नहीं है वह रिजर्वेशन नहीं है वह कोटा है । जो रिजर्वेशन होती हैं उनके लिए तो अलग से नौकरियां रखी जा सकती हैं । जो कोटा होता है अगर उस कोटे में कोई नहीं मिला तो वह जरनल कैटेगरी में भी चला जाता है । अगर कोटा में 100 लोग उपलब्ध हैं तो 100 लोगों को तो नौकरी मिल गई । (शोर एवं व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं कि वह कोटा है रिजर्वेशन नहीं है । इसमें मुझे अभी एक जानकारी और बताई गई है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं कि हर एक प्रश्न पत्र में अब हमने 25 प्रतिशत अंक के प्रश्न हरियाणा की जानकारियों से संबंधित प्रश्न डालने शुरू किए हैं, जिनमें हरियाणा की जानकारियां हों । जैसे हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा के कुछ सांस्कृतिक पहलू, हरियाणा की लोकोक्तियां आदि हैं। उसमें या तो बच्चा हरियाणा की सारी चीजों को रट कर आएगा सारी हरियाणवी सीखकर आएगा तो वह वे अंक ले जाएगा । इसमें ज्यादातर लोग हरियाणा के ही आते हैं, बाहर के नहीं आते हैं क्योंकि बाहर के प्रदेशों ने इसको अपनी भाषा के आधार पर रोका हुआ है । जैसे पंजाब में पंजाबी हो गई, कर्नाटक में कन्नड़ हो गई, तमिलनाडु में तमिल हो गई । इस तरह से उन्होंने अपनी भाषा से ये चीजें कन्ट्रोल की हुई हैं । हमारे यहां भाषा से कन्ट्रोल नहीं हो सकती है क्योंकि हमारी हिन्दी भाषा है । अब हिन्दी भाषा के लोग तो राजस्थान से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लोग आएंगे । बाकी स्टेट्स के लोग भी आएंगे, इसलिए हमने उसमें एक प्रावधान निकाला कि उसमें 25 प्रतिशत अंक के प्रश्न हरियाणा के सामान्य ज्ञान के डाले जाएं । अध्यक्ष महोदय, बाहरी लोगों के लिए जितना कन्ट्रोल हो सकेगा उतना हम जरूर करेंगे । नौकरियों में हमने एक विशेष प्रावधान किया है जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूं और अब फिर कर रहा हूं । हमने इसमें अन्त्योदय की भावना से अन्तिम परिवार यानि जो पंक्ति में अन्तिम व्यक्ति है, जो ज्यादा गरीब है, जिसको रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है और जो सहयोग का ज्यादा पात्र है हमने उसका सहयोग करने की बात कही है । हमने उसमें 5 अंक उस कैंडीडेट्स को दिए हैं जिस कैंडीडेट्स के परिवार में एक भी नौकरी नहीं है । आपकी जानकारी के लिए इस हिसाब से भी

इन 18 हजार में से 13 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है । जिनको पहली बार नौकरी मिली है । यह ठीक है कि अगर हम यह कंडीशन नहीं लगाते तो 13 हजार में से 8–10 हजार लोग वही आते जिनके घरों में पहले नौकरी हैं । उनको 5 अंक का लाभ होते ही वह अपर स्लैब में आ गए । उसमें अलग से 5 अंक और भी हैं जैसे हमारी विधवा बहनें हैं, जिनके पति का 42 वर्ष की आयु से पहले देहांत हो गया, अगर उसके बच्चे मेच्योर हो गये हैं तो फिर उनको इन अंकों का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इसमें हमने थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके यह अंक निर्धारित किए हैं और उससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। यह ठीक है कि जब एक बार वे नौकरी पा लेंगे उसके बाद वो पांच अंक उस परिवार को या उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि एक बार वह स्वयं नौकरी में जो आ गया है। जहां तक कर्मचारियों की बात है वर्ष 2006 में एक्सग्रेशिया नौकरी का प्रावधान होता था जिसको वर्ष 2006 में कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं किन कारणों, अड़चनों या कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बंद कर दिया था और नौकरी का प्रावधान खत्म करके सैलरी देने का प्रावधान इस प्रकार किया गया था कि जैसे 35 साल से पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 15 वर्ष तक पूरी सैलरी दी जायेगी। 35 से 48 के बीच यदि कर्मचारी की मृत्यु होगी तो उसके परिवार को 10 वर्ष तक सैलरी दी जायेगाी और 48 से 58 वर्ष की आयु के बीच यदि मृत्यु होती है तो 58 तक मृतक कर्मचारी के परिवार को सैलरी मिलती रहेगी। हम अब इस संदर्भ में एक और बात शामिल करने जा रहे हैं जिसका कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया और वह यह है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष की आयु से नीचे हो जाती है तो मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए दोनों ऑप्शन खुले होंगे अर्थात मृतक के डिपैंडैंट को नौकरी भी मिल सकती है और यदि मृतक का परिवार सैलरी लेना चाहे तो सैलरी भी मिल सकती है। कारण यह है कि यह वह समय होता है जबकि मृतक कर्मचारी के परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ होता है लेकिन यदि कर्मचारी की मृत्यु 48 वर्ष से उपर होती है तो पहले की तरह मृतक के परिजनों को 58 वर्ष की आयु तक सैलरी मिलेगी।

श्री करण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह यह बहुत अच्छा फैसला है लेकिन सरकार को इस फैसले को तब से लागू करना चाहिए जब से सरकार सत्ता में आई थी।

श्री मनोहर लालः नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के फैसले रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। अगर ऐसा किया जायेगा तो केसिज लिटिगेशन में चले जाते हैं और इस तरह से बहुत द्वंद खड़े हो जायेंगे। यह नया फैसला जिस दिन से नोटिफाई होगा उसी दिन यह सारी चीजें लागू हो जायेंगी जिनका जिक्र मैंने आज सदन में किया है। उस दिन के बाद यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके परिवार की च्वॉयस रहेगी कि वह सैलरी लेता रहे या फिर परिवार के किसी सदस्य को एजुकेशन के हिसाब से वन स्टैप डाउन नौकरी दिलाने के लिए आगे बढ़े। अब इस नये प्रावधान में हमने दो ऐसी चीजों के प्रावधान को खत्म कर दिया है जोकि पहले लागू होती थी लेकिन अब लागू नहीं होंगी जैसे पहले डिपैंडैंट को जो नौकरी मिलती थी वह मृतक के ऑफिस में मिला करती थी लेकिन अब जिस प्रकार किसी शहीद सैनिक के परिवार के सदस्यों को कहीं भी नौकरी मिल सकती है, ठीक उसी प्रकार अब मृतक कर्मचारी के डिपेंडेंट को भी उसकी योग्यता के हिसाब से वन स्टैप डाउन किसी भी डिपार्टमैंट में नौकरी मिल सकती है। इसके अतिरक्त जैसेकि पहले एक्सग्रेशिया पदों के लिए 5 प्रतिशत पद आरक्षित हुआ करते थे और यदि एक्सग्रेशिया कंडीडेट्स की संख्या 5 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती थी तो 5 प्रतिशत से ज्यादा की एक वेटिंग लिस्ट बना दी जाती थी और जब भी कोई पद खाली होता था तो वेटिंग एक्शग्रेशिया कंडीडेट को नौकरी मिलती थी। यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है और अब नई एक्सग्रेशिया पॉलिसी के तहत जितने भी नौकरी पाने वाले योग्य कंडीडेट होंगे, उन सबको नौकरी दी जायेगी।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महादेय, माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने वाले दिन से इसको लागू करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सदन के माध्यम से जो एक्सग्रेशिया के संबंध में बात बताई है वह इस नाते बताई है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही कुछ नया करने जा रही है। कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मीटिंग ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबा समया लगता है। 10–20 दिन में जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी हम इस संबंध में पूर्ण फैसला कर देंगे और उसके बाद यह फैसला नोटिफाई हो जायेगा। जहां तक एन.एच.एम. के कर्मचारियों की बात है सबको पता है कि पिछले दो साल में यह लोग 10 बार हड़ताल पर गए हैं और सभी लोग हड़ताल पर गए हैं ऐसा भी नहीं है बल्कि एक पार्टीकुलर ग्रुप है जो इनको हड़ताल के लिए उकसाता रहता है। एन.आर.एच.एम. स्टेट गवर्नमैंट की नहीं

बल्कि सैंट्रल गर्वनमैंट की एक स्कीम है और इसके तहत इनको कांट्रेक्ट बेसिज पर लगाया गया था। यह सैंट्रल गवर्नमैंट के कर्मचारी है बावजूद इसके स्टेट गवर्नमैंट इनको जितनी सुविधायें दे सकती है अवश्य देगी लेकिन इनको पक्का करने का काम हमारा नहीं है बल्कि यह काम सैंट्रल गवर्नमैंट का है। अध्यक्ष महोदय, जब हमने इन कर्मचारियों की मांगे सुनी और बातचीत की तो 1 जनवरी, 2018 को सर्विस बायलॉज लागू कर दिया। सर्विस बायलॉज में आउससोर्सिंग पर लगे हुए कर्मचारी या कच्चे कर्मचारी को जो भी हम सुविधा दे सकते हैं वो सारी सुविधाएं हम देंगे। इस बात पर सहमति भी बन गई थी। अध्यक्ष महोदय, उन्हीं हड़ताल कर्मचारियों में से एक ग्रुप ने कहा कि हमको रेगुलर करो तब हम अपना धरना समाप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है कि कोई भी ग्रुप प्रदेश में आयेगा और सरकार पर दबाव बनायेगा और सरकार से कहेगा कि हमको रैगुलर नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हर चीज का एक प्रावधान होता है। लगभग साढ़े ग्यारह हजार एन.एच.एम. कर्मचारियों में से 6 हजार कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, उसमें कुछ कर्मचारी वापिस काम पर लौट आए हैं और जो कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं उन्हें टर्मिनेट करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, 2707 कर्मचारियों को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है। यदि ये कर्मचारी बार–बार बात करने पर भी नहीं मानेंगे तो सरकार के पास टर्मिनेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से कहूँगा कि जिनका इन कर्मचारियों से संबंध हैं, उनको इन कर्मचारियों को समझाना चाहिए कि आप लोग गलत काम कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत ही पुराने समय में लगे हुए कर्मचारी हैं, हमारी सरकार में नहीं लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि ये कर्मचारी किसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि एक–दूसरे के संबंध से यानी पर्ची सिस्टम के माध्यम से लगे हुए हैं, इसलिए विपक्ष के साथी उन कर्मचारियों को समझा दें। अध्यक्ष महोदय, जो सुविधा उन कर्मचारियों को मिल रही है वो लेते रहे, नहीं तो एक बार नौकरी चले जाने के बाद माननीय न्यायालय में चक्कर काटने पड़ेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में जो भी नौकरी पर लगा है वह एक सिस्टम के आधार पर अपनी योग्यता के आधार पर लगा है। वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो सकता है। हमारी सरकार पर्ची और सिफारिश सिस्टम पर काम नहीं करती है और न ही हम इन चीजों पर विश्वास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एन.एच.एम. कर्मचारियों का एक विषय और मेरे

ध्यान में आया है कि जब कभी भी विभाग में अत्यंत महत्वपूर्ण समय चल रहा हो या कोई अभियान चलाया जा रहा हो, उसी समय ये कर्मचारी जरूर हड़ताल करते हैं। अभी पिछले डेढ़ महीने से टीकाकरण का एक अभियान चला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी को पता है कि हैल्थ सर्विसिज़ में कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। जिस दिन भी टीकाकरण अभियान की घोषणा हुई उसी दिन ये कर्मचारी हड़ताल की योजना बनाने लगे। इन कर्मचारियों का मकसद यह हुआ कि जब हम हड़ताल पर चले जायेंगे तो टीकाकरण कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इन हड़ताली कर्मचारियों को एक समय दिया हुआ है, अगर उस समय के दौरान काम पर नहीं लौटते हैं तो फिर मजबूरन सरकार को कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आज इस तरह के कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या में हैं जो नौकरी लगने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इस प्रकार से उन बेरोजगारों को नौकरी दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक विषय पुरानी पैंशन को लेकर आया था। अध्यक्ष महोदय, एक शेर मुझे याद आ रहा है, वह यह है किः–

'ऐ खुदा एक आईना ऐसा भी बना, जिसमें शक्ल की जगह किरदार नजर आए'

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि यह न्यू पैंशन स्कीम किसने शुरू की और किस सरकार में शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, न्यू पैंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। कांग्रेस सरकार ने कुछ सोच समझकर ही शुरू की होगी। अध्यक्ष महोदय, जब यह न्यू पैंशन स्कीम शुरू की थी तो उस समय इस पर विश्लेषण करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? यह बात मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ। आज जब अधिकांश वर्ग न्यू पैंशन स्कीम से सहमत है और एक वर्ग चाहता है कि पुरानी पैंशन स्कीम बहाल हो और न्यू पैंशन स्कीम समाप्त हो। न्यू पैंशन स्कीम केन्द्र सरकार का पॉलिसी मैटर है, यह कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है। केन्द्र में भी यही स्कीम है और अन्य प्रदेशों में भी यही स्कीम है। आज जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में एक स्वभाव धीरे–धीरे बदला जा रहा है। जैसे जो आदमी कुछ करता है, कुछ कमाता है, या व्यापार या नौकरी करता है या अन्य किसी प्रकार का उसका आय का साधन है, उसके कंट्रीब्यूशन से उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाये। सरकार भी कंट्रीब्यूट करे लेकिन कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। उसी में से समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सरकारी सहयोग करने की स्थिति में हम आए हैं। अगर कुछ लोगों को पैंशन, कुछ लोगों की नौकरियां

ब्याज, री–पेमेंट, पैंशन, सैलरी इन्हीं बातों में और थोड़े से परिवारों को पालने के चक्कर में हम लगे रहे तो फिर हम पूरे समाज का भला नहीं कर पायेंगे। आज हमारी सरकार के चार हैड्स सैलरी, पैंशन, ब्याज और री–पेमेंट स्टेट की जो रिसीट्स हैं इस मद में हमारा टोटल 89.5 प्रतिशत पैसा चला जाता है केवल 10.5 प्रतिशत पैसा ही हमारे पास अन्य कार्यों एवं विकास कार्यों के लिए बचता है। यह तो हमने आकर कर दिया वरना पिछली टर्म में तो 103 परसैंट था । हमारी अपनी सारी प्राप्तियां उसमें चली जाती थी । हमें सैंटर गवर्नमैंट से जो पैसा/शेयर मिलता था या हम जो लोन लेते थे उसमें से भी 3 परसैंट इसमें चला जाता था । बाकी जो पैसा बचता था वह विकास के काम में चला जाता था ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारे मैमोरैंडम आए हैं, इसलिए आपको सदन का समय और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन पर निर्णय लेना चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि हमारे पास आज काफी मैमोरैंडम आए हैं लेकिन आज हम किसी पर भी निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं । (विघ्न) कुछ लोग पुरानी पैंशन की बहाली चाहते हैं लेकिन फिलहाल हमें नई पैंशन के हिसाब से ही चलना है । (विघ्न) हमारे पास बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं और हम उन सबकी बात ध्यान से सुनते हैं । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आपको पुरानी पैंशन की बहाली के साथ–साथ कैशलैस स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि गरीब आदमी की मदद करने का जो ट्रैंड बना हुआ है हमें उससे विपरीत होकर नहीं सोचना चाहिए । मैं यह बात समाज के भले के लिए कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूट्री सिस्टम जितना लागू हो रहा

है वह और आगे बढ़ना चाहिए । मेरा कहना है कि इसका केवल कुछेक वर्गों को नहीं अपितु सभी को लाभ मिलना चाहिए । आज हरियाणा में लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं और करीब डेढ़–दो लाख पैंशनर्ज हैं । इस प्रकार से पांच–साढ़े पांच लाख लोगों को सरकारी कोष से बहुत बड़ी राशि दी जा रही है । मेरा कहना है जो लोग कुछ खास नहीं कर पाए, गरीब रह गए, छोटे किसान हैं और जिनकी आय बहुत कम है अगर हम अपने बजट से उनकी सहायता के लिए पैसे उपलब्ध करवायेंगे तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा । सदन में एम्स की बात उठी थी । इसके बारे में मैं एक ही स्पष्टीकरण देना चाहूंगा इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा । इस बात की सदन के सभी सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि ये योजनाएं पहले से बनी हुई हैं । ये योजनाएं आज ही नहीं बनी हैं । झज्जर का जो कैंसर इंस्टीच्यूट है यह एम्स दिल्ली के एम्स का एक पार्ट है, ब्रांच है, सब्सिडियरी है । यह एम्स उस एम्स की श्रेणी का नहीं है जिस श्रेणी में हर प्रदेश में खुलने वाले एम्स के मैडिकल कॉलेजिज होते हैं । जो फुलफ्लैज्ड एम्स होता है उसमें मैडिकल एजूकेशन के नाते से एम.बी.बी.एस. की सीटें भी होती हैं । झज्जर में तो सिर्फ कैंसर के रोगियों के लिए और हायर स्टडीज जैसे पी.एच.डी. के लिए ही इंस्टीच्यूट खुल रहा है । इस नाते से उसमें एम.बी.बी.एस. की सीट्स नहीं हैं । अब जो नये एम्स (मैडिकल कॉलेज) की घोषणा हुई है उसके लिए रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव की पंचायत की ओर से सौ एकड़ जमीन ले ली गई है । उसमें जो अड़चनें हैं उनको दूर करके वहां पर मैडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर के बाढ़सा में जो एम्स है वह एम्स–2 के नाम से बनना था । उसका अलग से प्रोजैक्ट था । वह 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनना था और कैंसर इंस्टीच्यूट 2000 करोड़ रुपये की लागत से बनना था । इसमें भी मैडिकल कॉलेज बनना था जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपये आनी थी । यह हैल्थ मिनिस्टर की अनाउंसमैंट है । मेरे पास इसका रिकॉर्ड भी है । अगर रेवाड़ी में एक नया एम्स बनना है तो यह हमारे लिए खुशी की बात है लेकिन एम्स–2 में जो इंस्टीच्यूट्स सैंक्शन हुए थे हमारी दर्खास्त है कि वे कैंसिल नहीं होने चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसका नाम एम्स एक्सटैंशन पार्ट–2 है । माननीय सदस्य चाहें तो रिकॉर्ड चैक कर लें । मेरा कहना है कि अगर आप हमें वह रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा देंगे कि जिससे प्रदेश में यह फुलफ्लैज्ड एम्स बन

सकता होगा तो हमको खुशी होगी कि हमारे प्रदेश को एक और एम्स मिल जाएगा ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें कौन–कौन से इंस्टीच्यूट्स आने थे वे हैं : – National Cancer Institute- 710 beds, National Cardiovascular Centre-600 beds, General-purpose hospital- 500 beds, National Transplantation Centre-500 beds, National Centre for Child Health-500 beds, Digestive Diseases Centre-500 beds, National Institute for Geriatrics-200 beds, Comprehensive Rehabilitation Centre, Centre for Blood Disorders-120 beds, Centre for Laboratory Medicine, National Centre for Nursing Education and Research. अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह सारा रिकॉर्ड है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है लेकिन मेरा कहना है कि किसी भी मैडिकल कॉलेज में जब तक एम.बी.बी.एस. की सीट्स अवेलेबल नहीं होती तब तक उसे फुलफ्लैज्ड मैडिकल कॉलेज नहीं माना जा सकता । इसलिए माननीय सदस्य ने जो नाम बताएं हैं वे केवल सैंटर्ज हैं। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय के केन्द्रीय हैल्थ मिनिस्टर की स्टेटमैंट उपलब्ध करवा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्टेटमैंट तो कुछ भी हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यही बात कह रहा हूं कि इस मैटर को सरकार द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे रिकार्ड भिजवा दें। मैं चैक करवा लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कल ही इस मैटर के बारे में मेरी माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी से भी बात हुई थी तथा संबंधित ऑफीसर श्री पांडे जी से भी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया इस्टीच्यूट, दिल्ली एट बाढ़सा हमारी ही एक्सटैंशन है। वे इसको अलग इंस्टीच्यूशन नहीं मान रहे हैं और उन्होंने बताया कि बाढ़सा के इंस्टीच्यूशन में जो चीजें करना चाहते हैं वे सारी चीजें पूरी करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि बाढ़सा में दिल्ली वाले एम्स की ही एक्शटैंशन एम्स कैम्पस–2 है। मेरे पास रिकार्ड है जिसमें 'एम्स कैम्पस–2' लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, मेरी जिस अधिकारी से बात हुई थी उसने यही कहा था कि बाढ़सा तो सिर्फ जगह ही है और हम इस इंस्टीच्यूट को दिल्ली के ही एम्स के रूप में देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जो कमीटमैंट की गयी हैं, वे सभी पूरी होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टेटमैंट दिखा दूंगा। प्रदेश में एम्स के जो सैंटर मंजूर किये हुए हैं, वे सभी पूरे किये जाने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास रिकार्ड है जिसमें 1,000 करोड़ रूपये का 'एम्स कैम्पस–2' लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त 2,000 करोड़ रूपये का कैंसर सैंटर भी शामिल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुडा साहब, आपने अपनी बात रख दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो कमिटमैंट की गयी हैं, वे सभी पूरी करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ओरिजनल प्लॉन में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो भी सरकार माननीय सदस्य की बात के अनुसार मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए कोशिश करेगी। अगर माननीय सदस्य के पास कोई रिकार्ड है तो वह हमें दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाढ़सा में वर्ष 2012 से लगातार ओ.पी. डी. चल रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, प्लीज आप बैठ जाएं। अब यह बात क्लीयर हो गयी है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, हम ओ.पी.डी. से मना नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हम रेवाड़ी जिले के मनेठी गांव में जो एम्स खोला जा रहा है उसके पक्ष में हैं लेकिन बाढ़सा इंस्टीच्यूशन में जो भी प्रौजैक्ट बन रहे हैं उनको भी नहीं हटाया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाढ़सा के इंस्टीच्यूशन में जो प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं वे बनते रहेंगे परन्तु यह अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। हम कोशिश करेंगे कि ये मेडिकल कॉलेज बन जाएं। हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयास करेगी और आप भी कोशिश करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडाः अध्यक्ष महोदय, अभी तक बाढ़सा में मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इनका अलग–अलग फाउंडेशन हुआ है। एम्स का अलग फाउंडेशन हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं भी फाउंडेशन रखने के समय गया था।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, बाढ़सा में अलग–अलग फाउंडेशन हुए थे। एम्स का अलग से फाउंडेशन हुआ था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन पहले हो चुका है और मैं भूमि पूजन पर गया था।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बाढ़सा क्षेत्र के लोगों की फिलिंग बता रही है कि कल से लोगों में एक कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हुई है, इसलिए लोगों द्वारा धरना भी दिया जा सकता है और आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। दिल्ली का दूध, पानी, सब्जी, ट्रांस्पोर्ट और रेलवे भी रोकी जाएगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विषय की जलेबी बना रहे हैं। हमें लोगों को बताना भी आता है और समझाना भी आता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कमजोर हो सकते हैं परन्तु हम कमजोर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी कमजोरी का कोई विषय नहीं है। (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर आदरणीय डॉ0 साहब के पास मेडिकल कॉलेज बनाने के बारे में कोई प्रस्तावना थी तो उसका सबूत लाकर दिखा दें तो सरकार उसको परसू कर लेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एग्री कर लिया है तो अब इस बात पर कोई झगड़ा ही नहीं है। यह एम्स बनाने की एनाउंसमैंट सैंटर गवर्नमैंट की ही है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर फाईल में मैडिकल कॉलेज बनाने की बात आयी हो तो माननीय सदस्य यह मामला लाकर दिखा दें हम केन्द्र सरकार के पास भिजवा देंगे कि उक्त मामला आपसे संबंधित है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बाढ़सा में 2 फाउंडेशन रखे गये थे। केन्द्रीय हैल्थ मिनिस्टर के द्वारा कैंसर इंस्टीच्यूट का फाउंडेशन रखा गया था और अब कम्पलीशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। पहले फाउंडेशन में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे और शुरू के फाउंडेशन में माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद जी गये थे। इसके बाद अब कैंसर इंस्टीच्यूट माननीय केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा जी ने भी फाउंडेशन रखा है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में जो प्रोजैक्ट्स हैं वे स्टैप बाई स्टैप बनेंगे। मेडिकल कॉलेज के नाम से अभी बाढ़सा में कोई सैंक्शन नहीं है और मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन करवाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो जाए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य आज इस इशू पर बवंडर खड़ा कर रहे हैं। यह बात प्रदेश के हित में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी यह बात इस महान सदन में कल ही बोल देते तो आज कोई इशू नहीं होता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि कल वाली बात के लिए आपको ज्यादा क्लीयरिटी चाहिए थी

इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे थे । आज मैं इस इस बात को दोहरा रहा हूं और आप भी उस बात को मान रहे हो कि यह दिल्ली स्थित एम्स का ही एक एक्स्टैंडिड कैंपस है और इन्होंने कहा कि हम सारे काम करने वाले थे, बाकी जो एम्स बन रहे हैं वह एक अलग आईडैंटिटी है । वह अलग–अलग राज्यों में अलग से बन रहे हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली में जगह नहीं थी इसलिए हम यही पर ही अपना दूसरा कैंपस बना रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी, अब हुड्डा साहब सरकार की बात को समझ गये हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की कल वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी सरकार का यही विजन और टारगेट है कि हर जिले में एक मेडीकल कॉलेज खुले । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 22 जिलों में 22 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है । सरकार यही चाहती है कि हरियाणा के पूरे 22 के 22 जिलों में मेडीकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाए। जब सभी जिलों में मेडीकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर जिसको लिट्रली कहते हैं कि हर जिले में कम से कम एक मेडीकल कॉलेज हो क्योंकि कई जिलों में 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारा 22 के 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का टारगेट है और हमें इसमें केन्द्र सरकार का भी सहयोग चाहिए और कुछ फंड्स स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से भी अनाउंसमैंट किये हैं । इसमें लोगों को पी.पी.पी. मॉडल के बेसिस के आधार पर बनाने की भी ऑफर दी गई है और उनको कहा भी गया है कि स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से जितनी सहायता चाहिए उतनी सहायता दी जायेगी। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए जितने अधिक मेडीकल कॉलेज खोले जाएंगे, वे एजूकेशन की दृष्टि से भी ठीक होंगे और हैल्थ की दृष्टि से भी ठीक होंगे । अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात सार्वजनिक रूप से मानी है कि हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है । अब जब डॉक्टर नहीं होगा तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां बैठा दें, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, झज्जर जिले में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा या फिर नया एम्स बनाया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सब चीजें मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होती है । झज्जर जिले में दो प्राइवेट कॉलेज पहले से ही है । अध्यक्ष महोदय, पहले तो 22 जिलों में मेडीकल कॉलेज खोले जायेंगे । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, आप प्लीज बैठ जायें । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब बातें क्लीयरिटी से सदन में बता दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कादियान साहब को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर बता दी है तो फिर मैटर को क्लोज करना ही ठीक है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहती हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, आप बार–बार किस बात के लिए कह रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताना चाहूंगा । जो दलाल साहब ने एक क्लीनिकल एक्ट की बात कही है । यह बात ठीक है कि हमने कुछ अस्पतालों को 50 बैड तक सीमित रखा है, इससे नीचे नहीं किया है । हम बहुत जल्दी ही एक और नया प्रावधान करने वाले हैं कि हमारे प्रदेश में जो अच्छी लैब्स है, उनके ऊपर भी क्लीनिक एक्ट लागू हो ताकि लोगों को और अधिक सुविधाएं मिल सकें । अध्यक्ष महोदय, हमें उसमें क्या–क्या प्रावधान करने पड़ेंगे कुछ बातें संबंधित लैब्स से भी क्लीयर करनी पड़ेगी । इसमें किसी को तकलीफ नही होनी चाहिए न जनता को होनी चाहिए और न ही ये लैब्स चलाने वाले लोगों को होनी चाहिए । हमारी सरकार इसका भी प्रावधान कर रही है । अब जहां तक 50 बैड से नीचे अस्पताल चलाने वालों की बात है इसमें कई दुविधाएं ध्यान में आई थी और आज हम भी महसूस कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, ऐसा करना आम आदमी के इन्ट्रस्ट में पहले भी नहीं था और आज बिल्कुल भी नहीं है । वह इसलिए नहीं है क्योंकि जब से ''आयुष्मान भारत'' योजना की शुरूआत हुई है उस स्कीम के माध्यम से हमारे लगभग 15.50 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है । इस योजना के तहत जो इम्पैनल्ड अस्पताल होंगे। इस योजना में हमारे अच्छे

सरकारी अस्पताल हैं वे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। जो अच्छे प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको इसलिए इस योजना में शामिल करना आवश्यक है ताकि गरीब आदमी को भी बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधाएं मिल सकें क्योंकि गरीब आदमी बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकता है, उसको वहां मुफ्त में इलाज up to rupees 5 lac of the family एक साल में मिल जाये । अध्यक्ष महोदय, अगर हम छोटे अस्पतालों को इस योजना में शामिल करते हैं तो इन अस्पतालों में उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, जितनी कि एक अच्छे अस्पताल में होनी चाहिए क्योंकि इसकी छोटी–छोटी बिल्डिग्स होती है जिनमें बड़े–बड़े अस्पतालों जैसी सुविधाएं सुलभ नहीं हो सकती है । आज कई अस्पताल 15, 20 या 25 बैड की क्षमता वाले हैं और ये छोटे–छोटे अस्पताल मोहल्लों में क्लीनिक के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। हमें एक अच्छे अस्पताल के लिए प्रावधान करने पड़ते हैं । इन छोटे–छोटे अस्पतालों में प्रावधान करना हमारे लिए और लोगों के लिए नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, छोटे अस्पताल तो स्वयं कहते हैं कि इस योजना को उनके अस्पताल पर लागू न करें । हम भी इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर कल को इन छोटे अस्पतालों में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो ये छोटे अस्पताल बंद होने की कगार पर आ सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मानते हैं आज कुछ गिने–चुने लोग ही ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को छोटे अस्पतालों में सस्ता इलाज मिल जाता है । वर्ना अगर वे किसी कारण से 'आयुष्मान भारत योजना' में न आ सके और फिर वे अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाना चाहेंगे तो फिर उनका लाखों रुपये का बिल बनना शुरू हो जायेगा इसलिए आज की डेट में कम से कम ये अभी इम्पैनल्ड नहीं हैं। (विघ्न) जो अस्पताल क्लीनिकल एक्ट में आये हैं वे ही अभी इम्पैनल्ड होंगे जो कि बड़े अस्पताल हैं। इस योजना की सफलता इसी में है कि बड़े से बड़े अस्पताल में गरीब आदमी का इलाज हो सके। इस सम्बन्ध में हमारा यही एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है कि विपक्ष के सम्मानित साथी इससे सहमत न हो तो इस सम्बन्ध में अलग से चर्चा करवा ली जायेगी। अगर विपक्ष को लगे कि जिन अस्पतालों की वे बात कर रहे हैं उनको जनहित में इम्पैनल्ड करना आवश्यक है तो फिर हम उनको समझा लेंगे। हम नहीं चाहते कि ये बहुत बड़ी संख्या में अनरैस्ट हो क्योंकि जहां छोटे 10 और 20 बैडिड अस्पताल हैं ये मोहल्ले–मोहल्ले और

कालोनियों में बने हुए हैं इसलिए जो क्लीनिकल एक्ट के प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों के ऊपर इनकी सहमति अभी नहीं बनी है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो 50 बैडिड अस्पताल है उसको तो सरकार नोटिफाई कर दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ प्रावधान बाकी हैं तो हम उनके ऊपर जरूर विचार करेंगे। स्पीकर सर, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर नशे की आदत के विषय को भी उठाया गया है जो कि प्रदेश के युवकों में दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता चेयर पर आसीन हुए।)** सभापति महोदय, मैं भी मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है इसलिए इस चिंतनीय विषय का हम सभी को साथ मिलकर इलाज ढूंढ़ना चाहिए क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है वही हमारा कल का भविष्य है। युवा को यह आदत अगर किसी भी कारण से लग जाती है तो वह छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। यह आदत लगने के कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहे हों। चाहे उसके संस्कार ऐसे हों, चाहे इसका कारण यह हो कि उसके घर में कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है या फिर उसकी संगति ऐसी है या फिर वह नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले लोगों के चक्रव्यूह में फंस गया या उसकी मनःस्थिति किसी भी कारण से इतनी खराब है कि वह उस मनःस्थिति को भुलाने के लिए अर्थात् जीवन में घटी किसी ऐसी घटना या दुर्घटना को भुलाने के लिए वह नशे की आदतों में पड़ता है। हम सभी को मिलकर ऐसी प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सरकार ने भी अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास किये हैं जिसके तहत आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 61 एंटी एडीक्शन सैंटर्स हैं और इन 61 एंटी एडिक्शन सैंटर्स में जो इस प्रकार के लोग ईलाज के लिए आये हैं वे कितने ठीक हुए हैं यह पूरा आंकड़ा तो मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन पिछले साल भर में 25000 लोगों का रजिस्ट्रेशन इन 61 एंटी एडिक्शन सैंटर्स में हुआ है। मेरा यह भी कहना है कि इसके लिए न केवल सरकारी प्रोजैक्ट्स ही काम आयेंगे बल्कि एन.जी.ओ. के प्रोजैक्ट्स भी इसमें काम आयेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत से एन.जी.ओज़. ने अपने एंटी एडिक्शन सैंटर्स बनाये हुए हैं। इस दिशा में सरकार के स्तर पर और भी बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिससे प्रदेश के नवयुवकों की एनर्जी का डायवर्शन हो। सभापति महोदय, उदाहरण के लिए शहरों

के अंदर हमने राहगिरी के कार्यक्रम शुरू किये हैं। उनका मकसद यही है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों का ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगे। उसमें हमको दूसरा कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है कि जिससे सरकार का कोई प्रचार बढ़ रहा है। सरकार के स्तर पर बड़े–बड़े शहरों में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में कहीं 5000 की संख्या में युवक आते हैं और कहीं 10000 की संख्या में युवक आते हैं। प्रत्येक रविवार को ये आयोजन सरकार द्वारा करवाये जाते हैं। इन आयोजनों में हमने 15000 से 50000 तक की संख्या भी नोट की है। कभी–कभी 50000 तक की संख्या भी गई है। सर्दियों में या मौसम के खराब होने की वजह से कभी यह संख्या घटकर 10000 भी रह जाती है। इस प्रकार से यह प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को होते हैं। इसी प्रकार से बड़ी–बड़ी जगहों पर हमने बड़े–बड़े मैराथन भी करवाने शुरू किये हैं। कुछ समय पहले मैं सिरसा में गया था। सिरसा में केवल इस एंटी एडिक्शन के प्रोग्राम के प्रचार के लिए युवकों में जागरुकता पैदा करने के लिए हमने मैराथन करवाई और वहां लगभग 50000 युवकों ने प्रातः काल 06:00 बजे से लेकर 09:00 बजे तक उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसमें उनके लिए आधे घंटा का एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी हुआ था वो भी उन्होंने अटैंड किया। उसके बाद वे दौड़े भी। उसके बाद उनको पुरस्कार भी वितरित किये गये। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद लगभग सभी बड़े शहरों में और कस्बों में भी इस प्रकार के प्रोग्राम करवाने की प्लानिंग हम निरंतर कर रहे हैं। इस प्रकार के 4–5 प्रोग्राम हो चुके हैं। इसी श्रृंखला में कल सुबह 07.00 बजे मेरा जींद शहर में एक कार्यक्रम है जिसके लिए मुझे आज रात को ही जींद जाना पड़ेगा। इन कार्यक्रमों का आयोजन हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे नौजवानों की एनर्जी सही दिशा में इनवैस्ट हो। अभी पिछले दिनों की बात है श्री श्री रवि शंकर जी ने मुझे कहा कि मैं ड्रग फ्री इंडिया नामक एक अभियान हरियाणा प्रदेश से भी शुरू करना चाहता हूं जिसको मैं देश में बहुत सी जगहों पर करके आया हूं। इसके बाद उन्होंने पांच दिन पहले हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग फ्री इंडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उनके उस कार्यक्रम में 12000 से 14000 नवयुवक उसमें आये थे। इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नशे की आदत में फंस चुके लोगों को हमें सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा ताकि वे फिर से अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। हमारे जो नौजवान नशे की लत के शिकार हो चुके हैं उनकी नशे की लत से छुड़वाने के लिए चाहे हमें संत महात्माओं के प्रवचन करवाने पड़ें, चाहे उनके परिवार के लोगों को साथ लेकर इस दिशा में प्रयास करना पड़े या चाहे हमें उनके लिए ड्रग एडिक्शन के सैंटर्स

खोलने पड़ें। मेरा यह मानना है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सप्लाई चेन होती है इसलिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करके ड्रग्स की सप्लाई चेन को भी तोड़ना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर भी इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए स्पैशल टास्ट फोर्स का गठन किया गया है। स्पैशल टॉस्क फोर्स ने पिछले डेढ़ साल के दौरान इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया है जिसके तहत बहुत से ऐसे मादक पदार्थों को सीज़ किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में स्पैशल टॉस्ट फोर्स द्वारा अफीम और गांजा जैसे मादक पदार्थ क्विंटलों के हिसाब से पकड़े गये। इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस व्यापार के करने वाले लोगों को मैं देश विरोधी तक ही सीमित नहीं रखता हूं वे देशद्रोह तक की घटनाएं करते हैं। एक बहुत बड़ा ऐसा गैंग है जो इस पैसे का उपयोग कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए करता है तथा उनके तार विदेशों से भी जुड़े हुये हैं। कुछ समय पहले यहां पर नाइजीरिया के लोग भी पकड़े गये हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में हैं, जिसको हम कर रहे हैं। मैं इस अभियान को चलाना चाहूंगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारे माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु अपनी डिग्री दिखायें कि वे कहां से पढ़े हैं कितने पढ़े हैं। श्री करण सिंह दलाल जी ने जो रिपोर्ट हाउस में पढ़ी थी मैंने उसको मंगवा लिया है। इसमें इन्होंने कहा था कि ओपियोड की आदत हरियाणा के लोगों में बहुत बढ़ गई है और हरियाणा देश में छठे नम्बर पर आ गया है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि एल्कोहल के मामले में भी हमारी स्थिति काफी खराब हो गई है और हम छठे नम्बर पर आ गये हैं। कैनबिश में भी हरियाणा की स्थिति खराब हो गई है और हम छठे नम्बर पर आ गये हैं। मैं इस रिपोर्ट से हैरान हो गया कि हरियाणा के लोग इतने सोच समझ कर सारी वारदातें कैसे कर रहे हैं कि हम छठे नम्बर पर ही आ रहे हैं। जब मैंने वह रिपोर्ट मंगवाई तो देखा कि हरियाणा का छठा नम्बर इन मादक पदार्थों की खपत में नहीं था बल्कि वह छः नम्बर हरियाणा का स्टेट कोड है। छः नम्बर कोड के ऊपर इन मादक पदार्थों की मात्राएं लिखी हुई हैं जिनको दलाल साहब रैंकिंग बता रहे हैं इसलिए दलाल साहब डिग्रियां किसकी चैक करवानी पड़ेंगी यह मुझे देखना पड़ेगा। (हंसी)

श्री करण सिंह दलालः सभापति महोदय, भारत सरकार की सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट की साइट पर यह रिपोर्ट है। इसमें हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मैं स्थिति को अच्छी नहीं बता रहा हूं। हमारी स्थिति कुछ प्रदेशों से बहुत खराब भी है और कुछ प्रदेशों से अच्छी भी है। दलाल

साहब ने जो ओपियोड की स्थिति में हरियाणा को छठे नम्बर पर बताया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में ओपियोड का यूज 8.68 प्रतिशत होता है जबकि पंजाब में हमसे ज्यादा 9.69 प्रतिशत है। हिमाचल में यह 5.66 प्रतिशत है तथा चण्डीगढ़ में यह खपत 2.93 प्रतिशत है। इसी प्रकार से उतराखण्ड में 2.58 प्रतिशत है। कहीं पर हमारे से बहुत ज्यादा भी है, सिक्किम में यह 18 प्रतिशत तथा अरूणाचल प्रदेश में यह 22 प्रतिशत भी है। इसी प्रकार से नागालैंड और मिजोरम में 25–25 प्रतिशत तक है लेकिन यह जो परसैंटेज है इससे हमें कोई संतोष नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता था। गांवों में जो नशे का काम चल रहा है पुलिस भी इसमें साथ मिली हुई है।

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मैं इसके लिए दलाल साहब का आभारी हूं कि उन्होंने उस विषय को उठाया है। मैंने तो वह रिपोर्ट इसलिए मंगवाई है कि आपने ओपियाड, एल्कोहल और केनबिश की खपत में हरियाणा को छठे नम्बर पर बता दिया था जबकि वह छः नम्बर हरियाणा का स्टेट कोड था, इसलिए मेरा आपके माध्यम से दलाल साहब से अनुरोध है कि वे इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः सभापति महोदय, मैं झज्जर के एम्स की जिस खबर के बारे में इस महान सदन की जानकारी के लिए बता रहा था वह अखबार 31 मई, 2012 का है जिस दिन झज्जर के इस एम्स का शिलान्यास किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि–

> "Azad said the AIIMS-II campus would be bigger than the Delhi AIIMS.
>
> The people of Haryana, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Rajasthan would benefit in a big way as a national cancer institutte, a medical college and a nursing college would also be set up as a part of AIIMS-II."

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सभापति महोदय, हो सकता है कि यह प्रैस नोट गलत जारी कर दिया गया हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः सभापति महोदय, बगैर रिकॉर्ड के कोई केन्द्रीय हैल्थ मिनिस्टर इस प्रकार की स्टेटमैंट थोड़े ही दे सकता है। उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा वह रिकॉर्ड के आधार पर ही कहा होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि वे अखबार की कटिंग की एक कॉपी मुझे दे दें। हम श्री गुलाम नबी आजाद जी से पूछ लेंगे कि आप जब केन्द्रीय हैल्थ मिनिस्टर थे और झज्जर में जो उद्घाटन करके आये थे तो उसमें फाइल में क्या था और घोषणा व शिलान्यास किसका किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः सभापति महोदय, इस प्रकार से तो अगर आज मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करके आते हैं तो कल को दूसरी सरकार उसको मना कर देगी कि आपने तो कोई घोषणा की ही नहीं।

श्री मनोहर लालः सभापति जी, जिस दिन मैं कोई घोषणा करता हूं उस दिन उपायुक्त का काम मेरी घोषणा को फॉरवर्ड करने का होता है। फॉरवर्ड करते ही वह घोषणा विभाग में चली जाती है और विभाग में भी उसका रिकॉर्ड मिल जायेगा। मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि ये इसको रिकॉर्ड में चैक करवा लें और इस अखबार की कटिंग की एक कॉपी मुझे दे दें जब भी श्री गुलाम नबी आजाद जी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः सभापति जी, मैं इसकी एक कॉपी आपको दे देता हूं।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, जो यह पी.एल.पी.ए. का विषय है यह भी वास्तव में एक गम्भीर विषय है । दलाल साहब ने यह ठीक कहा है कि यह पी.एल. पी.ए. का एक्ट लगभग 100 साल पुराना है । यह बहुत पुराना एक्ट है । यह एक्ट अंग्रेजों के समय का बना हुआ है । उस समय जब यह एक्ट बनाया गया होगा उसको देखते हुए आज की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें दिन–रात का अन्तर है जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं । उस समय न तो इस प्रकार की खेती लगातार रही होगी और न ही इस प्रकार से जगह–जगह बरसाती नालों से पानी बहता होगा उसके कटाव से जमीन का बचाव कैसे किया जाए । उस पानी को रोकने के लिए उस समय बांध बनाने की कितनी प्रवृति या पद्धति रही होगी । उस समय एक बड़ा काम होता था कि पेड़ लगा दो ताकि जमीन का कटाव न हो । (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट) था लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, नहीं तो लैंड कट जाएगी और कट कर ऊबड़–खाबड़ हो जाएगी । वह जमीन किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए उस समय यह पी.एल.पी.ए. बनाया गया था । उस पी.एल.पी.ए. में उस समय कितनी धाराएं लगी यह मालूम नहीं है लेकिन आज उस एक्ट की 3–4–5 ऐसी धाराएं हैं जिसके अन्दर आज भी वही पुराने प्रावधान चले आ रहे हैं ।

उसमें एक प्रावधान ऐसा है कि जब भी पी.एल.पी.ए. में कोई जमीन नोटिफाई करनी होती है तो वह सैक्शन–4 है । इसमें जनरल नोटिफिकेशन हो जाती है जिसमें इधर–उधर की सीमा बता दी जाती है कि इस सडक से लेकर उस सडक तक, तथा इस नदी से लेकर उस नदी तक तथा इस शहर से लेकर उस शहर तक कितनी जमीन है यह जितनी भी जमीन है वह सारी पी.एल.पी.ए. के अन्दर आ गई। वह जमीन सरकार की तो होती नहीं है । पहले वह जमीन प्राइवेट पार्टी या किसी और प्रकार से होती थी। आज वह जमीन रैवैन्यू रिकॉर्ड में बदल–बदल कर आ गई है। पहले तो जिस किसी ने उसको जीता सरकार के नाते से उसका कब्जा होता था या जो बड़े–बड़े भूमिपति होते थे उनका कब्जा होता था । लोग उस जमीन को जोतने लग गए । उसके बाद चौधरी छोटूराम जी ने उसी सरकार में एक एक्ट बनवाया कि जो जमीन जोतता है वह जमीन उसी की हो जाएगी । इस तरह से फिर जमीन के मामले प्राईवेट हो गए । पहले जमीन उबड़–खाबड़ थी उसको लोगों ने प्लेन करना शुरू कर दिया । उसके बाद जमीन सुधारीकरण के प्रोग्राम चले । उस सारे में वह पी.एल.पी.ए. आज भी वैसा ही है । अगर किसी जमीन के ऊपर पी.एल.पी.ए. लाया जाए तो उसकी कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई उसकी हियरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी भी जमीन के ऊपर पी.एल.पी.ए. लगाया जा सकता है और पी.एल.पी.ए. की धाराएं ऐसी–ऐसी बनी हैं क्योंकि पी.एल. पी.ए. को लागू करने के लिए तो फोरेस्ट विभाग है या इन्वौयर्नमैंट विभाग है । इसके बीच में एन.जी.टी. व माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी रोल शामिल हो गया । आज तो हमें अपने किसी भी विकास के नाते छोटा सा भी काम करना पड़े तो उसका लम्बा प्रोसैस है । जैसे कोई नहर बनानी है, कोई नाला बनाना है, सडक बनानी है, कोई रेलवे लाइन बनानी है तो सालों साल तक हम इनको बनाने के लिए कई बातों का क्लीयरैन्स कराने के लिए लगे रहते हैं । ऐसे–ऐसे उदाहरण आए हैं जैसे कि नहर के बीच में पेड़ है और यदि उसकी सफाई करवानी है तो पहले तो नहर की मैन्युअल तरीके से यानी हाथ से सफाई होती थी तो सब जाकर कर लेते थे । इस तरह की सफाई चाहे नरेगा के तहत करवा ली गई हो या नहर विभाग ने स्वयं अपने स्तर पर करवा ली हो लेकिन जब से मशीनों से नहरों की सफाई होने लग गई और यदि वह पेड़ बीच में आ गया तो मशीन से सफाई नहीं हो सकती । अगर उस पेड़ को काटना है जिसके आज भी उदाहरण हैं तो उसके लिए फोरेस्ट विभाग को कहा गया कि इस पेड़ को काटने की अनुमति दीजिए ।

वह कहते हैं कि यह अनुमति हम नहीं दे सकते हैं इसकी अनुमति सैंट्रल गवर्नमैंट का विभाग देगा । फिर वह मैटर सैंट्रल गवर्नमैंट को गया और उसके बाद वह मामला एन.जी.टी. तक पहुंच गया । नहर के अन्दर पेड़ है उसमें किसी को तकलीफ नहीं है । यहां तक है कि उस पेड़ के बदले में और पेड़ भी लगाए जा सकते हैं । मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे जो एक्ट हैं वह इतने आउट डेटिड हैं उनको लागू करने में किसी भी सरकार की मनःस्थिति जैसी होती है वैसी वह कर लेते हैं । जितने सख्त नियम होंगे उसमें कहीं भी रास्ता निकालने में सभी लोगों के हाथ अपने–अपने तरीके से वहां चलते हैं । उस तरीके के कारण से दुनिया भर का भ्रष्टाचार होता है । इसको लागू करने में खूब अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता था लेकिन आज पी.एल.पी.ए. में अरावली की बातें कही जा रही हैं । दलाल साहब तो उस इलाके में खेले होंगे । (हंसी)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अगर हाऊस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है, जी ।

श्री सभापति : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारंभ)

20:00 बजे

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, मैं तो वहां खेला हूं क्योंकि मैं वर्ष 1980 में फरीदाबाद में रहता था और बड़खल में हम उन पहाड़ों को देखते भी थे और वहां खेलते भी थे । उस समय वहां पर 50 से 100 फुट के ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे लेकिन आज वहीं पहाड़ खत्म हो गए हैं और 50–50 फुट के गड्ढे में चले गये हैं । ये गड्ढे किस समय में हुए उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया और दुनिया खानों से रेत–पत्थर निकालकर ले गई। सबको पता है हम सब इस बारे में जानते है। लेकिन आज समय आ गया है कि इस तरह की चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे सैक्शन–4 ए में जो स्पेशल जोन मैंशन है उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए। अगर जनरली स्पेशल जोन के नियम व शर्ते लागू कर दी जाये तो ऐसे हालात बन जायेंगे कि 10 जिलों की पूरी की पूरी जमीन जिनमें फरीदाबाद, गुरूग्राम, मेवात, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, पंचकुला और अम्बाला

का कुछ पार्ट शामिल है, यहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती। आज सदन में जो कांत एंक्लेव तथा हुडा सैक्टर के संबंध में आए कोर्ट के निर्णय का जो जिक्र आया है, यह स्पेशल जोन को ध्यान में रखते हुए ही दिया गया निर्णय है। अब तक यह इसलिए चल रहा था क्योंकि किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था लेकिन कहते है ना जिस दिन यदि ध्यान देना शुरू कर दिया जाये तो उस दिन से सारी चीजें उलझती ही चली जायेंगी। जब तक नियम पता नहीं होते तो सब कुछ नार्मली चलता रहता है लेकिन यदि कोई टी.एन. शेषन आ जाये तो फिर वह बता देता है कि किधर आसमान है किधर जमीन है। कहने का भाव यह है कि यदि किसी के माथे में यह बात आ जाती है कि फलां काम उसको करना है तो वह उस काम को रगड़ देता है। मूल विषय पर आते हैं और वह यह है कि हमको पी.एल.पी. ए. में सुधार करने के लिए इसकी कुछ धाराएं मोडीफाई करनी पड़ेंगी और यही कारण है कि सरकार द्वारा इस संबंध में एक बिल लाया जा रहा है। सदन के सभी सदस्य इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और जितना समय चाहिए इस पर बहस कीजिए और जनहित में जो प्रावधान सही लगे उन प्रावधानों के बारे में खुलकर बताईये क्योंकि वर्तमान में स्पेशल जोन के अंतर्गत इतनी जबरदस्त नियम व शर्तें है कि यदि कोई अपने खेत में एक नाली भी बनाना चाहता है तो स्पेशल जोन के नियम व शर्तो के अंतर्गत उसको तमाम तरह की परमीशंज लेनी होगी और ऐसी अवस्था में वह किसान अपने खेत में नाली तक नहीं बना सकता। इसी प्रकार यदि कोई किसान अपने खेत में एक पेड़ को काटकर ट्रैक्टर को अंदर लाने के लिए जगह बनाना चाहता है तो इस स्पेशल जोन की नियम व शर्ते उसको इसकी इजाजत नहीं देती, इसलिए समय की मांग है कि स्पेशन जोन और इसकी जनरल धारा में हमें कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे ताकि हम इन्वौयर्नमैंट के विरोधी हैं। मैं आज सदन को एक बात बताना चाहूंगा शायद आप लोगों को पहले से जानकारी भी होगी और वह यह है कि एक मांगड़ गांव जिसके साथ एक बणी लगती है इसको मांगड बणी के नाम से जाना जाता है। यहां पर बहुत घना जंगल है। जब मुझे पता चला कि कुछ लोग इस जंगल में आगे बढ़ रहे हैं तथा डिवैल्पर्ज घुसते जा रहे हैं तो मैंने स्वयं यहां का हवाई सर्वे किया। यहां का बहुत बढ़िया जंगल है जिसके बीचो बीच एक मंदिर भी है। अगर यह जंगल समाप्त हो गया तो आबो–हवा तो खराब होगी होगी ही साथ ही उस जंगल की जो एक नैचुरल ब्यूटी है, वह भी बिगड़ जायेगी। इस जंगल को बचाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे और जिन

पर जब बहस चली तो एक सुझाव यह सामने आया कि इस जंगल की एक बाउंड्री बना दी जाये जिसकी बाउंड्री के 50 मीटर तक के एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन न की जाये अर्थात इस 50 मीटर एरिया को नो कंस्ट्रक्शन जोन में लेकर आना चाहिए। साथ ही यह चर्चा भी चल रही थी कि बणी की बाउंड्री से 50 मीटर तक के नो कस्ट्रक्शन जोन वाली कंडीशन की अब कोई जरूरत नहीं है। हमने सोचा कि यदि इस कंडीशन को हटाया जायेगा तो कोई भी जंगल के नजदीक कंस्ट्रक्शन करने लग जायेगा और कब पेड़ काट जायेगा या जमीन पर कब्जा कर लेगा, कोई भरोसा नही। अल्टीमेटली जब सुझाव देने की बात आई तो मैंने कहा कि मेरा सुझाव यह है कि इस 50 मीटर की कंडीशन को 500 मीटर कर दिया जाये और हमने इस कंडीशन को बाकायदा तौर पर लागू भी करवाया। आज फरीदाबाद के लोग बता सकते हैं या जो इस जंगल के नज़दीक रहते हैं वे जानते हैं कि मांगड़ बणी की बाउंड्री से 500 मीटर तक का जो एरिया है वह एन.सी.जैड. की श्रेणी में आता है और कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, इसलिए जहां पर घने जंगल हैं उन्हें बचाने के लिए हमें यह प्रावधान करने पड़ेंगे। जहां भूंड जमीन है अर्थात रेतीली जमीन या कंकड़ पत्थर वाली जमीन है, जहां पर कीकर की छोटी छोटी झाड़ियां उगती है उसको भी एन.सी.जैड. की श्रेणी में रखा जाता है। इन्वौयर्नमैंटलिस्ट कहते हैं कि इन झाड़ियों से हम सांस लेंगे? इन्वौयर्नमैंटलिस्ट तरह तरह की अपनी बातें करते हैं। वे जगह–जगह विरोध भी करेंगे लेकिन हम न तो अपने विकास की गाड़ी को रोक सकते हैं और न ही हम जंगल/इन्वौयर्नमैंट को खराब कर सकते हैं। हमको दोनों का संतुलन बिठाकर सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब वह दिन लद गए, जब अपनी मनमर्जी से कोई कुछ भी कर देता था। यहां तक की लाइसैंस देने के लिए भी सी.एम. ऑफिस की कौनकरैंस लेनी पड़ती थी। अब हम ऐसा करने जा रहे है कि जो ठीक काम है उसके बारे में डिपार्टमैंट अपने स्तर पर सोचे–समझे और उस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करके अधिकारियों को भेजे। इस तरह की कंडीशंज में इन्वौयर्नमैंट डिपार्टमैंट तथा पौल्यूशन डिपार्टमैंट या कोई अन्य सहयोगी डिपार्टमैंट साथ मिलकर मंथन करे और जहां लगता है कि यहां पर जंगल का कोई लेना देना नहीं है वहां पर अपने विवेक से फैसला करे। सभापति महोदय, कितनी दुखद बात है कि जंगल की परिभाषा ढूंढते ढूंढते सालों–साल बीत गए और इस तरह के मामले आज भी सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए है। Jungle is not defined. Forest(Jungle) is not defined by any

department or any Court अभी भी इस तरह के केसिज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। हमारा यह कहना है कि जहां–जहां पर घने पेड़ हैं जोकि निःसंदेह स्वच्छ आबो–हवा के लिए जरूरी होते हैं या फिर ऐसी जगह जहां पर इन्वौयर्नमैंट को स्वच्छ बनाने के लिए नए पेड़ उगाए जा सकते हैं। इस तरह की अवस्था में हमें कुछ बीच के रास्ते अपनाकर इन्वौयर्नमैंट व डिवैल्पमैंट दोनों को अच्छी तरह से रैगुलेट करना होगा। फॉरेस्ट से संबंधित पी.एल.पी.ए. में संदर्भित प्रावधान कई बार विकास कार्यो में बाधा उत्पन्न कर देते हैं जैसे कोई सड़क चौडी करनी है और उसके दोनों और जो ग्रीन बैल्ट या यूं कहें कि स्ट्रिप फौरैस्ट है, तो ऐसी अवस्था में सड़क तभी चौड़ी की जा सकती है जब जितनी जमीन में सड़क बनाते हुए पेड़ों को नुकसान होगा, उतनी जमीन का प्रावधान किसी अन्य जगह किया जायेगा और साथ में खर्चे आदि की अदायगी करके ही सड़क को चौड़ा करने की इजाजत मिलती हो। सभापति महोदय, जमीन किसकी है विभाग की है, कब्जा किसका है वन विभाग का है। इस प्रकार से इन्टर्नल चीजों को ठीक करने का काम सरकार का है। सरकार इन चीजों को बदलाव करके चैनलाईज तरीके से सुविधाजनक बनाएगी, इसलिए पी.एल.पी.ए. आयेगा।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मैंने पहले बताया कि यह ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र है और अगर कोई भूकंप की संभावना बनी तो सबसे बड़ी बर्बादी फरीदाबाद और गुरूग्राम में देखने को मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वह ठीक है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को भी देखना होगा कि जो अरावली नोटिफिकेशन 1992 है, वह फरीदाबाद के ऊपर लागू नहीं होती है। अरावली नोटिफिकेशन 1992 पर्यावरण विभाग ने गुरूग्राम और अलवर के ऊपर लागू की है। सभापति महोदय, आज लोगों में जो चर्चा और डर बना हुआ है, उसमें राहत मिलती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही सख्त टिप्पणियों के साथ सरकार के खिलाफ आदेश दिए हैं। आज डर यह है कि दिल्ली के साथ लगती हुई जमीनों पर बहुत बड़े–बड़े बिल्डरों की नजर लगी हुई हैं। स्वामी रामदेव की हजारों एकड़ जमीन इस पी.एल.पल.ए. के अंदर आती है। आज लोगों में यह भी चर्चा है कि स्वामी रामदेव और बड़े बिल्डरों से हजारों करोड़ रुपयों की रिश्वत लेकर सरकार इस पी.एल.पी.ए. को बदलने में लगी हुई है। सभापति महोदय, हमें यह बताया जाए कि वहां पर ऐसी कौन सी खेती–बाड़ी

होगी। वह सारा का सारा जंगल है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय फरीदाबाद का प्रदूषण लेवल देखें और फरीदाबाद का अंडर ग्राउण्ड पानी देखें। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदन के नेता से यह कहता हूँ कि वहां पेड़ों को काटने का ऐसा कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर यह बहुत जरूरी है तो यह केस माननीय उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है तो माननीय न्यायालय में जाना चाहिए, सरकार को क्या जल्दी हो रही है। स्वामी रामदेव की हजारों एकड़ जमीन जो उन्होंने खरीदी है, लोगों में पहले से ही चर्चा होने लगी थी कि सरकार अब ऐसा काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां पर पहाड़ों को गैर कानूनी तरीके से काटा गया है, इस बात को मैं मानता हूँ। सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हुआ है। हमारी बहन आज सदन में बैठी हुई है जो फरीदाबाद से आती है। पहले बड़खल लेक में पानी हुआ करता था आज वह बिल्कुल डेज़र्ट है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहूँगा कि इस पी.एल.पी.ए. के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ न करे जिससे हमारे इलाके के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाये और हमारे यहां के एरिया का पर्यावरण खराब हो जाये।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया जायेगा। लेकिन जो कामों में व्यवधान होते हैं जिसके कारण से बहुत सी चीजें फोरेस्ट की क्लीयरेंस से रूकी हुई हैं अब वह पी.एल.पी.ए. के नाम से आ रहा है। केन्द्र सरकार ने भी इसको मान लिया है और एन.जी.टी. में भी यह केस दाखिल हो चुका है। अब Aravali does not mean forest only. अरावली का मतलब वहां रैजीडैंशियल भी है, फॉरेस्ट भी है और बाकी सारी ऐक्टीविटीज भी हैं। उस ऐक्टीविटीज के कारण किसी भी रैजीडैंशियल एरिया को इसमें नहीं रोक सकते क्योंकि वह अरावली का हिस्सा है, वो गुरूग्राम का हिस्सा है, वो अलवर का हिस्सा है, वो फरीदाबाद का हिस्सा है और वो रेवाड़ी का हिस्सा है। इसके कारण से सारे जिलों में संकट आने वाला है। सभी सदस्यगण इस एक्ट का अध्ययन करेंगे जो ठीक लगेगा उसका ही प्रावधान करेंगे अर्थात् तभी एक्ट को लागू करेंगे। उसके बाद भी जो स्पेशल जोन उसके होंगे उन स्पेशल जोन में भी कोई व्यवधान नहीं पड़ सकता। जो जनरल जोन होगा, उसमें पेड़ विभाग की अनुमति से काट सकते हैं। जहां इक्का–दुक्का पेड़ को काटना है वह काम जंगल में होगा और जहां घना जंगल है जिसको

पर्यावरण के नाते रोकना जरूरी है वह स्पेशल एक्ट में होगा। इस प्रकार से सारी धाराएं बनेगी। सभापति महोदय, लोगों के ऑब्जैक्शंज भी लिए जायेंगे। उन ऑब्जैक्शंज पर अमल भी करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए विधान सभा की एक कमेटी बनाकर भी इस बिल के बारे में डिस्कस किया जा सकता है।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, जब यह एक्ट आयेगा तभी देखा जायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, *** (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, अगर किसी प्रकार का दबाव होता तो मुझे आज सदन में इस प्रकार से स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं थी। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने जो बिना तथ्यों की बात सदन में कही है उसे रिकॉर्ड न किया जाये।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री करण सिंह दलाल द्वारा कहे गए शब्दों को रिकॉर्ड न किया जाये। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, भू–माफिया से किनके संबंध थे, यह सभी को पता है। सी.बी.आई. और ई.डी. से आज उनको जमानतें लेनी पड़ रही है, यह सारा देश जानता है। (विघ्न) अगर माननीय सदस्य सदन में कोई भी बात कहना चाहते हैं तो वे प्रमाण सहित कहें । अगर उन्हें कहीं कोई गड़बड़ लगती हैं तो इसके लिए वे अदालत जा सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा कहना है कि उनके इस तरह के रिमार्क्स को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : करण सिंह जी, आप या तो इन आरोपों के सबूत पेश करें अदरवाइज सदन में किसी पर इस तरह से एलीगेशंज न लगाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, अगर हमें अदालत में जाने की जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी अवश्य जाएंगे । सभापति महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

———————————————————————————————————

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री सभापति : करण सिंह जी, ऐसे आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है । आपने अभी जो कहा है अगर आपके पास इसके तथ्य हैं तो हमें दीजिए वरना ऐसी शब्दावली का सदन में प्रयोग करना ठीक नहीं है । करण सिंह जी जो बिना तथ्यों के बात कह रहे वह रिकॉर्ड न की जाए ।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, इस सदंर्भ में मैं कहना चाहूंगा –

हमारे काम का हिसाब मांगने की जरूरत नहीं,
पहले अपने हाथ धोकर आओ, अपना दामन बदलकर आओ ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और झूठे केस तो कोई भी किसी पर भी दर्ज करवा सकता है । हमने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया है ।

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि इसमें हमने कुछ नहीं करना है और न ही इस हाउस ने कुछ करना है । वह कार्यवाही जिसने करनी है वह ही करेगा ।

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, इन्होंने बदले की भावना से सारा हरियाणा जला दिया । इससे ज्यादा बदले की भावना और क्या होगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदय, हमारे सामने कलैक्टर रेट का एक विषय आया है । मैं यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि पिछली सरकारों के समय में इसका एक बहुत बड़ा खेल खेला जाता था । अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि कलैक्टर रेट सामान्यतः 20–40 परसैंट के बीच में झूलता रहता था । यह रेट इतना इसलिए रखा जाता था कि इसकी वजह से खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में आपसी समझौता होता था और जो लोग उनका लेन–देन करवाते थे वे भी अच्छा–खासा फायदा कमाते थे । उस समय प्रॉपर्टी खरीदने वाले को लगता था कि कम रेट पर खरीद दिखाने से स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी और बेचने वाले को लगता था कि एक नंबर में जितना पैसा लेना है उसका चैक ले लो और बाकी सारा पैसा दो नंबर में ले लो । इससे उस पर इनकम टैक्स भी कम लगता था । तीसरा, जो प्रॉपर्टी का लेन–देन करवाते थे वे तो बीच में अपना काम करते ही थे । इस तरह से उस समय सभी अपनी–अपनी सुविधा देख रहे थे, इसलिए

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

उस समय कलैक्टर रेट नहीं बढ़ाया जाता था । ऐसा नहीं है कि हम अपनी सरकार के कार्यकाल में कलैक्टर रेट का निर्धारण करना पूरी तरह से कलैक्टर के हाथ में दे देंगे । अभिप्रायः यह है कि कलैक्टर कोई बादशाह नहीं है कि वह अपने घर में बैठकर अपनी मनमर्जी से कलैक्टर रेट निर्धारित करेगा बल्कि हम इसको पब्लिकली ओपन करेंगे और हम हर 6 महीने में कलैक्टर रेट तय करवाएंगे । हाँ, कोई एक कलैक्टर रेट वहां की सारी प्रॉपर्टी का फिक्स्ड कलैक्टर रेट नहीं हो सकता । हर जगह 10–20 परसैंट फ्लकचुएशन होती है, इसलिए वहां पर एवरेज रेट से 10–15 परसैंट नीचे की बात तो समझ में आती है । अगर किसी की जमीन 80–85 की परसैंट हो और उसको 20 परसैंट कम की है तो उसको ज्यादा न लग जाए और किसी की जमीन 100 परसैंट की हो गई तो 10–20 परसैंट ऊपर जाएगा । हमारा मानना है कि कम से कम हर 6 महीने में कलैक्टर रेट का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए । हम इसको अपनी वैबसाइट पर पब्लिश करते हैं । कलैक्टर रेट साल में दो बार अप्रैल और अक्तूबर के महीने में तय करवाया जाएगा । इस बात का विभाग गवाह है कि इस कारण से वर्ष 2017–18 में स्टाम्प ड्यूटी 23.72 परसैंट बढ़ी है, वर्ष 2018–19 में 33 परसैंट बढ़ी है जबकि इस वित्त वर्ष का एक महीना अभी बाकी है । कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है । स्टाम्प ड्यूटी के बढ़ने का कारण यह है कि आज पुरानी सरकारों के समय का वह खेल नहीं चलता है कि जमीन को चाहे जिस भाव पर मनमर्जी से रजिस्ट्री करवा दो । हमें ये शिकायतें तो मिलने लगी हैं कि मार्केट रेट कम है और कलैक्टर रेट ज्यादा हो गया है । ऐसे में हमने कहा कि आप शिकायत दीजिए और हम उस शिकायत को डी.सी. को भेजकर उस गलती को ठीक करवायेंगे । वहां पर एक कमेटी बनी हुई है उसके आधार पर वहां के लोग उसको बताते हैं, प्राइवेट लोगों से भी जांचते हैं, सरकारी लोगों से भी जांचते हैं, रजिस्ट्रियां भी जांचते हैं उसके बाद कलैक्टर रेट घोषित होता है । सभापति महोदय, सरकार द्वारा कलैक्टर रेट फिक्स करने के लिए पारदर्शी प्रणाली बनायी गयी है और विभाग द्वारा कलैक्टर रेट का विवरण वैबसाइट पर भी डाला जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः सभापति महोदय, कलैक्टर रेट का इशू इसलिए उठाया गया है क्योंकि हमारे एरिया में से ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे निकल रहा है। हमारे क्षेत्र से पहले और बाद के इलाकों के कलैक्टर रेट्स में काफी एनॉमलीज हैं। अब विभाग ने कलैक्टर रेट का जो सिस्टम बताया है वह ठीक है परन्तु पहले बहुत से

लोग कलैक्टर रेट से प्रभावित हुए हैं। जिन चार गांवों की जमीन बहुत बढ़िया है उनको कलैक्टर रेट के आधार पर 14 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है पर जिन चार गांवों की जमीन खराब है उनको कलैक्टर रेट के हिसाब से ज्यादा मुआवजा मिल रहा है, इसलिए कलैक्टर रेट में फ्लकचुएशन का मुद्दा उठाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह विषय अलग है। माननीय सदस्य ने जो कलैक्टर रेट का विषय उठाया है, उसमें बताया है कि लैंड एक्विजिशन में एक गांव में कलैक्टर रेट कम हैं और साथ के दूसरे गांव में कलैक्टर रेट ज्यादा हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये कलैक्टर रेट पहले से ही तय किये हुए थे और वह जमीन पहले ही डिटरमाइन हो चुकी थी और उसी के आधार पर संबंधित लोगों को कम्पैंशेसन दी गयी है। अगर कलैक्टर रेट की प्रक्रिया में आर्बिट्रेशन का कोई प्रौविजन होगा या कलैक्टर रेट को ठीक करके दुरुस्त करने का कोई प्रावधान होगा तो हम ऐग्जामिन करवा लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमदः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मेवात जिले के एरिया से होते हुए दिल्ली – बड़ौदा हाईवे बनने जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः नसीम जी, आप बहस न करें।

श्री नसीम अहमदः सभापति महोदय, मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली – बड़ौदा जो हाईवे निकल रहा है वह मेवात जिले से होते हुए राजस्थान से आगे की तरफ जा रहा है। हमारे क्षेत्र के दो गांवों के कलैक्टर रेट सेम हैं परन्तु विभाग द्वारा अलग–अलग मुआवजा दिया जा रहा है। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि यह बात क्लीयर की जानी चाहिए कि किस आधार पर दोनों गांवों को अलग–अलग मुआवजा दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउट

श्री करण सिंह दलालः सभापति महोदय, जब मैं पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम के मामले पर अपनी बात रख रहा था तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में जो बात कही है उससे हम संतुष्ट नहीं है इसलिए हम कांग्रेस के सभी सदस्यगण इस बारे वॉक– आउट करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जब यह

विधेयक सदन में आए तो आप इस विधेयक को पास मत करना क्योंकि ये हमारे इलाके के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कलैक्टर रेट के नाम से ही गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। पहले कलैक्टर रेट अंग्रेजों के टाईम से ही किसी बादशाह ने तय किया होगा कि वह जो मुंह से निकालेगा वही तय हो जाएगा, परन्तु अब कोई बादशाह नहीं है, इसलिए कमेटी के आधार पर जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करके कलैक्टर फिक्स किये जाएंगे। अगर कलैक्टर रेट के बारे में किसी को आपति होगी तो वे एक महीने के अन्दर–अन्दर विभाग के पास अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। आज से कलैक्टर रेट का नाम बदलकर फेयर वैल्यू रेट माना जाएगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः सभापति महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक कलैरिफिकेशन करना चाहूंगा। अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक प्रैस कैटिंग दी गई है। इसको पढ़कर पता चलता है कि दो पैराज में तो तत्कालीन हैल्थ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद साहब की स्टेटमैंट है। (शोर एवं व्यवधान) अगर कांग्रेस के माननीय सदस्य इसको सुनकर जाएं तो अच्छा होगा। इसमें कहीं पर भी मेडिकल कॉलेज का जिक्र नहीं है। एक अलग पैरा में जो लिखा गया है वह बात प्रैस नोट से उठायी गयी है या मीडिया वाले ने अपनी तरफ से लिखा होगा परन्तु यह तत्कालीन सैन्ट्रल हैल्थ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद साहब की प्रैस स्टेटमैंट भी नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पी.एल.पी.ए. के बारे में सदन में जो अपनी बात कही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए इसके विरोध में हम सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यगण, मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब भू–परिरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) के मामले पर दिये गये उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण विरोध के रूप में वॉक–आउट कर गए।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारंभ)

श्री सभापतिः प्रश्न है

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए–

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्यगण उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2019 को 2:00 बजे मध्याह्न–पश्चात सदन में देने की कृपा की है।"

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

सरकारी संकल्प–

दण्ड विधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 के वापिस लेने से संबंधित

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

''चूंकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 का उद्देश्य 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से अपराधियों को मृत्यु दंड से दंडित करने के उद्देश्य से महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा आपराधिक कानूनों में संशोधन करना था। तदानुसार हरियाणा सरकार ने आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को स्थानांतरित किया। इस विधेयक को 15 मार्च, 2018 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि राज्यपाल ने, उक्त संविधान के अनुच्छेद 211 के अधीन उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि इस बीच, केन्द्र सरकार ने भी इसी इरादे से आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पारित किया। संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2018 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जबकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 और केन्द्रीय

अध्यादेश/अधिनियम का उद्देश्य समान है और केन्द्रीय अध्यादेश अधिक व्यापक है इसलिए राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बिल को वापिस करते हुए सूचित किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

और चूंकि दिनांक 4 फरवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने के लिए निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधान सभा, आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

''चूंकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 का उद्देश्य 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से अपराधियों को मृत्यु दंड से दंडित करने के उद्देश्य से महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा आपराधिक कानूनों में संशोधन करना था। तदानुसार हरियाणा सरकार ने आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को स्थानांतरित किया। इस विधेयक को 15 मार्च, 2018 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि राज्यपाल ने, उक्त संविधान के अनुच्छेद 211 के अधीन उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि इस बीच, केन्द्र सरकार ने भी इसी इरादे से आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पारित किया। संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2018 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जबकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 और केन्द्रीय अध्यादेश/अधिनियम का उद्देश्य समान है और केन्द्रीय अध्यादेश अधिक व्यापक है इसलिए राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बिल को वापिस करते हुए सूचित किया कि आपराधिक

कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

और चूंकि दिनांक 4 फरवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने के लिए निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधान सभा, आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

श्री सभापति : प्रश्न है–

''चूंकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 का उद्देश्य 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से अपराधियों को मृत्यु दंड से दंडित करने के उद्देश्य से महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मौजूदा आपराधिक कानूनों में संशोधन करना था। तदानुसार हरियाणा सरकार ने आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को स्थानांतरित किया। इस विधेयक को 15 मार्च, 2018 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि राज्यपाल ने, उक्त संविधान के अनुच्छेद 211 के अधीन उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि इस बीच, केन्द्र सरकार ने भी इसी इरादे से आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 पारित किया। संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2018 को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जबकि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 और केन्द्रीय अध्यादेश/अधिनियम का उद्देश्य समान है और केन्द्रीय अध्यादेश अधिक व्यापक है इसलिए राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस कर दिया जाए। राज्य सरकार के अनुरोध अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बिल को वापिस करते हुए सूचित किया कि आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

और चूंकि दिनांक 4 फरवरी, 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने के लिए निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधान सभा, आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ)

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप–ए, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सभापति महोदय, मैं हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सभापति : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(विधेयक पारित हुआ।)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री सभापति : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(ii) दि हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी श्राइन बिल, 2019

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी पूजास्थल विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): सभापति महोदय, मैं हरियाणा श्री दुर्गा माता मन्दिर बनभोरी पूजास्थल विधेयक, 2019 वापिस लेने की अनुमति लेना चाहती हूं क्योंकि विधेयक में कुछ अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है।

———

बिल का वापिस लेना

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, क्या सदन की सहमति है कि यह विधेयक वापिस लिया जाये?

आवाजेंः जी हां, जी हां ।

श्री सभापतिः सदन की सहमति को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(विधेयक वापिस लिया गया।)

(iii) दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): सभापति महोदय, मैं हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सभापतिः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

———————

(iv) दि हरियाणा लॉज (स्पैशल प्रोविजन्ज) बिल, 2019

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, अब परिवहन मंत्री हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): सभापति महोदय, मैं हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री सभापतिः प्रश्न है –

कि हरियाणा विधि (विशेष उपबंध) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सभापति : अब सदन बिल पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लाज–1

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–3 ऑफ क्लाज–1

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–3 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–4 ऑफ क्लाज–1

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–4 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लाज–1

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री सभापति : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न है कि –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विधेयक पारित हुआ)

———————

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019, प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

***20.38 बजे**

(तत्पश्चात सभा सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)

———————